

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च 2022—फाल्गुन 13, शक 1943

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2022

क्र. ई-1-248-2021-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये आवंटन वर्ष 1998 के भाप्रसे अधिकारियों को भाप्रसे के प्रमुख सचिव, वेतनमान रुपये 1,82,200—2,24,100/- (पे-मेट्रिक्स-15) में पदोन्नत करते हुए उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	प्रमुख सचिव वेतनमान में पदोन्नति पर पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री आकाश त्रिपाठी, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग तथा आयुक्त, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग तथा आयुक्त, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	—

973

(1)	(2)	(3)	(4)
2	श्री मुकेश चन्द गुप्ता, आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन
3	श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग.	वि.क.अ.-सह-आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2022

क्र. ई-1-26-2022-5-एक.—डॉ. रामराव भोंसले, भाप्रसे (2007), संचालक, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी आरोग्य एवं पोषण मिशन, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इकबाल सिंह बैस, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2022

क्र. एफ-ए-5-04-2011-एक (1).—भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक K-13025-01-2020-US, II, दिनांक 26 अगस्त 2021 द्वारा माननीय श्री प्रणय वर्मा की नियुक्ति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में की गई है।

(2) माननीय न्यायाधिपति श्री प्रणय वर्मा द्वारा दिनांक 27 अगस्त 2021 को पूर्वाह्न में अपने पद का कार्यभार ग्रहण किया गया है।

क्र. एफ-ए-5-04-2011-एक (1).—भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक K-13025-01-2020-US, II, दिनांक 6 अक्टूबर 2021 द्वारा माननीय श्री पुरुषेन्द्र कुमार कौरव की नियुक्ति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में की गई है।

(2) माननीय न्यायाधिपति श्री पुरुषेन्द्र कुमार कौरव द्वारा दिनांक 8 अक्टूबर 2021 को पूर्वाह्न में अपने पद का कार्यभार ग्रहण किया गया है।

क्र. एफ-ए-5-04-2011-एक (1).—भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक K-11019-45-2021-US.I-II, दिनांक 16 नवम्बर 2021 द्वारा माननीय श्री सतीश कुमार शर्मा की नियुक्ति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में की गई है।

(2) माननीय न्यायाधिपति श्री सतीश कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 25 नवम्बर 2021 को पूर्वाह्न में अपने पद का कार्यभार ग्रहण किया गया है।

क्र. एफ-ए-5-04-2011-एक (1).—भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक K-11019-39-2021-US. I-II (xii), दिनांक 5 अक्टूबर 2021 द्वारा माननीय श्री विवेक अग्रवाल की नियुक्ति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में की गई है।

(2) माननीय न्यायाधिपति श्री विवेक अग्रवाल द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर 2021 को अपराह्न में अपने पद का कार्यभार ग्रहण किया गया है।

क्र. एफ-ए-5-04-2011-एक (1).—भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक K-13025-01-2020-US., II, दिनांक 6 अक्टूबर 2021 द्वारा माननीय श्री पुरुषेन्द्र कुमार कौरव की नियुक्ति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में की गई है।

(2) माननीय न्यायाधिपति श्री पुरुषेन्द्र कुमार कौरव द्वारा दिनांक 8 अक्टूबर 2021 को पूर्वाह्न में अपने पद का कार्यभार ग्रहण किया गया है।

क्र. एफ-ए-5-4-2011-एक (1).—भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना

क्रमांक के-13025-02-2020-यूएस, II, दिनांक 18 जून 2021 द्वारा माननीय श्री अनिल वर्मा, माननीय श्री अरूण कुमार शर्मा, माननीय श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, माननीय श्रीमती सुनीता यादव, माननीय श्री दीपक कुमार अग्रवाल एवं माननीय श्री राजेन्द्र कुमार (वर्मा) की नियुक्ति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में की गई है।

(2) माननीय न्यायाधिपति श्री अनिल वर्मा, माननीय न्यायाधिपति श्री अरूण कुमार शर्मा, माननीय न्यायाधिपति श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, माननीय न्यायाधिपति श्रीमती सुनीता यादव, माननीय न्यायाधिपति श्री दीपक कुमार अग्रवाल एवं माननीय न्यायाधिपति श्री राजेन्द्र कुमार (वर्मा) द्वारा दिनांक 25 जून 2021 को पूर्वाह्न में अपने पद का कार्यभार ग्रहण किया गया है।

भोपाल, दिनांक 11 फरवरी 2022

क्र. एफ 5-22-2021-एक (1).—माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक डी-6576-(दो-1-8/2019), दिनांक 23 दिसम्बर 2021 के अनुक्रम में, दिनांक 24 से 26 नवम्बर 2021 तक, तीन दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश के साथ एल.टी.एस. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008-Estt (ए), दिनांक 23 सितम्बर 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत 10 दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

अवकाश नगदीकरण का यह पंचम अवसर है।

क्र. एफ 5-22-2021-एक (1).—माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक डी 6574-(दो-1-8/2019), दिनांक 23 दिसम्बर 2021 के अनुक्रम में, दिनांक 16 से 20 नवम्बर 2021 तक, तीन दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश/सार्वजनिक अवकाश

के साथ एल.टी.सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008-Estt (ए), दिनांक 23 सितम्बर 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत 10 दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

अवकाश नगदीकरण का यह चतुर्थ अवसर है।

क्र. एफ 5-22-2021-एक (1).—माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए-5370-(दो-1-8/2019), दिनांक 22 दिसम्बर 2021 के अनुक्रम में, दिनांक 24 से 26 नवम्बर 2021 तक, तीन दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. एफ 5-22-2021-एक (1).—माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए-88-(दो-1-8/2019), दिनांक 6 जनवरी 2022 के अनुक्रम में, दिनांक 14 से 17 दिसम्बर 2021 तक, चार दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. एफ 5-22-2021-एक (1).—माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए-5368-(दो-1-8/2019), दिनांक 22 दिसम्बर 2021 के अनुक्रम में, दिनांक 6 से 8 दिसम्बर 2021 तक, तीन दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने, अवर सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2022

क्र. एफ-1(ए)199-1991-ब-2-दो.—राज्य शासन, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 20 दिसम्बर 2021 एवं 19 जनवरी 2022 द्वारा श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, सतर्कता, पु. मु., भोपाल का दिनांक 27 दिसम्बर 2021 से 1 जनवरी 2022 तक, छः दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 17 से 28 जनवरी 2022 तक, बारह दिवस स्वीकृत अर्जित अवकाश अपरिहार्य कारणों से उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2022

क्र. एफ-1(ए)58-2018-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री हेमन्त चौहान, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, एससीआरबी. पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 17 से 25 जनवरी 2022 तक, नौ दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से अठारह दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री हेमन्त चौहान भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हेमन्त चौहान, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनू भलावी, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2022

क्र. एफ 1 (ए)-28-2013-ब-2-(दो).—राज्य शासन द्वारा श्री राहुल कुमार लोढा, भापुसे-11, पुलिस अधीक्षक, बुरहानपुर को

खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष में खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष 2022-23 में दिनांक 21 से 25 फरवरी 2022 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश तथा दिनांक 19-20 व 26-27 फरवरी 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ भारत भ्रमण अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर की यात्रा हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:—

1. श्री राहुल कुमार लोढा — स्वयं
2. श्रीमती शुभी लोढा — पत्नी
3. कु. स्वरा लोढा — पुत्री
4. श्री शौर्य लोढा — पुत्र

(2) श्री राहुल कुमार लोढा, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री एस. आर. सेंगर, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बुरहानपुर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राहुल कुमार लोढा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, बुरहानपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री राहुल कुमार लोढा, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री राहुल कुमार लोढा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राहुल कुमार लोढा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2022

सूचना

क्र. एफ-3-15-2022-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल की सूचना क्रमांक 4739-टीसी-609-नगानि-जबलपुर-2017-21, भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 2021 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भेड़ाघाट विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरें एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	अनुसूची क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	भेड़ाघाट	80/2	2.00	आमोद-प्रमोद एवं प्रस्तावित वाहन विराम स्थल.	प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक.
		81/2	1.00	आमोद-प्रमोद एवं प्रस्तावित वाहन विराम स्थल.	प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक.
		योग . .	3.00		
2	लम्हेटाघाट	176	1.76 में से 1.66	कृषि	वाहन विराम स्थल
		272	0.66	कृषि	वाहन विराम स्थल
		योग . . .	2.42 में से 2.32		

शर्तें:—

- उक्त प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक की उपांतरित भूमि में से 0.66 हेक्टेयर भूमि सार्वजनिक वाहन विराम स्थल हेतु सुरक्षित रखना अनिवार्य होगी. शेष भूमि परियोजना हेतु रखी जायेगी.
- उपरोक्त उपांतरण भेड़ाघाट विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2022

शुद्धि-पत्र

क्र. एफ-3-71-2021-अठारह-5.—एतद्वारा बैतूल विकास योजना 2035 की विभागीय हिन्दी एवं अंग्रेजी की सूचना क्रमांक एफ-3-71-2021-अठारह-5, दिनांक 28 जनवरी 2022 में बैतूल विकास योजना 2035 के स्थान पर बैतूल विकास योजना 2031 टंकन त्रुटिवश अंकित हो गया है.

- अतः, बैतूल विकास योजना 2031 के स्थान पर बैतूल विकास योजना 2035 पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2022

क्रमांक एफ-25-12/2022/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड 23°47'18.811" से 23°47'54.440" उत्तर अक्षांश तथा 75°53'14.520" से 75°53'38.593" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - आगर मालवा

तहसील - बड़ौदा

वनमण्डल - सामान्य शाजापुर

वन परिक्षेत्र - आगर

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर)	
1	रापड़ी	रापड़ी	निस्तार चरनाई	818/1/1	28.730	उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 33 से 36 एवं 36 से 9 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व-संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र.9 से 15 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 15 से 23 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम-संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 23 से 33 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग	28.730	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक No.6-MPC014/2016-BHO/1191, दिनांक 23 दिसम्बर 2016 एवं No.6-MPC013/2016-BHO/1192, दिनांक 23 दिसम्बर 2016, में अधिरोपित शर्त के अनुसार प्रोजेक्ट मैनेजर म.प्र. रोड डवलपमेंट कार्पोरेट लिमि. जबलपुर एवं शहडोल मध्यप्रदेश की स्वीकृत परियोजना कटनी-उमरिया-शहडोल-अनूपपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 78 के चौड़ीकरण/उन्नयन में प्रभावित 30.423 हेक्टेयर एवं 08.05 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 28.730 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 28.730 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला आगर-मालवा के आदेश क्रमांक/रीडर/2015/163ए, दिनांक 14.07.2015 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी - तहसीलदार बड़ौदा के प्रतिवेदन क्रमांक /क्यू दिनांक 29.06.2021 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :- निरंक

(ब) सामुदायिक अधिकार :- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2022

क्र. एफ-25-12-2022-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-12-2022-दस-3, दिनांक 18 फरवरी 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 18th February 2022

No. F-25-12/2022/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 23°47'18.811" to 23°47'54.440" North Latitude and 75°53'14.530" to 75°53'38.593" East Longitude.

SCHEDULE

District - Agar Malwa
Division - Shajapur (T)

Tahsil - Badod
Forest Range - Agar

S. No	Details of Land Included					Forest Block Boundaries
	Name of the Forest Block.	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Rapdi	Rapdi	Nistar Charnoi	818/1/1	28.73	North- Artificial Forest boundary from pillar Number 33 to 36 & 36 to 9 of Protected Forest block East- Artificial Forest boundary from pillar Number 9 to 15 of Protected Forest block South- Artificial Forest boundary from pillar Number 15 to 23 of Protected Forest block West- Artificial Forest boundary from pillar Number 23 to 33 of Protected Forest block
				Total	28.730	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate change Govt. of India's order No.6-MPC014/2016-BHO/1191 dated 23 December 2016, and No.6-MPC013/2016-BHO/1192, dated 23 December 2016, in lieu of 30.423 hectare & 8.05 hectare of affected Forest land under the sanctioned project of Katni-Umaria-Shahdol-Anuppur NH-78 upgradation Project Project Manager MP Road development corporation Limited Jabalpur & Shahdol Madhya Pradesh, the above mentioned Non Forest land of 28.730 hectare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by Collector Agar-Malwa order No.Reader-/2015/163A, Dated 14.07.2015 for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons. - Nil

(B). The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No.Q. dated 29.06.2021 of Tehsildar Badod are as under:—

1. Individual Rights :- Nil

2. Community Rights :- Nil

Therefore the above land is being declared as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ASHOK KUMAR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2022

क्रमांक एफ-25-12/2022/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड 23°49'11.60" से 23°49'42.25" उत्तर अक्षांश तथा 75°52'19.65" से 75°53'01.70" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - आगर मालवा
वनमण्डल - सामान्य शाजापुर

तहसील - बड़ौद
वन परिक्षेत्र - आगर

वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर)	
टोकड़ा ब	टोकड़ा	चरनाई	182/7	23.750	उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 8 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व-संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 8 से 12 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 12 से 20 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 20 से 23 एवं 23 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा।
		गैर मुमकिन	186	26.250	
योग				50.000	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक No.6-MPB024/2016-BHO/547 दिनांक 30 मई 2016, No.6-MPC016/2016-BHO/1014 दिनांक 20 अक्टूबर 2016, No.6-MPC014/2016-BHO/1191 दिनांक 23 दिसम्बर 2016 एवं No.6-MPC012/2016-BHO/1195 दिनांक 23 दिसम्बर 2016, में अधिरोपित शर्त के अनुसार प्रोजेक्ट मैनेजर म.प्र. रोड़ डवलपमेंट कार्पोरेट लिमि. जबलपुर एवं शहडोल मध्यप्रदेश की स्वीकृत परियोजना कटनी-उमरिया-शहडोल-अनूपपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 78 के चौड़ीकरण/उन्नयन तथा राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 12ए के चौड़ीकरण/उन्नयन से छत्तीसगढ़ बार्डर राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 78 के चौड़ीकरण/उन्नयन परियोजना में प्रभावित 02.696 हेक्टेयर, 07.313 हेक्टेयर, 30.423 हेक्टेयर एवं 11.351 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 50.00

हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 50.000 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला आगर-मालवा के आदेश क्रमांक/रीडर/2015/163ए दिनांक 14.07.2015 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी - तहसीलदार बड़ौद के प्रतिवेदन क्रमांक/क्यू दिनांक 29.06.2021 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :- निरंक

(ब) सामुदायिक अधिकार :- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2022

क्र. एफ-25-12-2022-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-12-2022-दस-3, दिनांक 18 फरवरी 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 18th February 2022

No. F-25-12/2022/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 23°49'11.60" to 23°49'42.25" North Latitude and 75°52'19.65" to 75°53'01.70" East Longitude.

SCHEDULE

District - Agar Malwa
Division - Shajapur (T)

Tahsil - Badod
Forest Range - Agar

S. No	Details of Land Included					Forest Block Boundaries
	Name of the Forest Block.	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Tonkda B	Tonkda	Charnoi Gair mumkin	182/7 186	23.750 26.250	North- Artificial Forest boundary from pillar Number 1 to 8 of Protected Forest block East- Artificial Forest boundary from pillar Number 8 to 12 of Protected Forest block South- Artificial Forest boundary from pillar Number 12 to 20 of Protected Forest block West- Artificial Forest boundary from pillar Number 20 to 23 & 23 to 1 of Protected Forest block
				Total	50.000	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate change Govt. of India's order No.No.6-MPB024/2016-BHO/547 dated 30 May 2016, No.6-MPC016/2016-BHO/1014 dated 20 October 2016, No.6-MPC014/2016-BHO/1191 dated 23 December 2016 and No.6-MPC012/2016-BHO/1195 dated 23 December 2016, in lieu of 2.696 hectare, 7.313 hectare, 30.423 hectare & 11.351 hectare of affected Forest land under the sanctioned project of existing Katni-Umaria-Shahdol-Anuppur NH-78 upgradation Project & NH12A upgradation Project Manager MP Road development corporation Limited Jabalpur & Shahdol Madhya Pradesh, the above mentioned Non Forest land of 50.00 hectare transferred or mutated in favour of Madhya

Pradesh Government, Forest Department by Collector Agar-Malwa order No.Reader-/2015/163A Dated 14.07.2015 for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons. - Nil

(B). The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No.Q. dated 29.06.2021 of Tehsildar Badod are as under. :-

1. Individual Rights :- Nil

2. Community Rights :- Nil

Therefore the above land is being declared as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

ASHOK KUMAR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2022

क्रमांक एफ-25-13/2022/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड 23°49'17.10" से 23°49'31.20" उत्तर अक्षांश तथा 75°51'49.30" से 75°52'06.70" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - आगर मालवा
वनमण्डल - सामान्य शाजापुर

तहसील - बड़ौद
वन परिक्षेत्र - आगर

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर)	
1	टोकड़ा अ	टोकड़ा	गैर मुमकिन चरनाई	229	12.453	उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 11 से 01 एवं 01 से 02 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व-संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 2 से 5 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 5 से 7 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम-संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 7 से 11 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग	12.453	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक No.6-MPC008/2016-BHO/586 दिनांक 01 जून 2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार प्रोजेक्ट मैनेजर म.प्र. रोड़ डवलपमेंट कार्पोरेट लिमि. जबलपुर मध्यप्रदेश की स्वीकृत परियोजना शहडोल-अनूपपुर से छत्तीसगढ़ बार्डर राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 78 के चौड़ीकरण/उन्नयन परियोजना में प्रभावित 12.119 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 12.453 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 12.453 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला आगर-मालवा के आदेश क्रमांक/रीडर/2015/163ए दिनांक 14.07.2015 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी - तहसीलदार बड़ौद के प्रतिवेदन क्रमांक/क्यू दिनांक 29.06.2021 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :- निरंक

(ब) सामुदायिक अधिकार :- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2022

क्र. एफ-25-12-2022-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-12-2022-दस-3, दिनांक 18 फरवरी 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार, अवर सचिव.

Bhopal, the 18th February 2022

No. F-25-12/2022/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 23°49'17.10" to 23°49'31.20" North Latitude and 75°51'49.30" to 75°52'06.70" East Longitude.

SCHEDULE

District - Agar Malwa
Division - Shajapur (T)

Tahsil - Badod
Forest Range - Agar

S. No	Details of Land Included					Forest Block Boundaries
	Name of the Forest Block	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Tonkda A	Tonkda	Gair mumkin charnoi	229	12.453	North - Artificial Forest boundary from pillar Number 11 to 1 & 1 to 2 of Protected Forest block East - Artificial Forest boundary from pillar Number 2 to 5 of Protected Forest block South - Artificial Forest boundary from pillar Number 5 to 7 of Protected Forest block West - Artificial Forest boundary from pillar Number 7 to 11 of Protected Forest block
				Total	12.453	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate change Govt. of India's order No.6-MPC008/2016-BHO/586 dated 01 June 2016 and in lieu of 12.119 hectare of affected Forest land under the sanctioned project of existing Shahdol-Anuppur to Chhittisgarh border section of NH-78 upgradation Project, of Project Manager MP Road development corporation Limited Shahdol Madhya Pradesh, the above mentioned Non Forest land of 12.453 hectare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by Collector Agar-Malwa order No.Reader-/2015/163A Dated 14.07.2015 for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons. - Nil

(B). The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No.Q. dated 29.06.2021 of Tehsildar Badod are as under.

1. Individual Rights :- Nil

2. Community Rights :- Nil

Therefore the above land is being declared as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ASHOK KUMAR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2022

क्रमांक एफ-25-12/2022/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड 23°37'08.665" से 23°37'20.499" उत्तर अक्षांश तथा 76°05'47.821" से 76°06'03.107" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - आगर मालवा
वनमण्डल - सामान्य शाजापुर

तहसील - आगर
वन परिक्षेत्र - आगर

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर)	
1	घुराश्या	घुराश्या	चारागाह	529	10.00	उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 9 से 13 एवं 13 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व-संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 3 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 3 से 7 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम-संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 7 से 9 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग	10.00	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक No.6-MPC009/ 2020-BHO/458 दिनांक 04 जून 2020 में अधिरोपित शर्त के अनुसार प्रोजेक्ट मैनेजर मोहनपुरा कुण्डालिया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, राजगढ़ मध्यप्रदेश की स्वीकृत परियोजना कुण्डालिया सिचाई लिफ्ट विंग परियोजना में प्रभावित 9.61 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 10.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 10.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला आगर-मालवा के आदेश क्रमांक/रीडर/2019/892 दिनांक 09.12.2019 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी – तहसीलदार आगर के प्रतिवेदन क्रमांक/क्यू दिनांक 18.09.2020 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :- निरंक

(ब) सामुदायिक अधिकार :- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2022

क्र. एफ-25-12-2022-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-12-2022-दस-3, दिनांक 18 फरवरी 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 18th February 2022

No. F-25-12/2022/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 23°37'08.665" to 23°37'20.499" North Latitude and 76°05'47.821" to 76°06'03.107" East Longitude.

SCHEDULEDistrict - Agar Malwa
Division - Shajapur (T)Tahsil - Agar
Forest Range - Agar

S. No	Details of Land Included					Forest Block Boundaries
	Name of the Forest Block.	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Ghurashya	Ghurashya	Charagah	529	10.00	North - Artificial Forest boundary from pillar Number 9 to 13 & 13 to 1 of Protected Forest block East - Artificial Forest boundary from pillar Number 1 to 3 of Protected Forest block South - Artificial Forest boundary from pillar Number 3 to 7 of Protected Forest block West - Artificial Forest boundary from pillar Number 7 to 9 of Protected Forest block
				Total	10.00	

(A) Reason for publication of notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate change Govt. of India's order No.6-MPC009/2020-BHO/ 458 dated 04 June 2020 and in lieu of 9.61 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Kundaliya Irrigation Lift wing Project, of Project Manager Mohanpura Kundaliya Project Management Unit, Rajgarh, Madhya Pradesh, the above mentioned Non Forest land of 10.00 hectare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by Collector Agar-Malwa order No. Reader-/2019/892 Dated 09.12.2019 for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons. - Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No.Q. dated 18-09-2020 of Tehsildar Agar are as under.

1. Individual Rights :- Nil
2. Community Rights :- Nil

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ASHOK KUMAR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2022

क्रमांक एफ-25-14/2022/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N 24° 17' 02" से N 24° 17' 21.0" उत्तर अक्षांश तथा E 79° 09' 30" से E 79° 09' 51.00" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - सागर

वन मंडल - उत्तर सागर (सा.)

तहसील - शाहगढ़

वन परिक्षेत्र - शाहगढ़

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	फुलवारी (अ)	फुलवारी	म.प्र. शासन वन विभाग	01	14.912	उत्तर :- आरक्षित वनखण्ड 125 शाहगढ़ के मुनारा क्रमांक 115 से 114 तक। पूर्व :- आरक्षित वनखण्ड 125 शाहगढ़ के मुनारा क्रमांक 114 से प्रस्तावित वनखण्ड का नवीन मुनारा क्रमांक 04 तक कृत्रिम सीमा। दक्षिण :- प्रस्तावित वनखण्ड का नवीन मुनारा क्रमांक 04 से आरक्षित वनखण्ड 125 शाहगढ़ के मुनारा क्रमांक 118 तक कृत्रिम सीमा। पश्चिम :- आरक्षित वनखण्ड 125 शाहगढ़ के मुनारा क्रमांक 118 से मुनारा क्रमांक 115 तक।
			Total		14.912	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-20/2018-FC दिनांक 30-10-2018 में अधिरोपित शर्त के अनुसार जल संसाधन विभाग सागर की स्वीकृत परियोजना कैंथ मध्यम परियोजना में प्रभावित रकवा 79.912 हेक्टेयर वनभूमि की एवज में प्राप्त कुल 79.912 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 79.912 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक 21अ/19 (3) वर्ष 2017-18 पारित आदेश दिनांक 22.05.2018 से हस्तांतरित व नामांतरित किये जाने के कारण।

2) अन्य कार्यों का विवरण :- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के प्रतिवेदन क्रमांक 21अ/19 (3) वर्ष 2017-18 पारित आदेश दिनांक 22.05.2018 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है।

(ब) सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2022

क्र. एफ-25-14-2022-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-14-2022-दस-3, दिनांक 18 फरवरी 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 18th February 2022

No. F-25-14/2022/10-3 :: In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declares the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 24° 17' 02.0" to N 24° 17' 21.0" North Latitude and E 79° 09' 30.0" to E 79° 09' 51.0" East Longitude.

SCHEDULE

District - Sagar

Forest Division - North, Sagar (T.)

Tehsil - Shahgarh

Forest Range - Shahgarh

S. N.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Fulwari (A)	Fulwari	M.P. Govt. Forest Department	01	14.912	North :- Reserved Forest block 125 Shahgarh pillar No. 115 to 114. East :- Reserved Forest block 125 Shahgarh pillar No. 114 to proposed forest block New pillar No. 04 Artificial line. South :- Proposed Forest block New pillar No. 04 to Reserved Forest block 125 Shahgarh pillar No. 118 Artificial line. West :- Reserved Forest block 125 Shahgarh pillar No. 118 to 115.
			Total:-		14.912	

(A) Reason for Publication of Notification:-

1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment Forest and Climate Change Govt. of India's order. No.8-20/2018-FC Dated 30-10-2018 and in lieu of 79.912 hectare of affected forest land under the sanctioned project Construction of Kaith Medium Irrigation Project in favour Water Resources Department (M.P.) the above mentioned Non Forest Land of 79.912 hectare transferred or mutated in favour of M.P. Govt., Forest Department by Collector Sagar order No 21A/19(3) Year 2017-18 Dated 22-05-2018 for the purpose of compensatory afforestation.

2) Details of other Reasons :- Nil

3) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 21A/19(3) Year 2017-18 Dated 22-05-2018 of Revenue Collector District Sagar are as under.

(A) Rights of Individuals :- There are not rights of individuals.

(B) Rights of Communities :- There are not rights of communities.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

ASHOK KUMAR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2022

क्रमांक एफ-25-14/2022/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपगोदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N 24° 16' 32.0" से N 24° 17' 11.0" उत्तर अक्षांश तथा E 79° 09' 51.0" से E 79° 10' 32.0" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - सागर

वन मंडल - उत्तर सागर (सा.)

तहसील - शाहगढ़

वन परिक्षेत्र - शाहगढ़

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	फुलवारी (ब)	फुलवारी	म.प्र. शासन वन विभाग	43	65.00	<p><u>उत्तर</u> :- आरक्षित वनखण्ड 125 शाहगढ़ के मुनारा क्रमांक 120 से प्रस्तावित वनखण्ड का नवीन मुनारा क्रमांक 03 तक।</p> <p><u>पूर्व</u> :- प्रस्तावित वनखण्ड का नवीन मुनारा क्रमांक 03 से 08 तक कृत्रिम सीमा।</p> <p><u>दक्षिण</u> :- प्रस्तावित वनखण्ड का नवीन मुनारा क्रमांक 08 से आरक्षित वनखण्ड 125 शाहगढ़ के मुनारा क्रमांक 122 तक कृत्रिम सीमा।</p> <p><u>पश्चिम</u> :- आरक्षित वनखण्ड 125 शाहगढ़ का मुनारा क्रमांक 122 से 120 तक।</p>
			Total		65.00	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-20/2018-FC दिनांक 30-10-2018 में अधिरोपित शर्त के अनुसार जल संसाधन विभाग सागर की स्वीकृत परियोजना कैथ मध्यम परियोजना में प्रभावित रकबा 79.912 हेक्टेयर वनभूमि की एवज में प्राप्त कुल 79.912 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 79.912 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक 21अ/19 (3) वर्ष 2017-18 पारित आदेश दिनांक 22.05.2018 से हस्तांतरित व नामांतरित किये जाने के कारण।

2) अन्य कार्यों का विवरण :- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के प्रतिवेदन क्रमांक 21अ/19 (3) वर्ष 2017--18 पारित आदेश दिनांक 22.05.2018 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है।

(ब) सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2022

क्र. एफ-25-14-2022-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-14-2022-दस-3, दिनांक 18 फरवरी 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 18th February 2022

No. F-25-14/2022/10-3 :: In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act.. 1927 (XVI of 1927). the State Government are pleased to declares the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 24° 16' 32.0" to N 24° 17' 11.0" North Lattitude and E 79° 09' 51.0" to E 79° 10' 32.0" East Longitude.

SCHEDULE

District - Sagar

Forest Division - North, Sagar (T.)

Tehsil - Shahgarh

Forest Range - Shahgarh

S. N.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Fulwari (B)	Fulwari	M.P. Govt. Forest Department	43	65.00	<p>North :- Reserved Forest block 125 Shahgarh pillar No. 120 to Proposed Forest block New pillar No. 03.</p> <p>East :- Proposed Forest block New pillar No. 03 to 08 Artificial line.</p> <p>South :- Proposed Forest block New pillar No. 08 to Reserved Forest block 125 Shahgarh pillar No. 122 Artificial line.</p> <p>West :- Reserved Forest block 125 Shahgarh pillar No. 122 to 120.</p>
			Total:-		65.00	

(A) Reason for Publication of Notification:-

1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment Forest and Climate Change Govt. of India's order, No.8-20/2018-FC Dated 30-10-2018 and in lieu of 79.912 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Kaith Medium Irrigation Project Construction in favour Water Resources Department (M.P.) the above mentioned Non Forest Land of 79.912 hectare transferred or mutated in favour of M.P. Govt., Forest Department by Collector Sagar order No 21A/19(3) Year 2017-18 Dated 22-05-2018 for the purpose of compensatory afforestation.

2) Details of other Reasons :- Nil

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 21A/19(3) Year 2017-18 Dated 22-05-2018 of Revenue Collector District Sagar are as under.

(A) Rights of Individuals :- There are not rights of individuals.

(B) Rights of Communities :- There are not rights of communities.

Therefore the above land is being declared as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

ASHOK KUMAR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2022

क्रमांक-एफ-25-74/2019/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद, द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है। यह वनखण्ड भाग-एक N- 22°4'8.484" से N-22°4'18.465", उत्तर अक्षांश तथा E- 74°26'11.072" से E-74°26'38.038" एवं भाग-दो N- 22°4'19.039" से N- 22°4'.21.355" उत्तर अक्षांश तथा E- 74°26'43.575" से E-74°26'57.478" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला :- अलीराजपुर
वनमंडल :- अलीराजपुर

तहसील :- सोण्डवा
वनपरिक्षेत्र :- सोण्डवा

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड की सीमायें
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	झण्डाना (भाग-1)	झण्डाना	पहाड	7 45	7.068 3.105	उत्तर - मुनारा क्र. 01 से 65 की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - मुनारा क्रमांक 65 से 34 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण - मुनारा क्रमांक 34 से 2 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम - मुनारा क्रमांक 2 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा।
2	झण्डाना (भाग-2)	झण्डाना	पहाड	45	6.827	उत्तर - मुनारा क्र. 64 से 57 की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - मुनारा क्रमांक 57 से 56 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण - मुनारा क्रमांक 56 से 36 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम - मुनारा क्रमांक 36 से 64 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग :-	17.00	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार —

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक F.NO. 6-MPC 019/2018-BHO/142 दिनांक 07.05.2018 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-16 कुक्षी जिला धार की स्वीकृत परियोजना अलीराजपुर उददवहन सिंचाई में प्रभावित 14.958 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में अनुसूची में दर्शित प्राप्त कुल 17.00 हेक्टेयर गैर वन भूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला अलीराजपुर के आदेश क्रमांक/694 /रीडर/2018 दिनांक 15.02.2018 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण — निरंक

(ख) अनुसूची में दर्शित उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी, सोण्डवा के प्रतिवेदन क्रमांक 8 दिनांक 08.01.2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

(ब) सामुदायिक अधिकार :- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2022

क्र. एफ-25-99-2022-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-99-2021-दस-3, दिनांक 24 फरवरी 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 24th February 2022

No.-F-25-74/2019/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927, (XVI of 1927) the state Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the areas, specified in the schedule below. This Forest Block (Part-1) lies between N- 22°4'8.484" to N-22°4'18.465", North Latitude and E- 74°26'11.072" to E-74°26'38.038" East Longitude and Block (Part-2) lies between N- 22°4'19.039" to N-22°4'.21.355" North Latitude and E- 74°26'43.575" to E-74°26'57.478" East Longitude.

SCHEDULE

District – Alirajpur

Tehsil – Sondwa

Forest Division – Alirajpur

Forest Range - Sondwa

Details of Land Included						
S. No.	Name of Forest Block	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	Forest Block Boundaries
1	2	3	4	5	6	7
1	Jhandana (Part-1)	Jhandana	Hill.	7 45	7.068 3.105	North- Artificial forest boundary Pillar No. 1 to 65. East - Artificial forest boundary Pillar No. 65 to 34. South- Artificial forest boundary Pillar No. 34 to 2. West- Artificial forest boundary Pillar No. 2 to 1.
2	Jhandana (Part-2)	Jhandana	Hill.	45	6.827	North- Artificial forest boundary Pillar No.64 to 57. East - Artificial forest boundary Pillar No. 57 to 56. South- Artificial forest boundary Pillar No. 56 to 36. West- Artificial forest boundary Pillar No. 36 to 64.
				Total	17.00	

(A) Reason for publication of notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's letter F.NO. 6-MPC 019/2018-BHO/142 07-05-2018 dated 07-05-2018 and in lieu of 108 hectare of affected forest land under the sanctioned project of ALIRAJPUR LIFT IRRIGATION SCHEME (underground pipeline) of Executive Engineer Narmada Valley Development Authority in Alirajpur, the above mentioned Non Forest Land of 14.958 hectare transferred or mutated in favour of M.P. Govt., Forest Department by Collector Alirajpur order no. 694 dated 15.02.2018 for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons – Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land mentioned in schedule as per report No. 8 dated 08-01-2016 of Sub Divisional Magistrate, Sondwa are as under.

1. Individual Rights - There are no individual rights on the said land.
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land.

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

ASHOK KUMAR, Addl. Secy.

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2022

क्र.गन्ना-एस-3-क्षि.आर-डोलेक्स-2021-22-931.—मध्यप्रदेशगन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15, 16 एवं 17 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं, प्रीति मैथिल नायक, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2021-22 हेतु डोलेक्स एग्रोटेक प्रा.लि., ग्राम-एरई, तहसील-बडौनी, जिला-दतिया (म.प्र.) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 840-841, दिनांक 6 फरवरी 2021 में निम्नानुसार जिला/तहसील/ ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को सम्मिलित कर रक्षित घोषित करती हूँ :-

क्र.	जिला	तहसील	विकासखण्ड	ग्राम	कारखाने से सड़क दूरी (किमी)	आरक्षित क्षेत्रफल (हे. में.)		
						रोपा	जड़ी	कुल रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	शिवपुरी	नरवर	नरवर	रायपहाड़ी	14.50	3.50	4.58	8.08
2	शिवपुरी	नरवर	नरवर	अन्दोरा	14.50	3.70	2.71	6.41
3	शिवपुरी	नरवर	नरवर	जरगवां	15.00	6.50	7.00	13.50
4	शिवपुरी	नरवर	नरवर	रोनीजा	22.00	3.94	2.26	6.20
5	शिवपुरी	नरवर	नरवर	सुनारी	16.00	2.30	3.30	5.60
6	शिवपुरी	नरवर	नरवर	भैंसा	21.00	1.90	2.02	3.92
7	शिवपुरी	नरवर	नरवर	दोनी	20.00	7.85	9.25	17.10
8	शिवपुरी	नरवर	नरवर	देहरेटा सानी	23.50	6.50	8.50	15.00
9	शिवपुरी	नरवर	नरवर	कल्याणपुर	20.00	4.00	6.67	10.67
10	शिवपुरी	नरवर	नरवर	गोकंदा	21.00	2.25	5.01	7.26
11	शिवपुरी	नरवर	नरवर	लेदा	25.80	2.00	3.25	5.25
12	शिवपुरी	नरवर	नरवर	छापर मडैया	27.00	1.50	3.30	4.80
13	शिवपुरी	नरवर	नरवर	टोरियाकला	27.50	1.00	2.10	3.10
14	शिवपुरी	नरवर	नरवर	दिहायला	25.00	2.25	3.25	5.50
योग :-						49.19	63.20	112.39

यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

क्र.गन्ना-एस-3-क्षि.आर-पार्वती-2021-22-929.—मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15, 16 एवं 17 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं, प्रीति मैथिल नायक, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2021-22 हेतु पार्वती स्वीटनर्स एण्ड पॉवर लिमि., ग्राम- सांखनी, जिला- ग्वालियर (म.प्र.) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 866-867 दिनांक 06.12.2021 में निम्नानुसार जिला/ तहसील/ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को सम्मिलित कर रक्षित घोषित करती हूँ :-

क्र.	जिला	तहसील	विकासखण्ड	ग्राम	कारखाने से सड़क दूरी (किमी)	पौधा हे.	जड़ी हे.	कुल योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	शिवपुरी	नरवर	नरवर	दबरा-सानी	17	37.80	50.52	88.32
2	शिवपुरी	नरवर	नरवर	भीमपुर	40	0.33	0.23	0.56
3	शिवपुरी	नरवर	नरवर	हरसी	30	0.36	0.00	0.36
4	शिवपुरी	नरवर	नरवर	केरूआ	32	13.55	5.02	18.57
5	शिवपुरी	नरवर	नरवर	ठाठी	40	0.18	1.23	1.41
6	शिवपुरी	नरवर	नरवर	धोवट	23	9.68	5.33	15.01
7	शिवपुरी	नरवर	नरवर	निजामपुर	35	2.81	0.00	2.81
8	शिवपुरी	नरवर	नरवर	पनानेर	25	0.60	0.00	0.60
9	शिवपुरी	नरवर	नरवर	खिरिया	24	0.90	0.00	0.90
10	शिवपुरी	नरवर	नरवर	लोढी	23	15.59	7.10	22.69
11	शिवपुरी	नरवर	नरवर	बेलगड़ा	26	0.34	0.00	0.34
12	शिवपुरी	नरवर	नरवर	इमिलिया	30	1.21	0.00	1.21
13	शिवपुरी	नरवर	करेरा	पपरेडू	17	153.76	106.36	260.12
योग						237.11	175.79	412.90

यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

प्रीति मैथिल नायक, गन्ना आयुक्त.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 384-भू-अर्जन-2022 प्र. क्र. 08-अ-82-21-22

रतलाम, दिनांक 8 फरवरी 2022

(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन पुर्नवासान और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 कमांक 30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 01 में रिंग रोड योजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम खेतलपुर, बंजली, करमदी, मांगरोल, खाराखेडी, सागोद, हरथली, जुलवानिया, मथुरी, बिबडौद तहसील रतलाम जिला रतलाम की प्रभावित निजि भूमि जिराका कृषक एवं सर्वे कमांक विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतःभूमि अर्जन पुर्नवासान और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम खेतलपुर

तहसील रतलाम शहर (मध्य भाग)

क	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर में			कुल
		ग्राम का नाम	सिंचित	असिंचित	
1	रिंग रोड योजना में अधिग्रहित भूमि से प्रभावित होने से	ग्राम खेतलपुर	2.170	0	2.170
2		ग्राम बंजली	1.440	0	1.440
3		ग्राम करमदी	3.305	0	3.305
4		ग्राम मांगरोल	1.970	0	1.970
5		ग्राम खाराखेडी	0.810	0	0.810
6		ग्राम सागोद	3.235	0.180	3.415
7		ग्राम हरथली	3.080	0	3.080
8		ग्राम जुलवानिया	2.190	0.680	2.870
9		ग्राम मथुरी	2.130	0	2.130
10		ग्राम बिबडौद	2.160	0.130	2.290

अनुसूची (2)

रिंग रोड योजना अन्तर्गत प्रभावित ग्राम खेतलपुर की प्रभावित भूमि का

विवरण :-

ग्राम :- खेतलपुर

क.	कृषक का नाम व पिता का नाम	खसरा कमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	आशीष, प्रकाश रीना पिता रमणीकलाल डांगी नि०रतलाम	136/2	0.400	0	0.400	0.010	0	0.010
2	आशीष, प्रकाश रीना पिता रमणीकलाल डांगी नि०रतलाम	137	0.400	0	0.400	0.090	0	0.090
3	धर्मेन्द्र कुमार पिता बाबुलाल नि० सागोद	157/5	1.400	0	1.400	0.700	0	0.700
4	जगदीश पिता उंकारलाल धाकड नि० ग्राम खेतलपुर	158/2	1.750	0	1.750	0.010	0	0.010
5	कैलाशचन्द्र पिता नाथुलाल जाति धाकड निवासी खेतलपुर	190/2	2.000	0	2.000	0.240	0	0.240
6	जमुनालाल पिता हरीराम जाति बंजारा नि० रतलाम	190/4/2	0.200	0	0.200	0.050	0	0.050
7	देवीबाई पति रामचन्द्र जाति धाकड नि०सागोद	194	2.180	0	2.180	0.050	0	0.050
8	कन्हैयालाल पिता बगदीराम जाति धाकड	195/1	0.800	0	0.800	0.130	0	0.130
9	रामकिशन, रामचन्द्र पिता लक्ष्मण धाकड निवासी ग्राम सागोद	196	1.000	0	1.000	0.070	0	0.070
10	कैलाश दत्तक पुत्र नारायण जाति धाकड निवासी सागोद	212	1.550	0	1.550	0.170	0	0.170
11	हरीराम पिता मनीराम जाति धाकड निवासी सागोद	213/2	1.400	0	1.400	0.160	0	0.160
12	संजय पिता भेरूलाल सोलंकी जाति खटीक निवासी लक्कडपीठा	214/1/ गिन.1	0.920	0	0.920	0.050	0	0.050

13	बलवीरसिंह पिता सेवासिंह राठौर निवासी रतलाम	219/2	1.800	0	1.800	0.100	0	0.100
	सुभाष व मुकेश पिता रामकिशन जाति धाकड नि० रतलाम	220	1.120	0	1.120	0.040	0	0.040
15	कारूलाल पिता बगदीराम धाकड निवासी साकिनदेह	229	1.280	0	1.280	0.040	0	0.040
16	मन्नालाल पिता रतनलाल पाटीदार निवासी रतलाम	230/1/1	0.700	0	0.700	0.060	0	0.060
17	रामप्रसाद पिता कानजी जाति धाकड निवासी रतलाम	230/1/2	0.400	0	0.400	0.015	0	0.015
18	सीताबाई पति बलवन्त जाति धाकड	230/2	0.050	0	0.050	0.005	0	0.005
19	शकुन्तला पति रामप्रसाद धाकड	230/3	0.800	0	0.800	0.010	0	0.010
20	दयाराम पिता जवरचन्द जाति धाकड निवासी सागोद	232/1	6.000	0	6.000	0.150	0	0.150
21	नन्दलाल, कैलाश पिता नाथु जाति धाकड निवासी सागोद	232/2	6.000	0	6.000	0.020	0	0.020

ग्राम बंजली

1	विक्रमसिंह, दयालसिंह बालुसिंह, प्रेमसिंह, लोकेन्द्रसिंह, प्रहलादसिंह, भँवरकुंवर, गोविन्दकुंवर, निभानकुंवर	113	0.450	0	0.450	0.040	0	0.040
2	भूरालाल पिता नाथुजी जाति भील	114/1	0.130	0	0.130	0.080	0	0.080
3	शांतिलाल, विजय, कारूलाल, राजेश, राजुबाई, दुर्गाबाई, कारीबाई, राधाबाई पिता कचरूलाल, पुनीबाइ बेवा	114/2	0.140	0	0.140	0.050	0	0.050

4	आरेफा सुल्ताना पति इफ्फतेखार अहमद निवारी 23 राजेन्द्र नगर रतलाम	115	0.300	0	0.300	0.010	0	0.010
5	टमाकुंवर, गट्टुकुंवर पिता भेरुसिंह पदमकुंवर बेवा भेरुसिंह राजपूत	117 / 1	0.280	0	0.280	0.010	0	0.010
6	अनुराधा पति नरपतसिंह सिसौदिया	117 / 2	0.200	0	0.200	0.110	0	0.110
7	टमाकुंवर, गट्टुकुंवर पिता भेरुसिंह राजपूत	124 / 1	0.930	0	0.930	0.180	0	0.180
8	माणुसिंह, विक्रमसिंह, रेशमकुंवर, प्रेमकुंवर, सोनियाकुंवर पिता दशरथसिंह राजपूत,	118	0.050	0	0.050	0.030	0	0.030
9	दरबारसिंह, कारूसिंह, अनारसिंह, ईश्वरसिंह, भगवानसिंह पिता जुझारसिंह, प्रेमकुंवर बेवा जुझारसिंह	124 / 2	0.930	0	0.930	0.180	0	0.180
10	भेरुलाल पिता कचरू जाति गायरी	125	0.530	0	0.530	0.110	0	0.110
11	भारतसिंह, राधेश्याम, गेन्दालाल, मीठाबाई पिता नरसिंह, शैतानबाई बेवा नरसिंह हि 5/6 कन्हैयालाल	126 / 3	0.420	0	0.420	0.010	0	0.010
12	टमाकुंवर, गट्टुकुंवर पिता भेरुसिंह राजपूत	148	0.280	0	0.280	0.090	0	0.090
13	टमाकुंवर, गट्टुकुंवर पिता भेरुसिंह राजपूत	149	0.180	0	0.180	0.120	0	0.120
14	दरबारसिंह, कारूसिंह, अनारसिंह, ईश्वरसिंह, भगवानसिंह पिता जुझारसिंह, प्रेमकुंवर बेवा जुझारसिंह	151 / 2	1.670	0	1.670	0.170	0	0.170
15	बालाराम पिता गोर्धन जाट	153 / 2	1.250	0	1.250	0.080	0	0.080
16	गुन्नालाल पिता केशरलाल जाट	153 / 1	1.250	0	1.250	0.070	0	0.070
17	हरीराम पिता केशरलाल जाट	153 / 4	1.250	0	1.250	0.100	0	0.100

ग्राम करमदी:-

1	नाथीबाईपिता मांगलिया भील	549/1/3	1.000	0	1.000	0.08	0	0.08
2	रामा पिता गोबा, धुरीबाई पिता गोबा भील	549/1/4	0.700		0.700	0.150	0	0.150
	ईश्वरलाल, चम्पाबाई, कलाबाई पिता शंकरलाल भील	549/8	1.600	0	1.600	0.150	0	0.150
4	केलाश पिता गोविन्दराम, मन्नालाल पिता लक्ष्मीनारायण कुलम्बी नि.तितरी	549/11	0.600	0	0.600	0.080	0	0.080
5	धर्मराज पिता जवाहरलाल कुलम्बी निवासी आलनिया	589/4	0.950	0	0.950	0.025	0	0.025
6	सोहनलाल पिता संकारलाल कुलम्बी	589/1/1	1.900	0	1.900	0.200	0	0.200
7	चम्पालाल, मैनाबाई भागवतीबाई पिता रमेश मांगुबाई बेवा रमेश भेरू, शिवा कालु पिता पूजा भील	580/3	1.2	0	1.2	0.28	0	0.28
8	मांगीलाल पिता छोगालाल नि.तितरी	585/1	1.22	0	1.22	0.35	0	0.35
9	रतनलाल पिता बगदीराम कुलम्बी	584	2.62	0	2.62	0.23	0	0.23
10	धन्नालाल पिता नानुराम कुलम्बी	580/1	1.1	0	1.1	0.36	0	0.36
11	मेरार्स सुगन रियल इस्टेट द्वारा भागीदार प्रवीण पिता कांतिलाल कटारिया नि.रतलाम	580/1/1	1	0	1	0.06	0	0.06
12	मांगीलाल पिता बगदीराम सीताबाई, श्यामुबाई पिता बगदीराम बलाई	571	2.58	0	2.58	0.16	0	0.16
13	रुकमणीदेवी पति अनोखीलाल दुबे निवासी रतलाम	570/1/3	1.4	0	1.4	0.38	0	0.38
14	रामेश्वर पिता बालाराम कुलम्बी	570/2	0.51	0	0.51	0.05	0	0.05
15	रामेश्वर पिता बालाराम कुलम्बी	564/1	2.13	0	2.13	0.32	0	0.32
16	रामेश्वर पिता बालाराम कुलम्बी	561/3	0.68	0	0.68	0.07	0	0.07

17	लक्ष्मीबाई पति नरेन्द्र कुमार कुलम्बी	562	1.81	0	1.81	0.36	0	0.36
----	---------------------------------------	-----	------	---	------	------	---	------

ग्राम मांगरोल :-

1	गदिर श्री भगवती माता स्थित ग्राम मांगरोल	6	9.100	0	9.100	0.560	0	0.560
2	गणेश पिता पीरा जाति भील नि० मांगरोल	22/2	1.270	0	1.270	0.250	0	0.250
3	सुखराम, गंगाराम, रतन, गिरधारी पिता बगदीराम कायेरीबाई धुरीबाई पिता बगदीराम नन्दीबाई, हुरजीबाई बेवा बगदीराम, रामप्रसाद, मुकेश पिता भेरूलाल श्यामुबाई.	23	2.400	0	2.400	0.170	0	0.170
4	बाबुलाल, बद्रीलाल पिता वंदा जाति भील नि० मांगरोल	43/6	0.160	0	0.160	0.030	0	0.030
		73	1.200		1.200	0.120		0.120
5	रामचन्द्र पिता गणेश जाति भील नि० मांगरोल	47/3	0.630	0	0.630	0.270	0	0.270
6	मांगीलाल पिता गोपाल व कन्हैयालाल जगदीश पिता मांगीलाल जाति प्रजापत नि० रतलाम	49	2.210	0	2.210	0.220	0	0.220
7	इन्द्राकृवर पति पर्वतसिंह जाति राजपूत निवासी सज्जनपाडा	50	2.150	0	2.150	0.280	0	0.280
8	बाबु, मोहन पिता वरदा स्त्रीमा, झमक, बीजल, सोहन पिता शोभाराम, गीताबाई बेवा शोभाराम, कंचन पति गांडी काली पति मांगू, सज्जन नरसिंग, केहरींग पिता शीवा जाति भील नि. मांगरोल	74	0.400	0	0.400	0.070	0	0.070

ग्राम खाराखेडी :-

1	गुडडीबाई पति लोगाजी जाति सपेरा निवासी ग्राम खाराखेडी	30/1	1.420	0	1.420	0.180	0	0.180
---	--	------	-------	---	-------	-------	---	-------

2	हरिराम पिता घासी जाति भील निवासी ग्राम खाराखेडी	31	2.690	0	2.690	0.310	0	0.310
		35/1	1.360		1.360	0.240		0.240
		37	0.650		0.650	0.080		0.080

ग्राम सागोद :-

1	बलवीरसिंह पिता सेवासिंह राठौर राजपूत निवासी 22 डालुमोदी बाजार रतलाम	100	2.610	0	2.610	0.250	0	0.250
2	कमलसिंह पिता गोतीसिंह राजपूत निवासी ग्राम भूमिस्वामी	101/1/1	0.910	0	0.910	0.030	0	0.030
3	बलवीरसिंह पिता सेवासिंह राठौर राजपूत निवासी 22 डालुमोदी बाजार रतलाम	0101/1/ 2	0.400	0	0.400	0.015	0	0.015
4	बलवीरसिंह पिता सेवासिंह राठौर राजपूत निवासी 22 डालुमोदी बाजार रतलाम	101/2	0.400	0	0.400	0.050	0	0.050
5	केसुराम पिता लक्ष्मण धाकड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	103/1	1.070	0	1.070	0.060	0	0.060
6	उंकारलाल पिता चम्पालाल धाकड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	85	0.790	0	0.790	0.360	0	0.360
7	बंसतीलाल पिता रागरतन धाकड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	96	1.030	0	1.030	0.010	0	0.010
8	मांगीलाल, ओमप्रकाश पिता रामकिशन वगैरह अन्य 2 धाकड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	88/3	0.790	0	0.790	0.280	0	0.280
9	शंवरलाल पिता सालागराम धाकड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	95/2	0.180	0	0.180	0.030	0	0.030
10	शंवरलाल पिता सालागराम धाकड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	95/3	0.180	0	0.180	0.040	0	0.040
11	अनिता पति अमित नागर जाति ब्राह्मण नि0काटजू नगर रतलाम	95/4	0.190	0	0.190	0.060	0	0.060
12	जगदीश पिता मांगीलाल धाकड़ नि0ग्राम भूमिस्वामी	200/1	0.520	0	0.520	0.130	0	0.130

13	भंवरलाल, ओगप्रकाश पिता सालागराम धाकड नि० ग्राम भूमिस्वामी	200 / 2	0.260	0	0.260	0.010	0	0.010
14	नन्दलाल पिता नाथुराम धाकड नि०ग्राम भूमिस्वामी	203	0.770	0	0.770	0.110	0	0.110
15	रवि पिता जगदीश पवार नगौराह-1 निवासी	0211 / 1 / 2	0.500	0	0.500	0.060	0	0.060
16	बदीलाल पिता हरिराम धाकड नि० भूमिस्वामी	212	0.270	0	0.270	0.010	0	0.010
17	जगदीश पिता पन्नालाल धाकड नि० ग्राम भूमिस्वामी	213	0.360	0	0.360	0.070	0	0.070
18	नन्दलाल पिता नाथूराम धाकड निवासी ग्राम भूमिस्वामी	214	0.270	0	0.270	0.150	0	0.150
19	नन्दलाल पिता नाथूराम धाकड निवासी ग्राम भूमिस्वामी	215	0.470	0	0.470	0.050	0	0.050
20	भंवरलाल पिता सालगराम धाकड नि० ग्राम भूमिस्वामी	232	0.280	0	0.280	0.030	0	0.030
21	मांगीलाल दत्तक पुत्र भग्गा निवासी ग्राम भूमिस्वामी	233	0.280	0	0.280	0.110	0	0.110
22	कमल पिता नन्दलाल धाकड निवासी ग्राम भूमिस्वामी	235 / 2	0.100	0	0.100	0.020	0	0.020
23	कैलाश दत्तक पुत्र नारायण धाकड निवासी ग्राम भूमिस्वामी	242	0.500	0	0.500	0.080	0	0.080
24	कमलाबाई पति नानुराम जाटवा निवासी ग्राम घटवास भूमिस्वामी	243	0.200	0	0.200	0.090	0	0.090
25	नन्दलाल पिता नाथूराम धाकड निवासी ग्राम भूमिस्वामी	240 / 1	0.220	0	0.220	0.120	0	0.120
26	नन्दलाल पिता नाथूराम धाकड निवासी ग्राम भूमिस्वामी	240 / 2	0.220	0	0.220	0.110	0	0.110
27	रामनारायण पिता केसर गुर्जर निवासी ग्राम भूमिस्वामी	0249 / 1 / 1	1.300	0	1.300	0.350	0	0.350
28	संगीता पति राजेश शर्मा नि० 36 / 1 बाहम्पों का वास रतलाम	290 / 1	0.580	0	0.580	0.090	0	0.090

29	शंकरलाल पिता नानुराग वगैराह माली नि० रतलाम	289/1	1.610	0	1.610	0.120	0	0.120
30	राजकुमारी पति मोहनलाल पिरोदिया नि० चोंदनी चौक रतलाम	294/2	0.330	0	0.330	0	0.05	0.05
31	नरेन्द्र कुमार पिता भगवानदास गमतानी वगैरह नि० काटजुनगर रतलाम	295/1	0.200	0	0.200	0	0.04	0.04
32	राजेन्द्र पिता रामेश्वर शर्मा नि० 59 टीआईटी रोड रतलाम	295/2	0.070	0	0.070	0	0.06	0.06
33	फिरोज हुसैन, सौ फुसददीन, शब्बीर हुसैन पिता नाहर अली वगैराह अन्य 2 निवासी रतलाम	295/4	0.050	0	0.050	0	0.03	0-03
34	दिव्या देवी पति ललितकुमार पगारिया निवासी 30 बजाजखाना रतलाम	303/2	0.580	0	0.580	0.060	0	0.060
35	दिव्या देवी पति ललितकुमार पगारिया निवासी 30 बजाजखाना रतलाम	297/2	0.350	0	0.350	0.050	0	0.050
36	दिव्या देवी पति ललितकुमार पगारिया निवासी 30 बजाजखाना रतलाम	0302/1/ 2	0.470	0	0.470	0.030	0	0.030
37	शारदा पति कन्हैयालाल गुर्जर वगैराह 4 निवासी रतलाम	302/1/1 /1	0.500	0	0.500	0.020	0	0.020
38	समरथ पिता मोहनलाल गुर्जर निवासी ग्राम भूमिसस्वामी	302/1/1 /2	1.240	0	1.240	0.080	0	0.080
39	जगदीश पिता मोहनलाल गुर्जर निवासी ग्राम भूमिसस्वामी	302/1/1 /3	1.240	0	1.240	0.100	0	0.100

ग्राम हरथली :-

1	हरूपी पति थावर शम्भुलाल पिता रूपा व ना.बा.देवराग नानालाल पिता रूपा स.प. भाई शम्भुलाल पिता रूपा भील	37	1.220	0	1.220	0.240	0	0.240
---	---	----	-------	---	-------	-------	---	-------

2	गंगाबाई पति गंगाराम भील	97	1.450	0	1.450	0.230	0	0.230
3	शम्भुलाल, देवराम, नानाल ल, नानुबाई पिता भेरा भील	98 / 355	0.130	0	0.130	0.100	0	0.100
4	नीहरू, जमना पिता थावरिया कालीबाई बेवा थावरिया सोमला नरसिंह नराण पिता धन्ना समुन्दी बेवा धन्ना भील	133	0.230	0	0.230	0.070	0	0.070
5	गागीलाल पिता सुकला भील	134	1.150	0	1.150	0.200	0	0.200
6	चंदुलाल, बालु धन्ना पिता हीरालाल वगैराह	135 / 1	0.260	0	0.260	0.080	0	0.080
7	गदन पिता थावरिया लक्ष्मण पिता बाबु, प्रकाश, कालु उर्फ बंशी पिता शोभाराम, कन्हैया दशरथ, अम्बुडी पिता गोतीलाल, नाथीबाई बेवा गोतीलाल	186	0.590	0	0.590	0.160	0	0.160
8	रायरा बानो पति एहमद खाँ	187 / 2, 187 / 3	1.120	0	1.120	0.250	0	0.250
9	मांगीलाल पिता सुकला भील	187 / 1	0.100	0	0.100	0.030	0	0.030
10	रामा पिता गलिया भी	198 / 1	0.430	0	0.430	0.100	0	0.100
11	कालु, शांतिलाल, सोहनबाई, धुलीबाई, कमलाबाई, पिता नरसिंह	198 / 2	0.460	0	0.460	0.070	0	0.070
12	राधेश्याम पिता गलिया	200 / 2	1.030	0	1.030	0.170	0	0.170
13	नरेश, नंदराम, प्रकाश पिता नंदराम, बंसतीबाई पिता नन्दराम, कैलाश भुवान, महेश, मांगु बाई कस्तुरीबाई, शांतिबाई, गंगाबाई पिता भुवान	200 / 5	0.600	0	0.600	0.100	0	0.100
14	हुसैन खान पिता भूरे खाँ	218 / 2 218 / 5	0.900	0	0.900	0.300	0	0.300
15	रज्जाक पिता भूरे खाँ	218 / 4	0.900	0	0.900	0.070	0	0.070
16	रत्नादीप पिता विनोद कुमार निगम	219 / 2	1.400	0	1.400	0.220	0	0.220
17	मांगीलाल पिता धुलचन्द कुलम्बी	217 / 2	1.850	0	1.850	0.350	0	0.350

18	लक्ष्मीनारायण पिता कनीराम तेली	219/3/1	1.200	0	1.200	0.210	0	0.210
19	अनीस खॉ रईस खॉ पिता वाहिद खॉ नूरजहाँ बेवा वाहिद खान नजमा बाई पिता वाहिद खान फारुख खान शेरु जाकिर पिता छोटे खान	197	0.470	0	0.470	0.090	0	0.090
20	होगा, सुखराम पिता बगदिया, राजु, जितेन्द्र पिता बद्री, विष्णुडी, राधा, लक्ष्मी पिता बद्री, लीलाबाई बेवा बद्री, पवन, पंकज पिता जगदीश, गुलाब बाई बेवा बगदिया	89/2	0.210	0	0.210	0.040	0	0.040

ग्राम जुलवानिया

1	रुखगाबाई पति कांतिलाल ब्राह्मण	285	2.950	0	2.950	0.400	0	0.400
2	रुखगाबाई पति कांतिलाल जाति ब्राह्मण हिस्सा 1.300 भाग जितेन्द्र पिता ओमप्रकाश हाडा 0.300 ओमप्रकाश पिता माधवलाल पण्ड्या हि. 0.100 जानकीदेवी पति माधवलाल शर्मा हि. 0.300 अमितसिंह पिता गनीहरसिंह यादव हिस्सा 0.100 भूमिस्वामी	286/1	2.100	0	2.100	0.060	0	0.060
3	रूपम पति दीपक अग्रवाल निवासी महर्षि दयानंद मार्ग रतलाम	287/1/1	0	0.230	0.230	0	0.100	0.100
4	रमीला पति आदेश जैन संध्या पति प्रमोद कुमार रंका	287/1/2	0.050	0	0.050	0	0.030	0.030
5	शाहिद हुसैन पिता गफुर खॉ मुसलमान	287/1/3	0.050	0	0.050	0	0.030	0.030
6	मोहम्मद गनी पिता अब्दुल शकूर गनी	287/1/4	0.050	0	0.050	0	0.030	0.030
7	बंशीधर पिता गेंदालाल सोलंकी	287/1/5	0.050	0	0.050	0	0.020	0.020

8	असीम पिता भुवेन्द्र पाण्डे जाति ब्राह्मणअमरेन्द्रसिंह पिता दुंगपालसिंह राजपुत्र	287 / 1 / 6	0.050	0	0.050	0	0.010	0.010
9	ईकबाल बी पति अजीज गुसलमान	287 / 1 / 10	0.050	0	0.050	0	0.010	0.010
10	थावर पति पुन्जा भील	286 / 2	4.400	0	4.400	0.180	0	0.180
11	मुन्नीसिंह पिता मांगीलाल डागोर भील	305 / 1	0.510	0	0.510	0.100	0	0.100
12	रामसिंह पिता अम्बाराग भील	311 / 1 / 2	0.730	0	0.730	0	0.090	0.090
13	सोमबाई, उर्फ होगलीबाई बेवा नागु व रतनबाई, सुगनबाई शांतिबाई पिता नागु भील	306 / 1	0.200	0	0.200	0	0.020	0.020
14	डॉ० विजेन्द्र पिता मानसिंह डागोर भील	306 / 2	0.330	0	0.330	0.060	0	0.060
15	बाबु, कैलाश, राजु, कमलसिंह कांतीबाई पति जालु सुखराम रामचन्द्र सुंदरबाई पिता पुना भील	307	0.450	0	0.450	0.050	0	0.050
16	अजय पिता मोहनलाल जोतवानी जाति सिंधी	310 / 3	0.400	0	0.400	0	0.140	0.140
17	नंदीबाई पति शंकरलाल जाति भील	311 / 13	0.150	0	0.150	0.020	0	0.020
18	बाबु पिता पुना भील	260 / 1 / 3 / 1	1.000	0	1.000	0.140	0	0.140
19	मोहम्मद सिराज पिता मोहम्मद सुलतान	260 / 1 / 4	0.580	0	0.580	0.140	0	0.140
20	चम्पालाल, गोरघनलाल, पारीनाथ पिता भलजी, कैलाश, शैतान, रेशमबाई पिताभेरूलाल, नंदु, मुन्नालाल, वर्दी, सुगनकला, लछगी, हुमली, गंगा पिता कंवरलाल जाति भील	257 / 5	0.450	0	0.450	0.080	0	0.080
21	रमेश, कैलाश, सुमित्रा, रुकमा पिता मांगीलाल सीताबाई बेवा मांगीलाल जाट	200 / 4	0.380	0	0.380	0.080	0	0.080
22	पदमा पति अनिल निगम चन्द्रप्रकाश पिता सोमसिंह त्यागी	201 / 1 / 4	0.100	0	0.100	0	0.030	0.030

23	प्रवीण कुमार पिता दुर्गाप्रसाद वर्मा एवं चेतना पति रूपकुमार दुबे एवं सुमन पति शरद जोशी	201/1/7	0.150	0	0.150	0	0.020	0.020
24	अल्लानूर, बाबु पिता जुम्मा हुरा बेबी जुम्मा	202/1	1.740	0	1.740	0.080	0	0.080
25	अजय पिता मांगीलाल गरवाल भील	203	0.520	0	0.520	0.140	0	0.140
26	गोहम्मद नईम पिता अब्दुल गफुर जाति रंगरेज	204/1	1.070	0	1.070	0.200	0	0.200
27	सुभाष, सुगीत पिता फेसिस बारिया जाति भील	238/2	0.600	0	0.600	0.080	0	0.080
28	हुरजी, गोरू, लछमन पिता खीमा गोविन्द, गवरी, चन्दा कारी, विज्जा पिता कारू, लालू, कानुडी, रेशम पिता मानसिंह उर्फ मानिया जाति भील	237	1.050	0	1.050	0.050	0	0.050
29	वेलजी, मनजी पिता भेरा जाति भील	236	1.050	0	1.050	0.050	0	0.050
30	सरोज देवी पति राजेश जैन	235	0.600	0	0.600	0.110	0	0.110
31	कालीबाई, ग्यारसीबाई बेवा बालू, राजू, ईश्वर, भारत पिता बालू भील	233/1	1.450	0	1.450	0.150	0	0.150
32	कालीबाई, ग्यारसीबाई बेवा बालू, राजू, ईश्वर, भारत पिता बालू जाति भील	230	1.650	0	1.650	0.040	0	0.040
32	संदीप कुमार पिता प्रहलाद कसेरा, निर्मलाबाई पति गोपला	201/1/3 /1	0.050	0	0.050	0	0.020	0.020
33	गोहम्मद नवाब पिता फकीर गोहम्मद कुरेशी, गोहम्मद भादर कुरेशी पिता फकीर गोहम्मद कुरेशी	201/1/3 /1	0.050	0	0.050	0	0.020	0.020
34	मानसिंह पिता मांगीलाल डागोर जाति भील	257/10/2	0.200	0	0.200	0	0.050	0.050
35	नानुडी बेवा दीतु जाति भील	257/9	0.300	0	0.300	0	0.060	0.060

ग्राम गथुरी :-

1	भेरूलाल पिता नंदा तेली	193 / 1	0.390	0	0.390	0.105	0	0.150
2	मनीराम पिता नरसिंह पाटीदार	200	0.120	0	0.120	0.030	0	0.030
3	उंकारलाल पिता नानुराम पाटीदार	206 / 1	0.060	0	0.060	0.020	0	0.020
4	जगदीश पिता मनीराम पाटीदार	206 / 2	0.050	0	0.050	0.050	0	0.050
5	मांगीलाल दत्तक पुत्र भेरूलाल पाटीदार	201	0.390	0	0.390	0.040	0	0.040
6	मनीराम पिता नरसिंह पाटीदार	205	1.590	0	1.590	0.260	0	0.260
7	मनीराम पिता नरसिंह पाटीदार	203 / 2	0.040	0	0.040	0.005	0	0.005
8	मनीराम पिता नरसिंह पाटीदार	204 / 5	0.300	0	0.300	0.100	0	0.100
9	उच्छवलाल शंकरलाल, हीरालाल पिता अमृतलाल	204 / 9	0.100	0	0.100	0.020	0	0.020
10	दलीचंद पिता धिसा भील	11 / 3	0.100	0	0.100	0.090	0	0.090
11	बाबुलाल पित धिसा भील	22 / 1 / 1	0.330	0	0.330	0.015	0	0.015
12	रमेशचन्द्र पिता गंगाराम वगैराह निवासी रतलाम	22 / 2	1.370	0	1.370	0.150	0	0.010
13	बाबुलाल पिता धिसा भील	22 / 3	0.400	0	0.400	0.020	0	0.020
14	छोगालाल पिता पूना पाटीदार	30 / 1	0.700	0	0.700	0.050	0	0.050
15	रतनलाल पिता पूना पाटीदार	30 / 2	0.630	0	0.630	0.050	0	0.050
16	सूरजबाई बेवा कन्हैयालाल	246 / 1	0.690	0	0.690	0.210	0	0.210
17	अशोक आनंदीलाल पिता उंकार पाटीदार	190	0.720	0	0.720	0.210	0	0.210
18	गेंदालाल पिता बगदीराम पाटीदार	192	1.320	0	1.320	0.110	0	0.110
19	हीरालाल पिता अमृतराम पाटीदार	204 / 7	0.060	0	0.060	0.010	0	0.010
20	भागीरथ पिता उच्छवलाल पाटीदार	204 / 8	0.360	0	0.360	0.130	0	0.130
21	छोगालाल पिता उच्छवलाल पाटीदार	204 / 10	0.280	0	0.280	0.015	0	0.015

22	किशनलाल पिता आत्माराम	160	2.000	0	2.000	0.240	0	0.240
23	दलीचन्द पिता घिसा गील	22/4	0.300	0	0.300	0.100	0	0.100
24	तुलसीराम पिता नारायण गील	157	1.000	0	1.000	0.100	0	0.100

ग्राम विबडौद :-

	शारदाबाई पति केसरीभल महाजन जाति जैन नि० 51 गोशाला रोड	1013 1014	0.750 0.450	0	0.750 0.450	0.38 0.020	0	0.38 0.020
2	सुरेश पिता बशीलाल जाति गुर्जर निवासी बिबडौद	1012 1011	0.220 0.220	0	0.220 0.220	0.030 0.020	0	0.030 0.020
3	हरिओम पिता चमपालाल निवासी बिबडौद	997/1 999/3	0.500 0.200	0	0.500 0.200	0.100 0.100	0	0.100 0.100
4	पदमा पति बलवीरसिंह जाति रांतौर नि० डालुगोदी बाजाररतलाम	999/1 999/2	0.160 0.310	0	0.160 0.310	0.090	0.010	0.100
5	बशीलाल पिता गिरधारी जाति लोघा नि० बिबडौद	920	0.050	0	0.050	0.050	0	0.050
6	मांगीलाल पिता भेरुलाल जाति गुर्जर नि० बिबडौद	919	0.840	0	0.840	0.230	0	0.230
7	सुदर्शन, महेश, गायत्री ना.बा.पिता बालाराम, राजुबाईई बेवा बालाराम जाति बलाई नि.बिबडौद	79/1	0.310	0	0.310	0	0.120	0.120
8	कालु पिता अम्बाराम जाति गील नि० बिबडौद	1001/1	0.150	0	0.150	0.040	0	0.040
9	समरथ पिता अम्बाराम जाति गील निवासी बिबडौद	1001/2	0.150	0	0.150	0.070	0	0.070
10	बाबु पिता अम्बाराम निवासी बिबडौद	1001/3	0.140	0	0.140	0.070	0	0.070
11	मुकेश पिता अम्बाराम जाति गील नि बिबडौद	1001/4	0.150	0	0.150	0.070	0	0.070
12	रमणीकलाल पिता गोतीलाल डांगी जाति जैन, मायादेवी पति रमणीकलाल डांगी जाति जैन नि० 5 पोरकरी का वास रतलाम	1173 1179 1174/3 1183 1184 1185	0.75 0.0600 1.500 0.600 0.880 0.600	0	0.75 0.060 1.500 0.600 0.880 0.600	0.060 0.200 0.320 0.170 0.020 0.120	0	0.060 0.200 0.320 0.170 0.020 0.120

2. ग्राम का नक्शा व प्लान का निरीक्षण :- अनुविभागीय अधिकारी गू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड
रतलाम शहर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कुमार पुरुषोत्तम, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र. 939-भू-अर्जन-2022

सिवनी, दिनांक 15 फरवरी 2022

**प्रारूप II
(नियम 5(ii))**

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की थावरझोड़ी जलाशय परियोजना के बांध क्षेत्र में नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 6 के अंतर्गत सिचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होंगे। उपरोक्त के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार भोपाल द्वारा दिनांक 17/04/2015 को स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

- 1 ग्राम का नाम :- थावरझोड़ी प.ह.नं. :- 21 रा.नि.मं. :- बादलपार तहसील :- कुरई जिला :- सिवनी
2 अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल :- 0.78 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण क्रमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के क्षेत्रफल (हे० मं०)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचन	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रगति किस्म	संख्या	प्रकार	स्थिति एरिया
1	243/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.24	मन्ता ध.प.स्व. झून्नु दीपू रणजीत राजाराम(अ) पिता झून्नु पालक मां मान्तागोड जाति गोड नि.ग्रा भूमिस्वामी	म.प्र.शासन नाला	बाबूलाल पिता कपूरचंद जाति गोड की भूमि	मन्ता ध.प.स्व. झून्नु बगैरह की शेष भूमि	मन्ता ध.प.स्व. झून्नु बगैरह की शेष भूमि	-	-	-	-
2	243/5	भूमिस्वामी	कृषि	0.21	बाबूलाल पिता कपूरचंद जाति गोड नि.ग्रा भूमिस्वामी	मन्ता ध.प.स्व. झून्नु बगैरह की भूमि	बाबूलाल पिता कपूरचंद की भूमि	बाबूलाल पिता कपूरचंद की शेष भूमि	म.प्र.शासन रास्ता	-	-	-	-

3	309	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	नुपतिबाई पत्नी सुखराम जाति लोधी नि.ग्रा भूमिस्वामी	रामबती बेवा झाड़ू जाति बगैरह लोहार की भूमि	पत्नी नुपतिबाई सुखराम की शेष भूमि	पत्नी नुपतिबाई सुखराम की शेष भूमि	रामबती बेवा झाड़ू जाति बगैरह लोहार की भूमि	-	-	-	-
	310	भूमिस्वामी	कृषि	0.03		रामबती बेवा झाड़ू जाति लोहार की भूमि	पत्नी नुपतिबाई सुखराम की शेष भूमि	पत्नी नुपतिबाई सुखराम की शेष भूमि	पत्नी नुपतिबाई सुखराम की शेष भूमि	-	-	-	-
4	308	भूमिस्वामी	कृषि	0.26	मन्नो धन्नो पिता इमरत रामसिंग मानसिंग अनारवतीबाई जयवंतीबाई पिता मखबू जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	रामबती बेवा झाड़ू जाति लोहार की भूमि	पिता धन्नो इमरत बगैरह लोहार की भूमि	पिता धन्नो इमरत बगैरह लोहार की भूमि	म.प्र.शासन रास्ता	-	-	-	-
योग	4			0.76									

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी कुरई जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् कय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

क्र. 941-जि.भू.अ.-2022

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की पंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 वितरिका नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 के अंतर्गत, सिचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होंगे। उपरोक्त के संबंध में पंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा-11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

- 1- ग्राम का नाम :- गोरखपुरखुर्द ब.नं.-144 प.ह.नं.-36
 2- रा.नि.मं. :- बंडोल तहसील:-सिवनी जिला:-सिवनी
 3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-1.22 हेक्टेयर

स.क्र.	सर्वेक्षण क्रमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधिन क्षेत्रफल (हे.मे.)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रगति किस्म	संख्या	प्रकार	स्थिति का एरिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	10/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.11	चमरीबाई पत्नि लेखराम जाति गौंड पता गोरखपुरखुर्द सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन (चारगाह)	धनीराम पुत्र भादू जाति गौंड	धनीराम पुत्र भादू जाति गौंड	ग्राम नारायणगंज सरहद	-	-	-	-
2	10/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.12	चमरीबाई पत्नि लेखराम जाति गौंड पता गोरखपुरखुर्द सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन (चारगाह)	संतोषकुमार पिता पीतम बोरा	विसराम पुत्र नवली जाति गौंड	धनीराम पुत्र भादू जाति गौंड	-	-	-	-
3	10/6	भूमिस्वामी	कृषि	0.40	धनीराम पुत्र भादू जाति गौंड पता सिवनी म. प्र. भूमिस्वामी	चमरीबाई पत्नि लेखराम	बलीराम पुत्र भादू जाति गौंड	चमरीबाई पत्नि लेखराम जाति गौंड	चमरीबाई पत्नि लेखराम जाति गौंड	-	-	-	-

4	10/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	बलीराम पुत्र भादू जाति गोंड पता सिवनी म. प्र.भूमिस्वामी	धनीराम पुत्र भादू जाति गोंड	मनीराम पिता भददू जाति गोंड	चमरीबाई पति लेखराम जाति गोंड	मनीराम पिता भददू जाति गोंड	-	-	-	-
5	9/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	बिसराम पुत्र नवली जाति गोंड पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन (चारागाह)	लेखराम पुत्र बिसराम जाति गोंड	म.प्र.शासन (चारागाह)	चमरीबाई पति लेखराम जाति गोंड	-	-	-	-
6	9/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	लेखराम पुत्र बिसराम जाति गोंड पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	बिसराम पुत्र नवली जाति गोंड	बिसराम पुत्र नवली जाति गोंड	म.प्र.शासन (चारागाह)	चमरीबाई पति लेखराम जाति गोंड	-	-	-	-
7	9/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	लोचीराम पुत्र बिसराम जाति गोंड पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	बिसराम पुत्र नवली जाति गोंड	बिसराम पुत्र नवली जाति गोंड	म.प्र.शासन (चारागाह)	चमरीबाई पति लेखराम जाति गोंड	-	-	-	-
8	8	भूमिस्वामी	कृषि	0.16	प्रेमचंद पुत्र तुलमसी जाति गोंड पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन (चारागाह)	धधरोबाई पति माहू कूटकवती पिता माहू	रूपेशकुमार पुत्र बंशीराम जाति कलार	लोचीराम पुत्र बिसराम जाति गोंड	-	-	-	-
9	7/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	रूपेशकुमार पुत्र बंशीलाल जाति कलार पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन (चारागाह)	धधरोबाई पति माहू कूटकवती पिता माहू	कामताप्रसाद पुत्र बंशीलाल जाति कलार	प्रेमचंद पुत्र तुलमसी जाति गोंड	-	-	-	-
10	7/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	कामताप्रसाद पुत्र बंशीलाल जाति कलार पता सिवनी म. प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन (चारागाह)	संतोषकुमार पिता पीतम बंशीराम	राधाबाई पति कुंवरसिंह जाति कलार	रूपेशकुमार पुत्र बंशीराम जाति कलार	-	-	-	-
11	6/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	सतीशकुमार पुत्र कुंवरसिंह जाति कलार पता गोरखपुरखुर्द सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	कुंवरसिंह पुत्र बीरनसिंह	राधाबाई पति कुंवरसिंह	म.प्र.शासन (चारागाह)	कामताप्रसाद पुत्र बंशीलाल जाति कलार	-	-	-	-

12	6/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	कुवंरसिंह पुत्र बीरनसिंह जाति कलार पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	कुवंरसिंह पुत्र बीरनसिंह जाति कलार	सतीशकुमार पुत्र कुवंरसिंह	म.प्र.शासन (चारगाह)	म.प्र.शासन (चारगाह)	-	-	-	-
13	5/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	कुवंरसिंह पुत्र बीरनसिंह जाति कलार पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	अजेलाल बौरा शासकीय संस्थान	कुवंरसिंह पुत्र बीरनसिंह जाति कलार	म.प्र.शासन (चारगाह)	म.प्र.शासन (चारगाह)	-	-	-	-
योग	13			1.22						-	-	-	-

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/बिक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
4. अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 80 (साठ) दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो फाइल किये जा सकेंगे।

क्र. 942-जि.भूअ.-2022

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की पंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-3 वितरिका नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 के अंतर्गत, सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होंगे। उपरोक्त के संबंध में पंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा-11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

- 1- ग्राम का नाम :- भररुटोला ब.नं.-143 प.ह.नं.-26
 2- रा.नि.मं. :- बंडोल तहसील:-सिवनी जिला:-सिवनी
 3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-0.40 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण क्रमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधिन क्षेत्रफल(हे.मै.)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रति किस्म	संख्या	प्रकार	स्थिति का परिचय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	28	भूमिस्वामी	कृषि	0.16	रामकपालसिंह पिता रामजतनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	नवलसिंह पिता शिवचरण	विशालकुमार पिता प्रफुल्लकुमार कोठारी	विशालकुमार पिता प्रफुल्लकुमार कोठारी	नरबदिया पति फुलसिंह	-	-	-	-
2	23	भूमिस्वामी	कृषि	0.15	नरबदिया पति फुलसिंह जाति गौड़, शिवकुमार पिता फुलसिंह जाति गौड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	नवलसिंह पिता शिवचरण	म.प्र.शासन (घांस)	रामकपालसिंह पिता रामजतनसिंह	परसादी उर्फ परसराम पिता कुददा	-	-	-	-
3	21	भूमिस्वामी	कृषि	0.08	सावित्री ध.प.स्व. मन्थालाल सुखवती ध.प.स्व. महेश जाति गौड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	म.प्र.शासन (घांस)	रामनाथ पिता धनाराम बौर्य	विशालकुमार पिता प्रफुल्लकुमार कोठारी	विपलाल पिता घुडन	-	-	-	-
4	29	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	विशालकुमार पिता प्रफुल्लकुमार कोठारी पता निवासी सिवनी भूमिस्वामी	म.प्र.शासन (घांस)	खुरसीराम पिता बीरवल	ग्राम गारखपुर कला सरहद	रामकपालसिंह पिता रामजतनसिंह	-	-	-	-
योग	4			0.40									

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/बिक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा।
- अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो फाइल किये जा सकेंगे।

क्र. 943-जि.भू.अ.-2022

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की पंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-3 वितरिका नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्रि पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 के अंतर्गत, सिचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होंगे। उपरोक्त के संबंध में पंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा-11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

- 1- ग्राम का नाम :- बाम्हनवाडा ब.नं.-505 प.ह.नं.-36
 2- रा.नि.मं. :- छपारा तहसील:-छपारा जिला:-सिवनी
 3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-2.08 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण क्रमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधिन क्षेत्रफल(हे.ने.)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रगति किस्म	संख्या	प्रकार	वर्णन का एरिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	82/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	निरपतिया बेबा हत्थी जाति गौंड, गंगाबती पिता हत्थी जाति गौंड पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	रामलाल बगैरा पिता रामसिंह	रामपुरी पिता बटटीलाल	देवसिंह बगैरा पिता होरीलाल	म.प्र.शासन रास्ता	-	-	-	-
2	82/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	देवसिंह, धरमसिंह सरमसिंह पुत्र होरीलाल धरमवती पुत्री होरीलाल मन्नोबाई बेवा देवराम, कैलाश, प्रहलाद पुत्र देवराम रामफलिया पुत्री देवराम रामकुमारी पुत्री देवराम जाति गौंड पता बाम्हनवाडा छपारा सिवनी म.प्र.	रामलाल बगैरा पिता रामसिंह	म.प्र.शासन रास्ता	ग्राम विपरिया सरहद	निरपतिया पति हत्थी	-	-	-	-

3	66	भूमिस्वामी	कृषि	0.26	उत्पानसिंह पिता भोजराजसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	गयावती ध.प.स्व. फुलझारिया	म.प्र.शासन रास्ता	म.प्र.शासन रास्ता	उत्पानसिंह पिता भोजराजसिंह	-	-	-	-
4	75	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	गयावती ध.प.स्व. फुलझारिया इन्दरलाल मकरलाल सुमित्री गुमंत्रा संतरी मंतरी पि. फुलझारिया जाति गौंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	कुर्मेद आ. अमीरचंद सोमती बे. अमीरचंद गलझारिया	म.प्र.शासन रास्ता	म.प्र.शासन रास्ता	गयावती ध.प.स्व. फुलझारिया	-	-	-	-
5	74	भूमिस्वामी	कृषि	0.59	कुर्मेदचंद आ. अमीरचंद सोमती बे. अमीरचंद गलझारिया आ. बदलती जाति गौंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	कुर्मेद आ. अमीरचंद	गयावती ध.प.स्व. फुलझारिया	म.प्र.शासन रास्ता	टिक्कूलाल पिता श्रीराम जाति गौंड	-	-	-	-
6	73	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	टिक्कूलाल पिता श्रीराम जाति गौंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	कुर्मेद आ. अमीरचंद	म.प्र.शासनरास्ता	कुर्मेद आ. अमीरचंद सोमती बे. अमीरचंद	कुर्मेदचंद आ. अमीरचंद सोमती बे. अमीरचंद	-	-	-	-
7	71	भूमिस्वामी	कृषि	0.12	कम्मूबाई ध.प.स्व. कली इतू रिक्खीराम रुखिया पिता कली रूपकली पिता झोती चन्द्रकिशोर पिता लेखराम रामकली ध. प.स्व. लेखराम जाति गौंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	म.प्र.शासन वन	रामलाल, श्यामलाल पिता रामसिंह	टिक्कूलाल पिता श्रीराम जाति गौंड	म.प्र.शासन नाला	-	-	-	-
8	15	भूमिस्वामी	कृषि	0.09	गिन्दू आ. बारेलाल जाति गौंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	म.प्र.शासन वन	म.प्र.शासन नाला	म.प्र.शासन नाला	टिक्कूलाल पिता श्रीराम	-	-	-	-
9	13/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.08	घनश्याम पिता टीकाराम जाति गौंड, राधे पिता राधे, घसो, नाही, मैना, झीनी पिता टीकाराम जाति गौंड पता सिवनी म. प्र.	म.प्र.शासन वन	टिक्कूलाल पिता श्रीराम जाति गौंड	गिन्दू आ. बारेलाल जाति गौंड	हरदुल, पिता सुमरन जाति गौंड	-	-	-	-
10	12/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	हरदुल, परसराम, विस्तो विसरतो, धनिया पिता सुमरन जाति गौंड, पता छपारा सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	म.प्र.शासन वन	म.प्र.शासन नाला	टिक्कूलाल पिता श्रीराम जाति गौंड	जुगसो बेवा सेहतर गौंड	-	-	-	-

11/	12/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	जुगसो बेवा सेहतर, राहुल, चम्पा, पारवती रामबती श्यामबती सूरजबती, पिता सेहतर जाति गौंड पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन बन	म.प्र.शासन नाला	हरदुल, पिता सुमरन जाति गौंड												
12	11	भूमिस्वामी	कृषि	0.09	मेहतर, नगमती, रामकली पिता ब्रजलाल, कलावती बेवा ब्रजलाल जाति गौंड पता सिवनी मध्यप्रदेश	म.प्र.शासन बन	म.प्र.शासन नाला	जुगसो बेवा सेहतर गौंड												
13	8	भूमिस्वामी	कृषि	0.15	कुमेदी पति मोहन जाति गौंड पता सिवनी मध्यप्रदेश	म.प्र.शासन बन	विसकलाल हरकचंद	मेहतर, पिता ब्रजलाल												
14	6/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.29	दुलिया पति मूलचंद इन्द्रराम, बलवीर ब्रह्मराम, पिता मूलचंद, गिरधारी, विजय, पिता रामलाल, फूलवती पिता फूलवती, तुलसीराम पिता कोदू दशोदी पति हुकुमचंद, विसकलाल चेताराम, सुनीता, पिता हुकुमचंद शांति पति बैसाखू, सुरेन्द्र, संतराम सरोज पिता बैसाखू, भुजलो पिता रूपचंद जाति गौंड, विसकिया बेवा रूपचंद जाति गौंड पता बामहनवाडा छपारा सिवनी मध्यप्रदेश	दुलकर पिता कलीराम	इम्मू पिता इमरत बगौरा	महेश, सुरेश पिता निर्भय जाति गोली												
15	5	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	महेश, सुरेश पिता निर्भय जाति गोली पता सिवनी मध्यप्रदेश	म.प्र.शासन रास्ता	म.प्र.शासन नाला	दुलिया पति मूलचंदनवीनकुमार पिता फागूलाल गौंड बगौरा												
योग	15			2.08																

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादीन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
4. अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो फाइल किये जा सकेंगे।

क्र. 944-जि.भू.अ.-2022

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, पंच व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत सिवनी शाखा नहर की माईनर नंबर 25 के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 के अंतर्गत, सिचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होंगे। उपरोक्त के संबंध में पंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा-11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

- 1- ग्राम का नाम :- बम्होड़ी ब.नं.-397 प.ह.नं.-115
 2- रा.नि.मं. :- सिवनी भाग-1 तहसील:-सिवनी जिला:-सिवनी
 3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-1.87 हेक्टेयर

स.क्र.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्ट.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएँ				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	किस्म	संख्या	प्रकार	स्थिति
1	144/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	दीनदयाल पुत्र बदामी जाति करमी पता सा.देह भूमिस्वामी	दीनदयाल पुत्र बदामी कुर्मी	शासकीय रास्ता	पंच नहर	मनोज सि. बटरु सनोडिया				
2	148/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.08	मनोजकुमार पिता बटरु सनोडिया जाति कुर्मी पता ग्राम बम्होड़ी सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	मनोज पिता सुखलाल	शासकीय रास्ता	दीनदयाल पुत्र बदामी कुर्मी	उत्तमसिंह पि. बटरु सनोडिया				
3	148/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.17	उत्तमसिंह पिता बटरु सनोडिया जाति कुर्मी पता ग्राम बम्होड़ी सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	मनोज पिता सुखलाल	शासकीय रास्ता	मनोज पि. बटरु सनोडिया	शासकीय रास्ता				
4	62	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	कृष्णाबाई पति रमेश बढई पता सा.देह भूमिस्वामी	विनोद पिता सुखलाल	शासकीय रास्ता	शासकीय रास्ता	मुरियाबाई पति चंदनलाल				
5	63	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	विनोद पिता सुखलाल कुर्मी पता सा.देह भूमिस्वामी	विनोद पिता सुखलाल	कृष्णाबाई पति रमेश बढई	शासकीय रास्ता	मनोज सि. बटरु सनोडिया				

6	61/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	मु.भुशीबाई पत्नि चन्दनलाल महारा जाति महारा पता सा.देह भूमिस्वामी	मंगलू पिता गलक्षर कुर्मी	शासकीय रास्ता	कृष्णाबाई पत्नि रमेश बर्बई	रामनरोस बर्गरी पिता जोहरी कुर्मी						
7	61/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	रामभरोस संतोष मदन प्रागाबाई भजलोबाई पिता जोहरी कुर्मी पता सा.देह भूमिस्वामी	मंगलू पिता गलक्षर कुर्मी	शासकीय रास्ता	सुरियाबाई पत्नि चन्दनलाल महारा	विनोद पिता सुखलाल						
8	64/2/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	नेतराम पिता मंगलू सनोडिया जाति कुर्मी पता सिवनी नगर म.प्र. भूमिस्वामी	राजकुमार पुत्र खुमानसिंह कुर्मी	रामनरोस बर्गरी पिता जोहरी कुर्मी	विनोद पिता सुखलाल	मंगलू पिता गलक्षर कुर्मी						
9	64/2/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	सिद्धार्थ नाबालिग पिता नेतराम सनोडिया संरक्षक पिता नेतराम सनोडिया जाति कुर्मी पता सिवनी नगर म.प्र. भूमिस्वामी	नेतराम पिता मंगलू सनोडिया	रामनरोस बर्गरी पिता जोहरी कुर्मी	विनोद पिता सुखलाल	मंगलू पिता गलक्षर कुर्मी						
10	64/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.09	नेतराम, रामशीला, शिवशीला, मोहनी पिता स्व.मंगलू सनोडिया जाति कुर्मी पता सिवनी नगर म.प्र. भूमिस्वामी	राजकुमार पुत्र खुमानसिंह कुर्मी	रामनरोस बर्गरी पिता जोहरी कुर्मी	विनोद पिता मंगलू कुर्मी	सीताराम सुनील पिता परमानंद कुर्मी						
11	65	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	विजयकुमार पिता दयाराम सनोडिया जाति कुर्मी चंचल पिता दयाशंकर पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	सीताराम सुनील पिता परमानंद कुर्मी	विनोद पिता सुखलाल	मंगलू पिता गलक्षर कुर्मी	विनोद पिता धनायाग						
12	66	भूमिस्वामी	कृषि	0.08	सीताराम, सुनील पिता परमानंद कुर्मी जाति कुर्मी पता सा.देह भूमिस्वामी	राजकुमार पुत्र खुमानसिंह कुर्मी	चंचल पिता दयाराम कुर्मी	मंगलू पिता गलक्षर कुर्मी	सीताराम सुनील पिता परमानंद कुर्मी						
13	73/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.15	शिवकली पत्नि उमराव जाति कुर्मी पता सा.देह भूमिस्वामी	राजकुमार सतकुमार स्व. पिता घूडन	सीताराम सुनील पिता परमानंद कुर्मी	राजकुमार पुत्र खुमानसिंह कुर्मी	शिवकली पत्नि उमराव कुर्मी						
14	75	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	राजकुमार पुत्र खुमानसिंह जाति कुर्मी पता सा.देह भूमिस्वामी	राजकुमार पुत्र खुमानसिंह कुर्मी	नेतराम पिता मंगलू कुर्मी	शंकर पिता राधेयाम	शिवकली पत्नि उमराव कुर्मी						
	73/3			0.02		राजकुमार सतकुमार स्व. पिता घूडन	राजकुमार पुत्र खुमानसिंह कुर्मी	शिवकली पत्नि उमराव कुर्मी	लक्ष्मीबाई पत्नि खुमानसिंह कुर्मी						
15	73/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	लक्ष्मीबाई पत्नि खुमानसिंह जाति कुर्मी पता सा.देह भूमिस्वामी	राजकुमार पुत्र खुमानसिंह कुर्मी	नेतराम पुत्र गुलाबचंद	शिवकली पत्नि उमराव कुर्मी	भरनदेवी 50 मोहनसिंह बागरी						
16	82	भूमिस्वामी	कृषि	0.14	राजकुमार सतकुमार स्व. पिता घूडन उर्फ खुमानसिंह जाति कुर्मी पता सिवनी म. प्र. भूमिस्वामी	धनश्याम पुत्र खुमानसिंह कुर्मी	राजकुमार पुत्र खुमानसिंह कुर्मी	सतकुमार पिता खुमानसिंह कुर्मी	भरनदेवी 40 मोहनसिंह बागरी						

27	30/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	प्रशांत(ना.बा.) पिता व पालक राजेश सनोडिया पिता जयराम सनोडिया जाति कुर्मी पता निवासी परतापुर भूमिस्वामी	धनश्याम पिता रामचरण कुरमी	प्रशांत राजेश पिता जयराम सनोडिया	स्नेहा पति सचिन ठाकुर	राजेश पिता जयराम कुर्मी				
28	30/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	धनश्याम पिता रामचरण कुरमी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	म.प्र. शासन नाला	प्रशांत राजेश पिता जयराम सनोडिया	स्नेहा पति सचिन ठाकुर	राजेश पिता जयराम कुर्मी				
29	27	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	राजेश पिता जयराम कुर्मी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	म.प्र. शासन नाला	मानसिंह पिता कुर्मी	धनश्याम पिता रामचरण कुरमी	म.प्र. शासन चारपाहाड				
योग:-	31			1.87									

- अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
- अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो फाइल किये जा सकेंगे।

क्र. 945-जि.भूअ.-2022

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-3 वितरिका नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 के अंतर्गत, सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होंगे। उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा-11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

- ग्राम का नाम :- गोरखपुरकला ब.नं.-143 प.ह.नं.-26
- रा.नि.मं. :- बंडोल तहसील:-सिवनी जिला:-सिवनी
- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-0.47 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण क्रमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के क्षेत्रफल(हे.मं.)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रगति किस	राख्या	प्रकार	स्थिति का परिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	191	भूमिस्वामी	कृषि	0.12	प्रदीप पिता रामकृपालसिंह जाति राजपूत पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन (पहाड)	मुमनियाबाई पति सुखराम	प्रदीप पिता रामकृपालसिंह	म.प्र.शासन (घास)	-	-	-	-

2	195	भूमिस्वामी	अकृषि	0.01	प्रदीप पिता रामकृपालसिंह जाति राजपूत पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन (पहाड)	रुधमाबाई पत्नि बलाधारी	म.प्र.शासन (पहाड)	प्रदीप पिता रामकृपालसिंह	-	-	-	-
3	199	भूमिस्वामी	कृषि	0.20	कागज, राजा, हंसा पिता रामभाहू जाति गौंड, रामबती, रेखसिंह पिता झाड़लाल, जाति गौंड, शशीबाई बेवा स्व. रामभाहू, श्यामबती, श्यामलाल पिता; झाड़लाल जति गौंड पता सिवनी म. प्र. भूमिस्वामी	मजनलाल पिता मूलचंद बौरा	बदामी पिता पिल्लू	छदामी पिता पिल्लू	म.प्र.शासन (पहाड)	-	-	-	-
4	207	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	छुट्टूसिंह पिता तखतसिंह जाति राजपूत पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	मजनलाल पिता मूलचंद बौरा	म.प्र.शासन (कच्चा रास्ता)	चमररा पिता करना	छदामी पिता पिल्लू	-	-	-	-
5	206	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	चमररा पिता करना जाति गौंड पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन (घास)	म.प्र.शासन (कच्चा रास्ता)	म.प्र.शासन (घास)	छुट्टूसिंह पिता तखतसिंह	-	-	-	-
6	216	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	चमररा पिता करना जाति गौंड पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन (कच्चा रास्ता)	राजश्री पति जयदीपसिंह बैस	प्रदीप, जयदीपसिंह बैस पिता रामकृपालसिंह	गुननियाबाई पति सुखराम	-	-	-	-
7	198	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	करनसिंह पिता पिल्लू जाति गौंड पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी, प्रानोबाई बेवा स्व. पिल्लू जाति गौंड पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	कागज, राजा, हंसा पिता रामभाहू	म.प्र.शासन (घास) रास्ता	करनसिंह पिता पिल्लू प्रानोबाई बेवा स्व. पिल्लू	म.प्र.शासन (पहाड)	-	-	-	-
8	208	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	छदामी पिता पिल्लू जाति गौंड पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	मजनलाल पिता मूलचंद बौरा	छदामी पिता पिल्लू भूमिस्वामी	छुट्टूसिंह पिता तखतसिंह	कागज, राजा, हंसा पिता रामभाहू	-	-	-	-
योग	8			0.47						-	-	-	-

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/बिक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा।
4. अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो फाइल किये जा सकेंगे।

क्र. 946-जि.मू.अ.-2022

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-3 वितरिका नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 के अंतर्गत, सिचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होंगे। उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा-11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

- 1- ग्राम का नाम :- झिलमिली ब.नं.-271 प.ह.नं.-37
 2- रा.नि.मं. :- छपारा तहसील:-छपारा जिला:-सिवनी
 3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-0.08 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण क्रमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधिन क्षेत्रफल(हे.मं.)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रति किस्म	संख्या	प्रकार	प्लिंथ का एरिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	155/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.08	संदीपकुमार पुत्र ओमशंकर जाति बागरी पता निवासी ग्राम सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन (रास्ता)	म.प्र.शासन (भू-जल)	रामकली बेबा धनीराम बगौरा भूमिस्वामी	अर्जुनसिंह पिता ओमशंकरसिंह भूमिस्वामी	-	-	-	-
योग	1			0.08									

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/बिक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
- अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो फाइल किये जा सकेंगे।

क्र. 947-जि.भू.अ.-2022

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-3 वितरिका नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 के अंतर्गत, सिचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होंगे। उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा-11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

1- ग्राम का नाम :- बिछुआ ब.नं.-522 प.ह.नं.-40
2- रानि.मं. :- छपारा तहसील:-छपारा जिला:-सिवनी
3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-0.18 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण क्रमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधिन क्षेत्रफल(हे.म.)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना		
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रति किस्म संख्या	प्रकार	स्थिति का परिचय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	58	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	गेन्दलाल, यशवंतसिंह बतीबाई, कुदियाबाई पिता भोजराज जाति कुम्हरावत पता सा.देह भूमिस्वामी	जागेश्वर पिता बाबूलाल जाति कुम्हरावत	म.प्र.शासन रास्ता	जागेश्वर पिता बाबूलाल जाति कुम्हरावत	म.प्र.शासन रास्ता	जागेश्वर पिता बाबूलाल जाति कुम्हरावत	-	-	-	-
2	59/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	जागेश्वर पिता बाबूलाल जाति कुम्हरावत पता सा.देह भूमिस्वामी	जागेश्वर पिता बाबूलाल जाति कुम्हरावत	गेन्दलाल पिता भोजराज	म.प्र.शासन रास्ता	जागेश्वर पिता बाबूलाल जाति कुम्हरावत	-	-	-	-	
	59/1			0.04		म.प्र.शासन नाला	जागेश्वर पिता बाबूलाल जाति कुम्हरावत	म.प्र.शासन रास्ता	म.प्र.शासन वन	-	-	-	-	
योग	3			0.18										

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/बिक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
4. अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो फाइल किये जा सकेंगे।

क्र. 948-जि.भू.अ.-2022

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, पेंच व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत डी-4 वित्तिका नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 के अंतर्गत, सिचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होंगे। उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा-11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

1- ग्राम का नाम :- बिहिरया ब.नं:- 417 प.ह.नं.-38
 2- रा.नि.मं. :- बंडोल तहसील:-सिवनी जिला:-सिवनी
 3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-0.28 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र. हेक्ट. में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		सरचनाएं	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	किस्म	संख्या	प्रकार	स्थिति परिया
1	229	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	राजाराम पुत्र मानसिंह बागरी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	रामप्रसाद की भूमि	राजेन्द्र की भूमि	म.प्र. शासन नाला	रामप्रसाद की भूमि	-	-	-	-
2	228/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.27	राजेन्द्र विजेन्द्र पुत्रगण रामनाथसिंह बागरी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	जनरलसिंह की भूमि	म.प्र. शासन नाला	राजाराम की भूमि	रामनाथसिंह की भूमि	-	-	-	-

1. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/बिक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
4. अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो फाइल किये जा सकेगे।

क्र. 949-जि.भू.अ.-2022

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की पंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 वितरिका नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 के अंतर्गत, सिचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होंगे। उपरोक्त के संबंध में पंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा-11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

- 1- ग्राम का नाम :- परासिया ब.नं.-174 प.ह.नं.-36
 2- रा.नि.सं. :- बंडोल तहसील:-सिवनी जिला:-सिवनी
 3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-0.86 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण क्रमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के क्षेत्रफल(हे.मै.)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष प्रजाति	संख्या	संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम			प्रकार	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	211/3/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.20	जेहरू, नेहरू, चंद्रमोहन, पिता भोलू सकरवती, सुन्नो शहावती पुत्री भोलू चमरी पत्नि भोलू जाति बंजारा पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	कोधी राधेलाल बयौरा पिता अकधरसिंह	आमलोजी नहर	आमलोजी नहर	आमलोजी नहर	आमलोजी नहर			

2	12/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.08	प्रमीलाबाई बेबा ओतंम अजय, विजय, मुकेश, अनीता पिता ओतंम जाति बंजारा, राजवती कलाबती पुत्री ताराचंद जाति बंजारा पता सा.देह भूमिस्वामी	विरेंद्रसिंह पिता नकुलसिंह धुर्वे	असरलाल पिता कुंवरसिंह	क्रोधी राधेलाल बौरा पिता अवधसिंह	म.प्र शासन (चारागाह)	-	-	-	-
3	12/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.11	क्रोधी राधेलाल श्रीकांत टकेवर किशनलाल पिता अवधसिंह मिलदे कान्ती जानकी पिता अवधसिंह सोनकी ध.प. स्व. अवधसिंह संतो संतरी पिता ताराचंद जाति बंजारा पता सा.देह भूमिस्वामी	गोपालसिंह पिता सुखचैनसिंह भूमिस्वामी	जेहरू, नेहरू, बौरा जाति बंजारा	शिवधरन पिता ताराचंद भूमिस्वामी	प्रमीलाबाई बेबा ओतंम अजय, बौरा पुत्र पुत्री ताराचंद	-	-	-	-
4	8/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.12	गोपालसिंह पिता सुखचैन जाति गौंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	म.प्र शासन (चारागाह)	क्रोधी राधेलाल बौरा पिता अवधसिंह	दफेलाल पिता मंगालाल भूमिस्वामी	विरेंद्रसिंह पिता नकुलसिंह धुर्वे	-	-	-	-
5	21/6	भूमिस्वामी	कृषि	0.11	मेहतर पिता अमरसिंह रमेशचंद रामकली पिता सम्मू जाति गौंड पता सा. देह भूमिस्वामी	सुकरती घ.प.स्व. सुकलू रम्मू सम्मू रामकली सखिया पिता सुकलू जाति गौंड	म.प्र शासन(चारागाह)	सुमतिा पिता अमरसिंह जाति गौंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	म.प्र शासन(चारागाह)	-	-	-	-
6	21/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	मेहतर पिता अमरसिंह रमेशचंद रामकली पिता सम्मू जाति गौंड पता सा. देह भूमिस्वामी	धन्नो जोजे मल्लू भूमिस्वामी	सुकरबती पुत्री समरलाल पता परासिया सिवनी भूमिस्वामी	जमना बौरा जोजे डीनो भूमिस्वामी	म.प्र शासन (चारागाह)	-	-	-	-

7	21/7	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	सुमतिया पिता अमरसिंह जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	सुकरती घ.प.स्व. सुकलू बगैरा	मोहनलाल पिता हिरालाल भूमिस्वामी	सुकरती घ.प.स्व. सुकलू बगैरा	मेहतर पिता अमरसिंह बगैरा पिता सम्मू	-	-	-	-
8	21/5	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	सुकरती घ.प. स्व. सुकलू रम्मू सम्मू रामसखी सखिया पिता सुकलू जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	सुमतलाल पिता अमरसिंह	सुमतिया पिता अमरसिंह	देमनलाल पिता धरमू भूमिस्वामी	म.प्र शासन (चारगाह)	-	-	-	-
9	21/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	सुमतलाल पिता अमरसिंह जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	सकरबती पुत्री समरलाल	सुकरती घ.प.स्व. सुकलू	सुमतिया पिता अमरसिंह	म.प्र शासन (चारगाह)	-	-	-	-
10	21/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.08	सकरबती पुत्री समरलाल पता परासिया सिवनी भूमिस्वामी	मेहतर पिता अमरसिंह	सुमतलाल पिता अमरसिंह	मेहतर पिता अमरसिंह	म.प्र शासन (चारगाह)	-	-	-	-
योग	10			0.86									

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्रणी पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
4. अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो फाइल किये जा सकेंगे।

क्र. 950-जि.भू.अ.-2022

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, पेंच व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत सिवनी शाखा नहर की माईनर नंबर 22 के विस्तार हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 के अंतर्गत, सिचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होंगे। उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा-11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

- 1- ग्राम का नाम :-चांवड़ी ब.नं.-167 प.ह.नं.-128
 2- रा.नि.मं. :-सिवनी भाग-1 तहसील:-सिवनी जिला:-सिवनी
 3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-0.16 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र. हेक्ट. में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचनाएं	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	किस्म	संख्या	प्रकार	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	40	भूमिस्वामी	कृषि	0.14	दुर्गाप्रसाद पिता पंचकौड़ी लाल बेलवंशी कतिया निवासी पिड़रई भूमिस्वामी	हरिसिंह की भूमि	रविन्द्रकुमार की भूमि	राजेन्द्र की भूमि	ग्राम पिड़रई शरहद				
2	39	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	राजेन्द्र ना.बा. पिता दुर्गाप्रसाद बली दादा भरतलाल व. महगू कतिया निवासी पिड़रई भूमिस्वामी	दुर्गाप्रसाद की भूमि	रविन्द्रकुमार की भूमि	शासकीय नाला	दुर्गाप्रसाद की भूमि				
योग	2			0.16									

- अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/बिक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
- अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो फाइल किये जा सकेंगे।

क्र. 951-जि.भू.अ.-2022

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, पंच व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत सिवनी शाखा नहर की माईनर नंबर 19 के विस्तार हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 के अंतर्गत, सिचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होंगे। उपरोक्त के संबंध में पंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा-11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

- 1- ग्राम का नाम :- लखनवाड़ा ब.नं.-532 प.ह.नं.-114
 2- रा.नि.मं. :- सिवनी भाग-1 तहसील:-सिवनी जिला:-सिवनी
 3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-0.15 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र हेक्ट. में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचनाएं	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	किस्म	स्थिति	प्रकार	स्थिति परिया
1	443/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	साधना ध.प.स्व. संतोषकुमार सोनल मोनल पिता संतोष बरई निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बैनबाई की भूमि	बालमुकंद की भूमि	विनीता वगै. की भूमि	छोटेलाल की भूमि	-	-	-	-
2	396	भूमिस्वामी	कृषि	0.12	बैनबाई पत्नि स्व. सुमरनसिंह राकेश राजेश संतोष संजीव पिता सुमरनसिंह निवासी ग्राम भूमिस्वामी	म.प्र.शासन रास्ता	साधना की भूमि	मोहनसिंह की भूमि	मोहनसिंह की भूमि	-	-	-	-

1. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/बिक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
4. अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो फाइल किये जा सकेंगे।

क्र. 952-जि.मू.अ.-2022

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-3 वितरिका नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 के अंतर्गत, सिचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होंगे। उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा-11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

- 1- ग्राम का नाम :- गरठिया ब.नं.-127 प.ह.नं.-32
 2- रा.नि.मं. :- बंडोल तहसील:-सिवनी जिला:-सिवनी
 3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-0.77 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण क्रमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधिन क्षेत्रफल(हे.मे.)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रगति किस्म	संख्या	प्रकार	कुर्सी का एरिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	107/5/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	अनुराग साहू पिता उदयसाहू जाति तेली पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	सुनीलकुमार पिता सुगमचंद, बौरा	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर	अनुराग साहू पिता उदय साहू	म.प्र शासन (रास्ता)	-	-	-	-
2	107/3/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	सुनीलकुमार पिता सुगमचंद, ओमवतीबाई पत्नि सुगमचंद जाति मेहरा पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	अनिलकुमार पिता सुगमचंद	रमाकांत पुत्र मथराप्रसाद, बौरा जाति ब्राह्मण भूमिस्वामी	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर	म.प्र शासन (रास्ता)	-	-	-	-

3	105	भूमिस्वामी	कृषि	0.17	रमाकांत पुत्र मथराप्रसाद, श्रीकांत पुत्र मथराप्रसाद, श्यामाबाई पुत्री मथराप्रसाद रामाबाई पुत्री मथराप्रसाद जाति ब्राम्हण पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	गलीराम, बगैरा पिता गुलाबसिंह, भूमिस्वामी,	कोडीलाल बगैरा पिता गलझरिया	म.प्र. शासन (रास्ता)	म.प्र. शासन (चारगाह)	-	-	-	-
4	55	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	गलीराम, होरीलाल, बुद्धीलाल, खेमकरन पिता गुलाबसिंह, नुखिया पत्नि नारायण बुढवानी, रामकली पत्नि पुन्नू भूमिस्वामी, दुल्लू नि. लखनादौन केता पत्नि नरेश नागपुर जाति धोबी भूमिस्वामी	मूरत पिता पंचमलाल भूमिस्वामी	रमाकांत पुत्र मथराप्रसाद, बगैरा भूमिस्वामी	म.प्र. शासन (रास्ता)	सम्यत पुत्र दुलीचंद जाति गौड पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	-	-	-	-
5	56/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	सम्यत पुत्र दुलीचंद जाति गौड पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	सम्यत पुत्र दुलीचंद जाति गौड पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	रमाकांत पुत्र मथराप्रसाद, बगैरा जाति ब्राम्हण भूमिस्वामी	गलीराम, बगैरा पिता गुलाबसिंह, नुखिया पत्नि नारायण बुढवानी, रामकली पत्नि पुन्नू भूमिस्वामी,	म.प्र. शासन (चारगाह)	-	-	-	-
6	59/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.17	अशोक पिता भुवनलाल नंदकिशोर पिता भुवनलाल पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	नर्मदा पत्नि राखोराम, रविचंद्र बगैरा पिता राखोराम भूमिस्वामी	म.प्र. शासन (चारगाह)	म.प्र. शासन (चारगाह)	गंगिया पत्नि छत्ते भूमिस्वामी	-	-	-	-
7	58	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	गंगिया पत्नि छत्ते जाति नाई पता गरठिया सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	मधरसिंह पिता हरिसिंह भूमिस्वामी	दयाराम पुत्र छत्ते भूमिस्वामी	अशोक नंदकिशोर पिता भुवनलाल	गंगिया पत्नि छत्ते भूमिस्वामी	-	-	-	-

8	59/5	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	दयाराम पुत्र छत्ते जाति नाई सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	अशोक नंदकिशोर पिता भुवनलाल भूमिस्वामी	म.प्र. शासन (चारगाह)	गंगिया पति छत्ते भूमिस्वामी	म.प्र. शासन (चारगाह)	-	-	-	-
9	71	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	शान्तीबाई पति मानसिंह जाति नाई सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र. शासन (चारगाह)	अशोक नंदकिशोर पिता भुवनलाल भूमिस्वामी	म.प्र. शासन (चारगाह)	श्यामसिंह बौरा पिता मानसिंह भूमिस्वामी	-	-	-	-
10	70/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	मनसुख पुत्र दीपचंद जाति बागरी पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र. शासन (चारगाह)	शिवराजसिंह पिता मनसुखलाल भूमिस्वामी	श्यामसिंह बौरा पिता मानसिंह भूमिस्वामी	म.प्र. शासन (चारगाह)	-	-	-	-
11	61	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	मघसिंह पुत्र हरिसिंह पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	नर्मदा पति राखोराम, रविचंद्र बौरा पिता राखोराम भूमिस्वामी	दयाराम पुत्र छत्ते भूमिस्वामी	अशोक नंदकिशोर पिता भुवनलाल भूमिस्वामी	म.प्र. शासन (चारगाह)	-	-	-	-
योग				0.77						-	-	-	-

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/बिक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
4. अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो फाइल किये जा सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल हरिदास फटिंग, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग
रा.प्र.क्र. 0002-अ-82-2020-21-बोरतलाई होशंगाबाद, दिनांक 9 फरवरी 2022

घोषणा

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्रं-30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में पवारखेडा स्टेशन से जुझारपुर स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु रेल्वे विभाग के लिए निजी भूमि का अर्जन होने से आवश्यक वर्णित भूमि जसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची सूची क्रमांक-1

ग्राम बोरतलाई	तहसील इटारसी	जिला होशंगाबाद
क्र0	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)
	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है।	कुल रकबा
	निजी भूमि पवारखेडा स्टेशन से जुझारपुर स्टेशन तक रेल लाईन परियोजना हेतु	अर्जित रकबा
		0.397
		0.397

अनुसूची क्रमांक-2

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर में	अर्जित भूमि में स्थित परिसंपत्ति का विवरण
1	2	3	4	5	6
1	यश पिता अजय कुमार, आशा पत्नि अजय कुमार	312/1	0.276	0.276	निरंक
2	अजय कुमार पिता प्रदीप कुमार	313/1	0.121	0.121	निरंक
	योग-	-	0.397	0.397	

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

पत्र.क्र. 601-प्रवा.-भू-अर्जन-2022

कटनी, दिनांक 21 जनवरी 2022

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद-1 में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद-2 में उल्लेखित भूमियों का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन-

क-	जिला	:	कटनी
ख-	तहसील	:	विजयराघवगढ़
ग-	ग्राम	:	कुटेश्वर
घ-	क्षेत्रफल लगभग	:	31.67 हेक्टेयर

स.क्र.	खसरा नं.	प्रभावित रकवा हेक्टेयर में	स.क्र.	खसरा नं.	प्रभावित रकवा हेक्टेयर में	स.क्र.	खसरा नं.	प्रभावित रकवा हेक्टेयर में
1-	165.1	0.03	20-	215/1	0.03	39-	368	0.04
2-	168	0.77	21-	215/2		40-	369/1	0.02
3-	172/1	0.12	22-	215/3		41-	370/1	0.09
4-	172/2		23-	215/4	42-	370/2		
5-	172/3		24-	215/5	43-	370/3		
6-	190/1	0.45	25-	216	0.26	44-	370/4	
7-	196/1	0.06	26-	217/1	0.52	45-	371	0.16
8-	197/1	0.12	27-	219/1	0.09	46-	452	0.30
9-	201/1	0.23	28-	219/2	0.09	47-	454	0.13
10-	202/1	0.06	29-	219/3	0.08	48-	459	0.15
11-	202/2		30-	220	0.15	49-	460/1	0.12
12-	204	0.03	31-	222/1	0.42	50-	460/2	0.12
13-	210	0.04	32-	223/1	0.46	51-	460/3	0.13
14-	173	0.28	33-	226	0.21	52-	461/1	0.05
15-	180	0.16	34-	231/1	0.77	53-	463/1	0.03
16-	181	0.14	35-	238/1	0.13	54-	464/1	0.07
17-	183	0.56	36-	357	0.20	55-	461/2	0.05
18-	184	0.22	37-	358	0.06	56-	463/3	0.03
19-	214/1	0.24	38-	366	0.06	57-	464/3	0.07

स.क्र.	खसरा नं.	प्रभावित रकवा हेक्टेयर में	स.क्र.	खसरा नं.	प्रभावित रकवा हेक्टेयर में	स.क्र.	खसरा नं.	प्रभावित रकवा हेक्टेयर में
58-	461/3	0.03	92	483	0.56	126	564/1	0.09
59-	463/4	0.03	93	484	0.46	127	564/2	
60-	464/4	0.07	94	485/1	0.92	128	564/3	
61-	461/4	0.03	95	485/2	0.93	129	365/1	0.28
62-	463/5	0.03	96	485/3	0.92	130	365/5	
63-	464/5	0.07	97	485/4	0.87	131	365/3	
64-	461/5	0.10	98	486	0.10	132	365/4	0.06
65-	463/7	0.06	99	489/1	0.22	133	566/1	
66-	461/6	0.03	100	489/2		134	566/2	
67-	463/6	0.03	101	489/3		135	566/3	
68-	461/7	0.05	102	489/4		136	566/4	
69-	463/8	0.04	103	498/1	0.43	137	566/5	
70-	461/8	0.04	104	498/3	0.07	138	566/6	0.10
71-	463/9	0.03	105	500	0.25	139	568/1	
72-	461/9	0.03	106	501/1	0.09	140	584	0.14
73-	463/10	0.03	107	501/2	0.08	141	585	0.27
74-	463/2	0.03	108	501/3	0.08	142	586	0.03
75-	464/2	0.07	109	501/4	0.08	143	587	0.30
76-	465/	0.24	110	501/5	0.09	144	588/1	0.18
77-	466	0.05	111	501/6	0.09	145	588/2	
78-	467	0.34	112	502	0.16	146	588/3	
79-	468	0.34	113	508/1	0.36	147	588/4	
80-	469/1	0.09	114	506	0.38	148	588/5	
81-	469/2	0.08	115	507/1	0.15	149	588/6	
82-	470	0.60	116	507/2	0.15	150	597/1	0.04
83-	471	1.76	117	507/3	0.15	151	597/2	
84-	473	0.25	118	508	0.54	152	597/3	
85-	474	0.14	119	509	0.65	153	597/4	0.35
86-	475	0.25	120	510	0.23	154	613/2	
87-	477	0.59	121	511	0.23	155	613/3	
88-	479	0.12	122	512/1	0.20	156	627/1	0.02
89-	480	0.14	123	512/2	0.21	157	631/1	0.12
90-	481	0.48	124	514/1	0.40	158	632/1	0.12
91-	482	1.03	125	519	0.41	159	632/2	

स.क्र.	खसरा नं.	प्रभावित रकवा हेक्टेयर में	स.क्र.	खसरा नं.	प्रभावित रकवा हेक्टेयर में
160	632/3	0.12	186	811/1	1.16
161	632/4		187	811/2	
162	640/1	0.04	188	811/3	
163	640/2		189	811/4	
164	644/1	0.03	190	816/1	0.04
165	782/1		191	816/2	
166	782/2		192	816/3	
167	782/3		193	816/4	
168	783	0.04	194	820	0.03
169	784/1	0.16	195	908/1	0.24
170	784/2		196	908/2	
171	784/3		197	909	0.05
172	784/4		198	910	0.06
173	784/5		199	912	0.05
174	785	0.02	200	1030	0.09
175	796	0.06	201	1032/1	0.07
176	799/1	0.06	202	1035	0.19
177	799/2	0.03	203	1037/1	0.04
178	799/3	0.03	204	1038/1	0.07
179	800	0.06	205	1039/1	0.20
180	802	0.04	206	1039/2	
181	803	0.07	207	1039/3	
182	804	0.03		योग :-	31.67 हे.
183	805/1	0.04			
184	805/2				
185	808	0.04			

पत्र.क्र. 603-प्रवा.-भू-अर्जन-2022

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद-1 में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद-2 में उल्लेखित भूमियों का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन-

क-	जिला	:	कटनी
ख-	तहसील	:	विजयराघवगढ़
ग-	ग्राम	:	उबरा
घ-	क्षेत्रफल लगभग	:	66.77 हेक्टेयर

स.क्र.	खसरा नं.	प्रभावित रकवा हेक्टेयर में	स. क्र.	खसरा. नं.	प्रभावित रकवा हेक्टेयर में	स.क्र.	खसरा नं.	प्रभावित रकवा हेक्टेयर में
1-	219/1	0.05	20-	201/1	0.02	39-	187/1	0.06
2-	217/6	0.01	21-	199/1	0.39	40-	186/2	0.17
3-	217/9	0.01	22-	196/1	0.10	41-	186/3	0.17
4-	217/12	0.02	23-	197/1	0.22	42-	181/7	0.01
5-	207/7	0.45	24-	195/1	1.41	43-	239	0.60
6-	200/1	0.19	25-	192/2	0.20	44-	240	0.42
7-	200/4	0.30	26-	193/1	0.19	45-	246	3.04
8-	200/6	0.20	27-	184/1	0.92	46-	703	1.55
9-	200/8	1.23	28-	189/1	0.79	47-	159/1	0.16
10-	202/2	0.41	29-	173	8.53	48-	159/2	0.60
11-	206/1	0.74	30-	175/1	0.43	49-	160	0.20
12-	200/3	0.19	31-	657	2.00	50-	163/1	0.10
13-	200/5	0.30	32-	169/2	0.60	51-	163/6	0.44
14-	200/7	0.20	33-	177/1	0.70	52-	163/10	1.07
15-	200/9	1.23	34-	169/3	0.29	53-	171/1	0.06
16-	202/5	0.41	35-	177/3	0.15	54-	163/2	2.11
17-	206/3	0.74	36-	10/3	0.07	55-	163/3	0.10
18-	204	0.94	37-	181/1	0.02	56-	163/7	0.44
19-	202/1	0.65	38-	186/1	0.11	57-	163/11	1.07

स.क्र.	खसरा नं.	प्रभावित रकवा हेक्टेयर में	स.क्र.	खसरा नं.	प्रभावित रकवा हेक्टेयर में	स.क्र.	खसरा नं.	प्रभावित रकवा हेक्टेयर में
58-	163/4	0.10	78-	181/7	0.01	98	125/1	0.12
59-	163/8	0.44	79-	110	0.13	99	128/1	0.60
60-	163/12	1.08	80-	111/2	0.10	100	131/1	0.29
61-	163/5	0.10	81-	111/1	0.10	101	132/1	0.17
62-	163/9	0.44	82-	114/1	0.24	102	138/1	0.45
63-	163/13	1.08	83-	115/1	0.12	103	141/1	0.20
64-	169/1	0.24	84-	116/1	0.13	104	142/1	0.25
65-	1832/1	0.52	85-	117/1	0.23	105	143/1	0.23
66-	1832/5	1.54	86-	120/1	1.00	106	144/1	1.00
67-	1832/2	0.50	87-	121/2	0.10	107	47/2	0.29
68-	1832/6	1.50	88-	121/3	0.14	108	14	0.25
69-	1832/3	0.50	89-	130/1	0.24	109	107/1	0.23
70-	1832/7	1.50	90-	121/5	0.14	110	704/1	0.24
71-	1832/4	0.50	91-	130/2	0.24	111	704/2	
72-	1832/8	1.55	92	121/1	0.15	112	158	0.20
73-	172/1	3.50	93	123/1	0.04	113	84/2	0.15
74-	172/2	5.00	94	123/3		114	186/4	0.17
75-	181/3	0.01	95	126/1		115	235/2	0.40
76-	181/1	0.02	96	126/2	1.23	116	235/3	0.20
77-	181/2	0.01	97	127/1			योग :-	66.77 हे.

प्रियंक मिश्रा. कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्रमांक 1 अ 82 वर्ष 21-22/बोरीकास-1200

बैतूल, दिनांक 9 फरवरी 2022

घोषणा

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची-1 (प्रभावित कृषको की सूची)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे0 में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णित मकानापुर-1139
1	2	3	4	5
बैतूल (म0प्र0)	बैतूल	बोरीकास (डोलियामऊ)	36 मकान	मेंढा मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र में आने से ।

अनुसूची - 2 (प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख. नं.	मकानों की संख्या	मकानों का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
1	2	3	4	5
1	मोहरी व0 सकलू	24	1	101.50
		24	1	31.75
2	भूते जौजे जौहरी	24	1	88.20
		24	1	31.75
3	ढीमरा व0 भादू	24	1	15.12
4	बिसराम व0 रंजी	24	1	74.10
5	इमरत व0 केशर	24	1	53.25
6	चन्दू व0 गोरे	24	1	85.49
		24	1	30.60
7	रामकिशोर व0 छोटेलाल	24	1	59.76
		24	1	20.75
8	श्यामलाल व0 अजोब	24	1	115.64
		24	1	20.58

9	रामलाल व0 अजोब	24	1	57.60
10	मोग्या व0 पोलजी	24	1	191.88
		24	1	15.40
11	बिरजू व0 मोग्या	24	1	100.75
12	मोहन व0 पोलजी	24	1	19.52
		24	1	14.50
13	मुंशी व0 साहबू	24	1	43.43
		24	1	12.00
14	साहबू व0 पोलजी	24	1	74.10
		24	1	102.60
15	साहबलाल व0 पोलजी	24	1	26.00
		24	1	61.18
16	पांड्या व0 पोलजी	24	1	3.25
		24	1	5.76
		24	1	80.30
		24	1	61.18
17	चन्दर व0 पांड्या	24	1	61.18
18	रन्नो व0 पांड्या	24	1	61.18
19	ईश्वर व0 पांड्या	24	1	61.18
20	गौदू व0 तेजी	24	1	112.20
		24	1	12.00
21	दल्लू व0 नन्हे	24	1	78.20
		24	1	28.00
22	द्रोपदी जौजे नन्दू	24	1	31.27
योग		1	36	—

(2) चूँकि मेंढा मध्यम परियोजना हेतु हितवृद्ध व्यक्तियों के मकानों का अर्जन प्रस्तावित है, जिससे 22 हितग्राही तथा उसमें सम्मिलित परिवारों का विस्थापन हो रहा है। धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार मूल प्रकरण में पृथक से प्रकाशित किया जा चुका है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 5 अ 82- 21-22/ हाथीडींगर-1135

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नानुसार अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1)के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची-1
(प्रभावित कृषको की सूची)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन हेतु कुल रकबा हे० में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी।	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	बैतूल	हाथीडींगर	2.059	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग कमांक-2 बैतूल	घोघरी मध्यम परियोजना हेतु

अनुसूची - 2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख. नं.	कुल रकबा हे० में	अर्जन का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	राजेराम, पारधी, तेजी पिता गंजन जाति गोंड सा०देह भूमि स्वामी	53	1.303	1.303
2	श्यामराव, रामराव, पुत्र मुंशी, फुल्लो पुत्री मुंशी, गोधु पुत्र चैतु मुंशा, रूना पुत्री चैतू, कमलती पुत्री मिश्री, यशवंत पुत्र कमलेश सा० देह भूमि स्वामी	49/2	2.770	0.230
3	रामू पिता सोमा जाति गोंड भूमि स्वामी सा०देह	48/2	1.822	0.096
4	रामू पिता सीमा जाति गोंड भूमि स्वामी सा०देह	51	0.809	0.094
5	जंगू , रंगलाल, जंगली, पिता मंजू रमला पुत्री मंजू , गुलाबराव पुत्र नागो जाति गोंड सा०देह भूमि स्वामी	49/1	2.847	0.030
6	मिल्ला, सायबू, सरजेराव पिता रंजू जाति गोंड भूमि स्वामी	47	2.310	0.206
7	राजेराम, पारधी, तेजी पिता गंजन जाति गोंड भूमि स्वामी	42	1.045	0.100
योग		7	12.906	2.059

1- चूंकि घोघरी मध्यम परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधि० (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है। धारा 15 (2) के अधीन तदाशय के सम्बंध में कोई व्यक्ति आपत्ति 60 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भैसदेही के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 6 अ 82- 21-22/टिपनापुर-1139

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नानुसार अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1)के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची-1
(प्रभावित कृषको की सूची)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन हेतु कुल रकबा हे० में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (MOPRO)	आठनेर	टिपनापुर	2.133	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 बैतूल	घोघरी मध्यम परियोजना हेतु

अनुसूची - 2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	हितग्राही का नाम	ख. नं.	कुल रकबा हे० में	अर्जन का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	घुडू पिता अमरसिंग वनाधिकार पट्टे धारक निवासी टिपनापुर	112	1.093	1.093
2	छोटेलाल पिता मंगल वनाधिकार पट्टे धारक निवासी टिपनापुर	112	0.810	0.810
3	झिंगर पिता अन्नू भूमि स्वामी निवासी टिपनापुर	110(S)	2.023	0.230
	योग	02	3.926	2.133

1- चूंकि घोघरी मध्यम परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधि० (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है। धारा 15 (2) के अधीन तदाशय के सम्बंध में कोई व्यक्ति आपत्ति 60 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भैसदेही के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 4 अ 82- 21-22/सिंगारचावड़ी-1452

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नानुसार अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1)के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची-1
(प्रभावित कृषको की सूची)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन हेतु कुल रकबा हे० में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	भीमपुर	सिंगारचावड़ी	14.285	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 बैतूल	सावन्या कोल लघु जलाशय हेतु

अनुसूची - 2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख. नं.	कुल रकबा हे० में	अर्जन का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	संतोष पिता छोटे जाति गौला. सा. देह. भूमिस्वामी	59/4	1.591	1.091
2	रामपाल पिता छोटे जाति गौली सा.देह भूमिस्वामी	59/1	1.592	1.450
3	लखन पिता छोटे जाति गौली सा.देह भूमिस्वामी	59/3	2.024	1.861
4	बंटीलाल, अशोक, बलराम, अभिषेक व. गुड़दयाल जाति गौली सा. देह. भूमिस्वामी	57/1	1.513	1.513
5	बिसराम पिता वाहीयात जाति गोंड सां. देह. भूमिस्वामी	56	0.376	0.296
6	सनान पिता माडू जाति गोंड सा.देह. भूमिस्वामी	55	0.413	0.202

7	राजेन्द्रसिंह, अर्जुनसिंह प्रेमसिंह श्यामसिंह मन्नुसिंह व. बाबूसिंह बतसिया बेवा बाबूसिंह जाति ठाकूर पता सा. चिचौली भूमि स्वामि	31/1	0.526	0.065
8	गुलबिया पिता फागू जाति गोड सा. देह. भूमिस्वामी	31/2/2	0.372	0.372
		37	0.287	0.040
		58	0.635	0.635
		35	0.020	0.020
9	सम्मर पिता टुकाली जाति गोंड सा. देह. भूमिस्वामी	30	0.623	0.040
10	सम्मल पिता पाण्डू जाति गोड सा. देह. भूमिस्वामि	8	0.081	0.016
11	मुन्ना पिता झलकू जाति गोंड सा. देह. भूमिस्वामी	33/1	0.057	0.057
		34/3	0.047	0.047
12	भारत, सम्मू, मुन्ना व. चुन्नी जाति गोंड सा. देह. भूमिस्वामी	33/2	0.008	0.008
		34/4	0.012	0.012
13	हरकचंद, नेकराम, लक्ष्मण व. बारीक जाति गौली सा. देह. भूमिस्वामी	52	0.409	0.289
14	भारत व. चुब्बी जाति गोंड सा.देह भूमिस्वामी	51/5	0.366	0.350
15	सम्मू व. चुब्बी जाति गोंड सा. देह. भूमिस्वामी	51/6	0.367	0.351
16	मुन्ना व. चुब्बी जाति गांड सा. देह. भूमिस्वामी	51/7	0.367	0.351
17	मंगू व. सूरका जाति गांड सा. देह. भूमिस्वामी	51/4	1.150	1.100
18	बाला, बालकराम व. भंगी झनको बुको मुन्नी व. भंगी जाति ग्रंड सा. देह. भूमिस्वामी	51/3	1.176	1.176
19	धन्नु, हन्नु, नजरसा, जूगन व0 रंगू, फूसली बे. रंगू मंतो पिता फगन जाति गोंड सा. देह. भूमिस्वामी	51/2	1.175	1.175
20	बारीक व. सूरका जाति गोंड सा.देह भूमिस्वामी	51/1	1.768	1.768
योग		25	16.955	14.285

1- चूंकि सावन्या कोल लघु जलाशय(नहर रहित) हेतु हितबद्ध व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधि० (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है। धारा 15 (2) के अधीन तदाशय के सम्बंध में कोई व्यक्ति आपत्ति 60 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भैसदेही के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

अमनबीर सिंह बैस, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्र. क्यू-20-21-भू-अर्जन-2021.

विदिशा, दिनांक 10 फरवरी 2022

अंतर्गत धारा-19 भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कोठा बैराज परियोजना तहसील-कुरवाई जिला विदिशा के ग्राम देवली के लिए बैराज डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापना उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013) धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित सूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची

कोठा बैराज परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम-देवली

तहसील-कुरवाई

जिला -विदिशा

क्र.	नाम कृषक/पिता का नाम/जाति/ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का कुल रकबा (हे.मै)	कुल अर्जित रकबा (हे.मै)
1	2	3	4	5
1	मों. शमीमखों पुत्र अमीनखों जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू राजस्व 1.12	67/5	0.627	0.187
2	मों. शमीमखों पुत्र अमीनखों जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू राजस्व शा.नं.63/1मि.	68	0.073	0.073
3	मुस्ताकखों पुत्र अमीनखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमिस्वामी मेहराजखों पुत्र अमीनखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमिस्वामी शमीमखों पुत्र अमीनखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमिस्वामी वकीलखों पुत्र अमीनखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमिस्वामी खलीलखों उर्फ राजूखों पुत्र अमीन खों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमिस्वामी भू राजस्व 1.34	69	0.178	0.110
4	मों. शमीमखों पुत्र अमीनखों जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू राजस्व वि.मु. 2.44	63/1	0.345	0.345
5	जाविद खां पुत्र अब्दुल रहमानखां जाति मुसलमान पता कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	63/2/1	1.045	0.140
6	इस्माईलखों पुत्र बख्त्यारखों जाति मुसलमानपता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू राजस्व 2.37	61/1	1.154	0.125
7	मुस्ताकखों पुत्र अमीनखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमिस्वामी मेहराजखों पुत्र अमीनखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमिस्वामी शमीमखों पुत्र अमीनखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमिस्वामी वकीलखों पुत्र अमीनखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमिस्वामी खलीलखों उर्फ राजूखों पुत्र अमीन खों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमिस्वामी भू राजस्व 1.34	61/2	1.991	1.000
8	अब्दुल रहमान खों पुत्र मुंशीखों, जाति मुसलमान, निवासी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग, भूमि स्वामी	34/1/1	1.431	0.680
9	रियासउद्दीन खों पुत्र इब्राहिमखों जाति मुसलमान पता कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू रा. शा. 0	34/1/2/1	0.418	0.070
10	कमरुद्दीन खां पुत्र मुंशी खां जाति मुसलमान	34/3/2	1.267	0.980
11	कमरुद्दीन खां पुत्र मुंशी खां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग ग्राम भूमि स्वामी भू.रा.शा. 29/1	34/2/1	0.639	0.100

क्र.	नाम कृषक/पिता का नाम/जाति/ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का कुल रकवा (हे.मै)	कुल अर्जित रकवा (हे.मै)
1	2	3	4	5
12	कमरुद्दीन खां पुत्र मुंशी खां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग ग्राम भूमि स्वामी भू.रा.वि.मु.5.97	29/1	0.780	0.690
13	उमेरखों पुत्र रियाजखों जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग ग्राम भूमि स्वामी भू.रा.वि.मु.12.00	29/2	1.049	0.180
14	अजीमखों पुत्र सूबे खां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.जस्व 10.54	18/1/1	1.179	0.360
15	शाहिद खां पुत्र सुबेखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू रा. शा.न. शा.न.6/1	18/1/2	0.300	0.030
16	अजीमखों पुत्र सूबेखों जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमिस्वामी शहीदखों पुत्र सूबेखों जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमिस्वामी भू राजस्व वि.मु.0.95	18/2	0.172	0.172
17	अजीमखों पुत्र सूबेखों जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमिस्वामी शहीदखों पुत्र सूबेखों जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमिस्वामी भू राजस्व वि.मु.0.95	20	0.063	0.063
18	खलीलखों पुत्र कमरुद्दीनखों जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू राजस्व 1.00	27/1	0.172	0.172
19	बद्धखों पुत्र मुख्त्यारखों जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू राजस्व 1.00	27/2	0.173	0.173
20	अजीमखों पुत्र सूबेखों जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमिस्वामी शहीदखों पुत्र सूबेखों जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमिस्वामी भू राजस्व वि.मु.शा.18/2	21	0.240	0.240
21	अब्दुल रहमानखों पुत्र मुन्शीखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू रा.वि.म. 14.97	25/1	0.658	0.658
22	इल्यासखान पुत्र इब्राहिमखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू.रा. 0	25/2/1	0.242	0.242
23	हमीदनवी पत्नी इब्राहिमखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू.रा. 0	25/2/2	0.416	0.416
24	अजीमखों पुत्र सूबेखों पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमिस्वामी शहीद खां पुत्र सुबे खां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमिस्वामी भू.रा.शा. 18/2	22	0.073	0.073
25	शाहिद खां पुत्र सुबेखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू रा. शा.न. 23	24	0.711	0.480
26	शाहिद खां पुत्र सुबेखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू रा. शा.न. वि.मु. 2.80	23	0.021	0.010
27	शाहिद खां पुत्र सुबेखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू रा. शा.न. 6/1	16	0.146	0.146
28	अशदखों पुत्र इब्राहिमखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू रा.शा.0	13/1	0.042	0.042
29	आविदखों पुत्र इब्राहिमखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू रा.शा.0	13/2	0.209	0.209

क्र.	नाम कृषक/पिता का नाम/जाति/ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का कुल रकवा (हे.मै)	कुल अर्जित रकवा (हे.मै)
1	2	3	4	5
30	आरिफखॉ पुत्र हलीम खॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 0467/5606 भाग, भूमि स्वामी तारिफखॉ पुत्र हलीम खॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 0467/5606 भाग, भूमि स्वामी जाविदखॉ पुत्र हलीम खॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 0467/5606 भाग, भूमि स्वामी शर्मिलाबी पुत्री हलीम खॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 0467/5606 भाग, भूमि स्वामी फजीलतबी पुत्री हलीमखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 0467/5606 भाग, भूमि स्वामी आमनाबी वेवा हलीमखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 0468/5606 भाग, भूमि स्वामी जुनुसखॉ पुत्र बशीरखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 1402/5606 भाग, भूमि स्वामी वकीलखॉ पुत्र बशीरखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 1401/5606 भाग, भूमि स्वामी	10/1	0.418	0.278
31	साकिरखॉ पुत्र इब्राहिमखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू रा. 0	10/2/2	0.209	0.030
32	अशदखॉ पुत्र इब्राहिमखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू रा 0	10/2/3	0.167	0.090
33	आरिफखॉ पुत्र हलीम खॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 0467/5606 भाग, भूमि स्वामी तारिफखॉ पुत्र हलीम खॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 0467/5606 भाग, भूमि स्वामी जाविदखॉ पुत्र हलीम खॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 0467/5606 भाग, भूमि स्वामी शर्मिलाबी पुत्री हलीम खॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 0467/5606 भाग, भूमि स्वामी फजीलतबी पुत्री हलीमखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 0467/5606 भाग, भूमि स्वामी आमनाबी वेवा हलीमखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 0468/5606 भाग, भूमि स्वामी जुनुसखॉ पुत्र बशीरखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 1402/5606 भाग, भूमि स्वामी वकीलखॉ पुत्र बशीरखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 1401/5606 भाग, भूमि स्वामी	11	0.053	0.053
34	जलील खान पुत्र अजीज खान जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 0309/1035 भाग भूमिस्वामी मोहम्मद खलील खान पुत्र मोहम्मद अजीज खान जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 0308/1035 भाग भूमिस्वामी हुमैद खान मोहम्मद खलील खान जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 0418/1035 भाग भूमिस्वामी	12	0.073	0.073
35	सिताराबी पत्नी अब्दुल रहमान खान जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश भाग भूमिस्वामी	9/1	1.197	0.170
36	इल्यास खान पुत्र इब्राहिमखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू रा. 0.63	9/2/1	0.313	0.030
37	रियासद्दीन खॉ पुत्र इब्राहिमखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू रा. 0.28	9/2/2	0.136	0.030

क्र.	नाम कृषक/पिता का नाम/जाति/ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का कुल रकवा (हे.मै)	कुल अर्जित रकवा (हे.मै)
1	2	3	4	5
38	आरिफखॉ पुत्र हलीम खॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 0467/5606 भाग, भूमि स्वामी तारिफखॉ पुत्र हलीम खॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 0467/5606 भाग, भूमि स्वामी जाविदखॉ पुत्र हलीम खॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 0467/5606 भाग, भूमि स्वामी शर्मिलाबी पुत्री हलीम खॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 0467/5606 भाग, भूमि स्वामी फजीलतबी पुत्री हलीमखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 0467/5606 भाग, भूमि स्वामी आमनाबी वेवा हलीमखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 0468/5606 भाग, भूमि स्वामी जुनुसखॉ पुत्र बशीरखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 1402/5606 भाग, भूमि स्वामी वकीलखॉ पुत्र बशीरखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 1401/5606 भाग, भूमि स्वामी	9/3	0.632	0.140
39	जलील खान पुत्र अजीज खान जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 0309/1035 भाग भूमिस्वामी मोहम्मद खलील खान पुत्र मोहम्मद अजीज खान जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 0308/1035 भाग भूमिस्वामी हुमैद खान मोहम्मद खलील खान जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 0418/1035 भाग भूमिस्वामी	8/1	0.962	0.280
40	असवारखॉ पुत्र मुख्त्यार खॉ जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 2.60	8/2	1.035	0.260
41	अरमानखॉ पुत्र अनवार खॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	8/3	1.034	0.220
42	इल्यासखान पुत्र इब्राहिमखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू.रा.3.89	7/2/1	0.209	0.060
43	अशदखॉ पुत्र इब्राहिमखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू रा 9.11	7/2/2	0.490	0.120
44	मुबारिकखॉ पुत्र अब्दुल रहमान खॉ जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. बिलमुक्ता 5.30	7/1	0.722	0.200
45	शाहिद खॉ पुत्रगण सूवे खॉ जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा. वि.मु.10.00	6/1	0.385	0.080
46	हामिदखॉ पुत्र सूबेखॉ जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा. वि.मु.11.00	6/2	0.885	0.185
47	सगीरखॉ पुत्र सूबे खॉ जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा. वि.मु. 12.00	6/3	0.875	0.300
48	साजिद खॉ पुत्र सूबेखॉ जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा. वि.मु.12.00	6/4	0.886	0.300

क्र.	नाम कृषक/पिता का नाम/जाति/ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का कुल रकवा (हे.में)	कुल अर्जित रकवा (हे.में)
1	2	3	4	5
49	नाजरावी वेवा अफसरखों अनसखों ना.वा. निदाबानो,सनाबानो, इकरावी पुत्रपुत्रीयों अफसरखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 901/12352 भाग भूमिस्वामी सरदारखों पुत्र गुलाबखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1029/12352 भाग भूमिस्वामी शम्भूखों पुत्र कासिमखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 257/12352 भाग भूमि स्वामी हाजरावी वेवा रियाजखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 901/12352 भाग भूमिस्वामी अजरउददीनखां पुत्र रियाजखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 901/12352 भाग भूमिस्वामी अयूबखों पुत्र रियाजखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 2252/12352 भाग भूमिस्वामी निजामुद्दीन पुत्र रियाजखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 2251/12352 भाग भूमिस्वामी आदिलखों पुत्र आविदखों जाति मुसलमान पता कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश भाग 258/12352 भूमि स्वामी जफरखों पुत्र कासिमखों जाति मुसलमान पता कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 257/12352 भाग भूमिस्वामी वसीमखों पुत्र कासिमखों जाति मुसलमान पता कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 257/12352 भाग भूमिस्वामी अनवरखों पुत्र नत्थेखों जाति मुसलमान पता कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 523/12352 भाग भूमिस्वामी मुसाबखों दाऊदखों पुत्रगण साहबदादखां जाति मुसलमान पता कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 209/12352 भाग भूमिस्वामी आसिफखों पुत्र अस्ताकखों जाति मुसलमान पता कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 2195/12352 भाग भूमिस्वामी रफीकखों पुत्र छोटेखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 161/12352 भाग भूमिस्वामी	5	1.797	0.580
50	नामदारखां पुत्र मुख्त्यारखां जाति मुसलमान पताविदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 4.50	4/2	0.910	0.300
51	आरिफखों पुत्र हलीम खों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 0467/5606 भाग, भूमि स्वामी तारिफखों पुत्र हलीम खों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 0467/5606 भाग, भूमि स्वामी जाविदखों पुत्र हलीम खों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 0467/5606 भाग, भूमि स्वामी शर्मिलाबी पुत्री हलीम खों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 0467/5606 भाग, भूमि स्वामी फजीलतबी पुत्री हलीमखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 0467/5606 भाग, भूमि स्वामी आमनाबी वेवा हलीमखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 0468/5606 भाग, भूमि स्वामी जुनुसखों पुत्र बशीरखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 1402/5606 भाग, भूमि स्वामी वकीलखों पुत्र बशीरखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 1401/5606 भाग, भूमि स्वामी	4/3	1.819	0.230
52	अजीमखों पुत्र बख्त्यारखों जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू रा.3.00	4/4	0.605	.0.230
53	साहिदखों पुत्र बख्त्यारखों जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू रा0.72	4/5	0.605	0.100
54	जब्बारखों पुत्र कमरुद्दीनखां जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमिस्वामी अनवारखों पुत्र कमरुद्दीनखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमिस्वामी भू रा.भूमि स्वामी भू राजस्व 8.10	3/1	0.418	0.100

क्र.	नाम कृषक/पिता का नाम/जाति/ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का कुल रकबा (हे.में)	कुल अर्जित रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
55	हामिदखॉ पुत्र इस्माईलखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू रा 0	3/2/1	0.684	0.320
56	आविदखॉ पुत्र इस्माईलखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू रा 0	3/2/2	0.685	0.460
57	मिस्टरखॉ पुत्र सरदार खॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/3 भाग भूमिस्वामी हबीबखॉ पुत्र सरदार खॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/3 भाग भूमिस्वामी नन्हीबी पुत्री सरदार खॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/3 भाग भूमिस्वामी	3/3	1.777	0.510
58	इदरीश खान पुत्र छोटे खान जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	3/4/1	0.593	0.370
59	सिद्दीकखॉ पुत्र छोटे खॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	3/4/2	0.591	0.310
60	जाहीद खॉ पुत्र छोटेखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	3/4/3	0.593	0.105
61	जुल्फखारखॉ पुत्र मुख्तयारखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1071/8572 भूमिस्वामी अदीदखॉ पुत्र मुख्तयारखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 382/8572 भूमिस्वामी नामदारखॉ पुत्र मुख्तयारखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1071/8572 भूमिस्वामी असवरखॉ पुत्र मुख्तयारखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1071/8572 भूमि स्वामी कमरूनबी पुत्री मुख्तयारखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1071/8572 भूमिस्वामी रूकशानावी पुत्री मुख्तयारखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1072/8572 भूमिस्वामी जैतूनबी वेवा मुख्तयारखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1072/8572 भूमिस्वामी आवदावी वेवा अनवारखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 215/8572 भूमिस्वामी अवरारखॉ पुत्र अनवारखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 215/8572 भूमिस्वामी अरमानखॉ पुत्र अनवारखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 214/8572 भूमिस्वामी राशिदाबानो पुत्री अनवारखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 214/8572 भूमिस्वामी खालिदाबानो पुत्री अनवारखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 214/8572 भूमिस्वामी वकीलखॉ पुत्र अजीजखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 690/8572 भूमिस्वामी	2	4.086	1.350
62	जफरखॉ पुत्र साहबखॉ जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा.82/2/3	89/1/1/3	0.312	0.100
63	सुगराबी वेवा अब्दुलरहीमखॉ शाहिदखॉ मुस्तकीमखॉ हनीफाबी पुत्र पुत्रिया अब्दुल रहीमखॉ समान भाग जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 37	89/1/2	1.110	0.310
64	अमीरउद्दीन पुत्र सहाब खॉ पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू.रा.शा.82/2/1	89/1/1/1	0.313	0.030
65	बशीरउद्दीनखॉ पुत्र सहाबखॉ जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू.रा.शा.82/2/2	89/1/1/2	0.300	0.030

क्र.	नाम कृषक/पिता का नाम/जाति/ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का कुल रकवा (हे.मै)	कुल अर्जित रकवा (हे.मै)
1	2	3	4	5
66	वियावी बेवा सिकन्दरखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी जखवारखों पुत्र सिकन्दरखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी अनवारखों पुत्र सिकंदरखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी इसरारखों पुत्र सिकंदरखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी सगीराबी पुत्री सिकंदरखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी शमीनाबी पुत्री सिकंदरखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी अमीनाबी पुत्री सिकंदरखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 37	89/2	1.463	0.400
67	अब्दुल हमीदखों पुत्र मेहमूद खों जाति मुसलमान पता कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश भाग 1415/4246 भूमि स्वामी इस्लामउद्दीन पुत्र अब्दुल हमीदखों जाति मुसलमान पता देवली विदिशा मध्य प्रदेश भाग 1243/4246 भूमि स्वामी अजहरखों पुत्र एजाजखों जाति मुसलमान पता देवली विदिशा मध्य प्रदेश भाग 0139/4246 भूमि स्वामी अख्तर खों फकीरखों शब्बीरखों आयशाबी सायराबी पुत्र पुत्रियां सौरावखों जाति मुसलमान पता देवली विदिशा मध्य प्रदेश भाग 0825/4246 भूमि स्वामी नहीमाखों पुत्र राजखों जाति मुसलमान पता देवली विदिशा मध्य प्रदेश भाग 0140/4246 भूमि स्वामी अफसर खों पुत्र मेहराजखों जाति मुसलमान पता देवली विदिशा मध्य प्रदेश भाग 0140/4246 भूमि स्वामी रहीसउद्दीन खों पुत्र नूरमोम्मद जाति मुसलमान पता देवली विदिशा मध्यप्रदेश भाग 0344/4246 भूमि स्वामी	89/1/3	0.682	0.080
68	आरिफखों पुत्र नामदारखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/35 भाग भूमिस्वामी तारिफखों पुत्र नामदारखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/35 भाग भूमिस्वामी ताहिरखों पुत्र नामदारखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/35 भाग भूमिस्वामी नज्जोवी पुत्री नामदारखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/35 भाग भूमिस्वामी वुल्लोवी पुत्री नामदारखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/35 भाग भूमिस्वामी रूवीनावी पुत्री नामदारखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/35 भाग भूमिस्वामी कुरेशावी वेवा नामदारखों जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/35 भाग भूमिस्वामी फैयाजखों पुत्र खुशी खों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमिस्वामी हल्केदारखों पुत्र खुशीखों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी सईदखों पुत्र खुशी खों जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमिस्वामी लडडोवी पुत्री खुशी खों जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमिस्वामी भू.रा. शा.86/1	89/3/1	0.630	0.400
69	वशीरनवी वेवा इस्माईलखों जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश 0980/6124 भाग भूमि स्वामी एहमदखों पुत्र इस्माईलखों जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश 1714/6124 भाग भूमि स्वामी गट्टूखों पुत्र इस्माईलखों जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश 1715/6124 भाग भूमि स्वामी नन्हेखों पुत्र इस्माईलखों जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश 1715/6124 भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 86/2	89/3/2	0.791	0.240

क्र.	नाम कृषक/पिता का नाम/जाति/ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का कुल रकबा (हे.मै)	कुल अर्जित रकबा (हे.मै)
1	2	3	4	5
70	छोटेखां पुत्र कासमखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 3/4	89/653	0.031	0.031
71	छोटेखां पुत्र कासमखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 3/4	90	0.063	0.063
72	अजीमखां पुत्र सूबेखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 6/1	408/1	0.211	0.080
73	शाहिदखां पुत्र सूबेखां जाति मुसलमान पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू.रा.शा. 6/1	408/2	0.211	0.080
74	हामिदखां पुत्र सूबेखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 6/2	408/3	0.211	0.090
75	सगीरखां पुत्र सूबेखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 6/3	408/4	0.211	0.080
76	साजिदखां पुत्र सूबेखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 6/4	408/5	0.211	0.080
77	राजमोहम्मद खां पुत्र इब्राहिमखां जाति मुसलमान पता कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा. बिलमुक्ता 11.92	409/1	0.325	0.220
78	शाकिरखां पुत्र इब्राहिमखां जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. बिलमुक्ता 11.92	409/2	0.324	0.180
79	ग्यासउददीनखां पुत्र मौजुददीनखां जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा.70	407	2.205	0.250
80	राजमोहम्मद पुत्र अब्दुलअजीजखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी बशीरखां पुत्र अब्दुलअजीजखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी वकीलखां पुत्र अब्दुलअजीजखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी सलीमखां पुत्र अब्दुलअजीजखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी आसमाबी पत्नि जाकिरखां पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 168/1	410/1	0.312	0.228
81	बन्नेखां पुत्र इब्राहिमखां जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा. 1.00	410/2/1	0.311	0.228
82	मुस्ताक खां पुत्र इनायत खां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 0	410/2/2/1	0.373	0.320
83	जाहिदखां पुत्र इनायतखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. बिलमुक्ता 4.20	410/2/2/2	0.373	0.290
84	राशिदखां पुत्र इनायतखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 287/1	410/2/2/3	0.288	0.180
85	मोहम्मदखां पुत्र इनायतखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.वि.मु.4.20	410/2/2/4	0.218	0.140
86	ऐवजखां पुत्र हैदर खां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.10	410/3	0.627	0.456
87	यूनिस खां अल्ताफखां पुत्रगण वहीदाखां जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.रा.शा. 168/4	410/4	0.312	0.228
88	नबाबखां पुत्र ग्यासुद्दीन खां जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/2 भाग सनबबरखां पुत्र ग्यासुद्दीन खां जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/2 भाग भू.रा.शा. 75	410/5	2.557	1.750
89	नबाबखां पुत्र ग्यासुद्दीन खां जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/2 भाग सनबबरखां पुत्र ग्यासुद्दीन खां जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी	413	0.334	0.130

क्र.	नाम कृषक/पिता का नाम/जाति/ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का कुल रकबा (हे.में)	कुल अर्जित रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
90	अनीसमोहम्मद पुत्र आशिक मोहम्मद जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी हलीमनवी बेवा आशिक मोहम्मद जाति मुसलमान पता पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी	412/654/1/1	0.523	0.150
91	सादिकमोहम्मद पुत्र आशिक मोहम्मद जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी हकीमनवी बेवा आशिक मोहम्मद जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी	412/654/1/2	0.522	0.040
92	अनीसमोहम्मद पुत्र आशिक मोहम्मद जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी हलीमनवी बेवा आशिक मोहम्मद जाति मुसलमान पता पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 55	412/1/1	1.126	0.690
93	सादिकमोहम्मद पुत्र आशिक मोहम्मद जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी हकीमनवी बेवा आशिक मोहम्मद जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 55/2	412/1/2	1.126	0.350
94	वशीरखां पुत्र सरदारखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	412/2	1.244	0.280
95	शरीफ खां पुत्र सरदार खां जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 65	412/3	0.542	0.120
96	याकूब खां पुत्र सरदार खां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 367	412/4	0.466	0.110
97	इब्राहीमखां पुत्र बाबूखां जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा.142/1	419/1	0.256	0.140
98	इसगरखां पुत्र सरीफखां जाति मुसलमान पता कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/2 भूमि स्वामी राशीदखां पुत्र शरीफखां जाति मुसलमान पता कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/2 भूमि स्वामी	420/1	0.551	0.130
99	इमामउद्दीनखां पुत्र रफीकखां जाति मुसलमान पता कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 0275/0337 भूमि स्वामी हमीदखां पुत्र मेहताबखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश 0062/0337 भूमि स्वामी	420/2	0.275	0.100
100	जाविरखां पुत्र एवज खां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 417/4	421/1	1.000	0.370
101	अल्ताफ खां पुत्र एवज खां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 417/2	421/2	0.055	0.010
102	नोशेखां पुत्र सूबेखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.00	424/1	1.231	0.260
103	खालिदखां पुत्र राजमोहम्मद जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी इत्यासखां पुत्र राजमोहम्मद जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी नहीमखां पुत्र राजमोहम्मद जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 224/2	424/2	1.231	0.620
104	मेहराजखां पुत्र सूबे खां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 224/3	424/3	1.231	0.750
105	ऐजाद खां पुत्र सूबे खां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 224/4	424/4	1.230	0.250

क्र.	नाम कृषक/पिता का नाम/जाति/ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का कुल रकबा (हे.में)	कुल अर्जित रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
106	अस्ताकरखां पुत्र बाबू खां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 250/3/1	431/1/1	0.627	0.350
107	अब्दुल रज्जाकरखां पुत्र बाबू खां जाति मुसलमान विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 250/3/2	431/1/2	0.627	0.300
108	अस्फाकरखां पुत्र बाबू खां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 250/3/3	431/1/3	0.627	0.150
109	शकीलखां पुत्र शम्भूखां जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	431/2/3	0.417	0.010
110	शम्भूखां पुत्र गुलाबखां जाति मुसलमान पता कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	431/2/4	0.696	0.460
111	मुस्ताकरखां पुत्र मुजबफरखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी मुमताज पुत्र मुजबफरखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी मुवीनखां पुत्र मुजबफरखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी फुलाबी पुत्री मुजबफरखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी नसरूनबी पुत्री मुजबफरखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 268/3	431/3	1.746	0.340
112	हारूनखां पुत्र हवीवखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 264/1	430/1/1	0.885	0.280
113	एहतेशाम खां पुत्र हवीवखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 295	430/1/2	0.885	0.580
114	सादिक खां पुत्र हवीवखां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 353/2	430/1/3	0.885	0.400
115	शाहरुखखान पुत्र अख्तरखां जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 148/2	430/2/1	0.328	0.060
116	सलमान खां पुत्र अख्तरखां जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 148/2	430/2/2	0.328	0.050
117	मोहम्मद आमिर खां पुत्र अख्तरखां जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 148/2	430/2/3	0.327	0.050
118	अख्तरखां पुत्र यासीनखां जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 148/2	430/2/4	1.072	0.180
119	शकीलाबी पत्नि अख्तरखां जाति मुसलमान पता देवली कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.00	430/2/5	0.600	0.110
120	याकूब खां पुत्र सरदार खां जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 367	372	0.073	0.010
योग			79.699	30.424

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई जिला विदिशा एवं परियोजना प्रशासक कोठा बैराज परियोजना कियान्वयन इकाई जल संसाधन विभाग गंजबासौदा जिला विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक- क्यू अ-82-21-22.

मौजा रामगढ़ पट. ह. नं. 12 तहसील पठारी

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में प्राप्त आपत्तियों की अधिनियम 2013 की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| (1) परियोजना का नाम :- | हनौता सिंचाई परियोजना |
| (2) भूमि का विवरण :- | |
| 1. जिला | विदिशा |
| 2. तहसील | पठारी |
| 3. ग्राम | रामगढ़ |
| 4. पटवारी हल्का नं. | 12 |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | 1.464 हेक्टेयर |

:: अनुसूची -01::

स.क्र.	नाम कृषक/पिता का नाम/जाति/ग्राम	सर्वे नं.	भूमि का कुल रकवा (हेक्टे. मे.)	कुल अर्जित रकवा (हेक्टे. मे.)
1	वल्लू पुत्र धन्ना जाति चमार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 502/2508 भाग भूमि स्वामी मूलचंद पिता धन्ना जाति चमार जाति पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0502 /2508 भाग भूमि स्वामी पुत्र धन्ना जाति चमार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0502/2508 भाग भूमि स्वामी हल्कीबाई पुत्री धन्ना जाति चमार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0501/2508 भाग भूमि स्वामी हरिराम पुत्र किशोरी जाति चमार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0072/2508 भाग भूमि स्वामी गोपाल पुत्र किशोरी जाति चमार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0072/2508 भाग भूमि स्वामी नीरज पुत्र किशोरी जाति चमार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0072/2508 भाग भूमि स्वामी सुनीता पुत्री किशोरी जाति चमार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0072/2508 भाग भूमि स्वामी सरोज पुत्री किशोरी जाति चमार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0071 / 2508 भाग भूमि स्वामी आरती पुत्री किशोरी जाति चमार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0071/2508 भाग भूमि स्वामी हीराबाई बेवा किशोरी जाति चमार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0071/2508 भाग भूमि स्वामी	107/1	2.508	0.084

2	समरथसिंह पुत्र रामप्रसाद जाति चिढार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0358/2508 भाग भूमि स्वामी रुपलाल पुत्र रामप्रसाद जाति चिढार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0.358/2508 भाग भूमि स्वामी गुड्डा पुत्र रामप्रसाद जाति चिढार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0358/2508 भाग भूमि स्वामी दासू पुत्र रामप्रसाद जाति चिढार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0358/2508 भाग भूमि स्वामी सरजूवाई पुत्री रामप्रसाद जाति चिढार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0358/2508 भाग भूमि स्वामी लाडोबाई पुत्री रामप्रसाद जाति चिढार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0358/2508 भाग भूमि स्वामी नीतू बाई बेवा. नरेश जाति चिढार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0090/2508 भाग भूमि स्वामी राजेन्द्रसिंह नाबालिग पुत्र नरेश संरक्षक माँ नीतू जाति चिढार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0090/2508 भाग भूमि स्वामी सोनम नाबालिग पुत्री नरेश संरक्षक माँ नीतू जाति चिढार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0090/2508 भाग भूमि स्वामी सिवानी नाबालिग पुत्री नरेश संरक्षक मा नीतू जाति चिढार पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0090/2508 भाग भूमि स्वामी	107/2	0.836	0.731
		108/3	1.672	0.021
3	खिलान ज्वाल पुत्रगण रतिया राजकुंवर बाई पुत्री रतिया जाति सवत पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी	107/3	1.045	0.110
4	प्रीतम पुत्र कम्मोदा रावत नि.ग्रा. भेसवा सा (पाही) भूमि स्वामी	107/4	1.254	0.215
5	कुसुमवाई पौर्वतीबाई पुत्रियां रामसिंह जाति रावत पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी	108/4	1.588	0.179
6	सुशीलाबाई पुत्री मिटडूलाल जाति रावत पता रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	111/1	1.254	0.090
7	मुन्ना वीरावकिंग गुड्डा ना.वा.पुत्र.कलुवा व सर. वीराभाई स्वयं सु. रमको वाई वेवा कलुआ व राजेश भूमि स्वामी ना.वा.पुत्र ववुआ व सर. वीरा स. भा. रावत नि.ग्रा. भूमि स्वामी	112/1	1.359	0.030
		112/2	2.299	0.004
	योग	9	13.815	1.464

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई जिला विदिशा के कार्यालय में दिनांक 04/04/22 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई जिला विदिशा एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर, के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक- अ-82-21-22- क्यू.

मौजा रामगढ़ पट. ह. नं. 12 तहसील पठारी

(देखिये धारा 19 एवं 21)

:: अधिसूचना ::

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में प्राप्त आपत्तियों की अधिनियम 2013 की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

(1) परियोजना का नाम :-	हनौता सिंचाई परियोजना
(2) भूमि का विवरण :-	
1. जिला .	विदिशा
2. तहसील	पठारी
3. ग्राम	महुआखेडा
4. पटवारी हल्का नं.	11
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	0.155 हेक्टेयर

:: अनुसूची -01::

स.क्र.	नाम कृषक/पिता का नाम/जाति/ग्राम	सर्वे नं.	भूमि का कुल रकवा (हेक्टे. में)	कुल अर्जित रकवा (हेक्टे. में)
1	करनासिंह पुत्र मुलरं पत्नी गुड्डोबाई जाति चमार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी अहस्तान्तरणी	287	0.467	0.021
2	सीताराम पुत्र देवासिंह जाति कुमाँ पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	290	0.209	0.032
3	भागोरथ पुत्र पूरन जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	321/4/3	0.721	0.102
	योग	3	1.397	0.155

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई जिला विदिशा के कार्यालय में दिनांक 06/04/22 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई जिला विदिशा एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

उमाशंकर भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग
ज्ञापन क्र.-457-जि.भू.अ.- 2022. सिवनी, दिनांक 24 जनवरी 2022

**प्रारूप दो
(नियम 5 (1))
प्रारंभिक अधिसूचना**

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की घोघरीमाल से खमरिया मार्ग के कि.मी. 15/6 पर हालोन नदी में उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंचमार्ग के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन द्वारा कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग-जबलपुर को उक्त भूमि के संबध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

1.भूमि का विवरण

- (क) जिला - सिवनी
(ख) तहसील - धनौरा
(ग) नगर/ग्राम - कोंडरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.10 हेक्ट0

कं.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे.में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचनाएं	
						उ.	द.	पू.	प.	किस्म	संख्या	प्रकार	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	199	निजी भूमि स्वामी	सिंचित भूमि	0.10	जवाहर लाल पिता भागवत जाति गोंड	ख नं. 197 शास कीय घास भूमि	ख नं. 197 शास कीय घास भूमि	ख नं. 197 शास कीय घास भूमि	ख नं. 199 जवाहर लाल पिता भागवत की शेष भूमि	-	-	-	-
कुल योग--				0.10 हेक्ट.						-	-	-	-

2.अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी में किया जा सकता है।

3.अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग-जबलपुर जिला जबलपुर में किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो तो फाईल किया जा सकता है।

ज्ञापन.क्रं - ५५४ / जि.भू.अ. / 2021-22-

प्रारूप दो
(नियम 5 (1))
प्रारंभिक अधिसूचना

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की सिवनी से चिरईडोंगरी राज्यमार्ग क.12 में सागर नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन द्वारा कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग-जबलपुर को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

1.भूमि का विवरण

- (क) जिला - सिवनी
(ख) तहसील - केवलारी
(ग) नगर/ग्राम - धानागाडा
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.12 हेक्ट0

कं.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे.में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचनाएं	
						उ.	द.	पू.	प.	प्रकार	संख्या	प्रकार	संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	8/5	निजी भूमि स्वामी	सिंचित भूमि	0.12	भादू पिता गूहा, ब्रजलाल पिता गूहा, बुद्धोबाई पिता गूहा जाति गोंड	सागर नदी	ख.नं. 8/5 भादू पिता गूहा, ब्रजलाल पिता गूहा, बुद्धोबाई पिता गूहा की शेष भूमि	ख.नं. 8/5 भादू पिता गूहा, ब्रजलाल पिता गूहा, बुद्धोबाई पिता गूहा की शेष भूमि	स्टेट हाइवे मार्ग				
कुल योग-				0.12 हेक्ट.						-	-	-	-

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी केवलारी जिला सिवनी में किया जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री लो.नि. सेतु निर्माण संभाग-जबलपुर जिला जबलपुर में किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी केवलारी जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो तो फाईल किया जा सकता है।

ज्ञापन.क्रं - 459 / जि.भू.अ. / 2022-

प्रारूप दो
(नियम 5 (1))
प्रारंभिक अधिसूचना

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की सिवनी से चिरईडोंगरी राज्यमार्ग क्र.12 मे सलाल नाला पर सिवनी की ओर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन द्वारा कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग-जबलपुर को उक्त भूमि के संबध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

1.भूमि का विवरण

- (क) जिला - सिवनी
(ख) तहसील - केवलारी
(ग) नगर/ग्राम - बिछुआ रैयत
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.07 हेक्ट0

क्रं.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे.में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचनाएं	
						उ.	द.	पू.	प.	किस	संख्या	प्रकार	स्थिति परिचा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	97/2	निजी भूमि स्वामी	सिंचित भूमि	0.04	प्रितम पिता मन्नू सिंह जाति गोंड	ख.नं. 97/2 प्रितम पिता मन्नू सिंह की शेष भूमि	स्टेट हाइवे मार्ग	सलाल नाला	ख.नं. 97/3 अयोध्या प्रसाद पिता शंकरलाल की निजी भूमि	-	-	-	-

2.	97/3	निजी भूमि स्वामी	सिंचित भूमि	0.03	अयोध्या प्रसाद पिता शंकर लाल जाति सुनार	ख.नं. 97/2 अयोध्या प्रसाद पिता शंकर लाल की शेष भूमि	स्टेट हाइवे मार्ग	ख.नं. 97/2 प्रितम पिता मन्नु सिंह की निजी भूमि	ख.नं. 97/2 अयोध्या प्रसाद पिता शंकर लाल की शेष भूमि				
कुल योग-				0.07 हेक्ट.						-	-	-	-

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी केवलारी जिला सिवनी में किया जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग-जबलपुर जिला जबलपुर में किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी केवलारी जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो तो फाईल किया जा सकता है।

ज्ञापन.क्रं - 460 / जि.भू.अ. / 2022

प्रारूप दो
(नियम 5 (1))
प्रारंभिक अधिसूचना

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की सिवनी से चिरईडोंगरी राज्यमार्ग क्र.12 मे सागर नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन द्वारा कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग-जबलपुर को उक्त भूमि के संबध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

1.भूमि का विवरण

- (क) जिला - सिवनी
(ख) तहसील - केवलारी
(ग) नगर/ग्राम - खैरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.06 हेक्ट0

कं.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे.में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचनाएं	
						उ.	द.	पू.	प.	किस्म	संख्या	प्रकार	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	12	13	14
1	184	निजी भूमि स्वामी	सिंचित भूमि	0.06	सुमन बाई पति शंकर लाल जाति कतिया	स्टेट हाइवे मार्ग	सागर नदी	ख.न.184 सुमन बाई पति शंकर लाल की शेष भूमि	स्टेट हाइवे मार्ग	-	-	-	-
कुल योग-				0.06 हेक्ट.						-	-	-	-

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी केवलारी जिला सिवनी में किया जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग-जबलपुर जिला जबलपुर में किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी केवलारी जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो तो फाइल किया जा सकता है।

ज्ञापन.क्रं - ८६ / जि.भू.अ. / 2022

प्रारूप दो
(नियम 5 (1))
प्रारंभिक अधिसूचना

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि सिवनी से चिरईखोंगरी राज्यमार्ग क्र.12 में छिपीधार नाला पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन द्वारा कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग-जबलपुर को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

1.भूमि का विवरण

- (क) जिला - सिवनी
(ख) तहसील - केवलारी
(ग) नगर/ग्राम - बोथिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.02 हेक्ट0

क्र.	खण संख्या	स्वामि त्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे.में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उ.	द.	पू.	प.	क्र.सं.	संख्या	प्रकार	स्थिति परिधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	296	निजी भूमि स्वामी	सिंचित भूमि	0.02	बुट्टीलाल पिता मुन्डा 'भीमसिंह'गनेश लाल पिता भगवानदीन झमिया वि. भगवानदीन 'छोटीबाई'चमेली बाई' रातरानी पिता भगवानदीन	स्टेट हाइवे मार्ग	ख.नं. 296 बुट्टीलाल पिता मुन्डा 'भीमसिंह' गनेशलाल पिता भगवानदीन झमिया वि. भगवानदीन वगैरह की शेष भूमि	ख.नं. 296 बुट्टीलाल पिता मुन्डा 'भीमसिंह' गनेशलाल पिता भगवानदीन झमिया वि. भगवानदीन वगैरह की शेष भूमि	छिपी धार नाला	-	-	-	-
कुल योग-				0.02 हेक्ट.						-	-	-	-

2.अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी केवलारी जिला सिवनी में किया जा सकता है।

3.अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग-जबलपुर जिला जबलपुर में किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी केवलारी जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो तो फाईल किया जा सकता है।

ज्ञापन.क्रं - 462 / जि.भू.अ. / 2022

प्रारूप दो
(नियम 5 (1))
प्रारंभिक अधिसूचना

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की सिवनी से चिरईडोंगरी राज्यमार्ग क.12 मे थावर नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन द्वारा कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग-जबलपुर को उक्त भूमि के संबन्ध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

1.भूमि का विवरण

- (क) जिला - सिवनी
(ख) तहसील - केवलारी
(ग) नगर/ग्राम - गुवारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.19 हेक्टर

कं	सर्वेक्षण संख्या	स्वामि त्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे.में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचनाएं	
						उ.	द.	पू.	प.	क	संख्या	प्रकार	विशेष परिचा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	76	निजी भूमि स्वामी	सिंचित भूमि	0.17	मुन्ना लाल पिता शंकर लाल, सचिन 'स्वप्निल पिता मुन्ना लाल जाति किरार	ख नं. 76 मुन्ना लाल पिता शंकर लाल, सचिन 'स्वप्निल पिता मुन्ना लाल की शेष भूमि	स्टेट हाइवे मार्ग	ख नं. 77 शास कीय घास भूमि व ख नं. 78 मेरसिंह पिता चेतनसिंह, रतिया वगैरह की भूमि	ख नं. 76 मुन्ना लाल पिता शंकर लाल, सचिन 'स्वप्निल पिता मुन्ना लाल की शेष भूमि	-	-	-	-

2	78	निजी भूमि स्वामी	सिंचित भूमि	0.02	बुददू, केहरसिंह, चंदनसिंह पिता मंगलसिंह अमरसिंह, मेरसिंह, शांता पिता चेतनसिंह, मदन सिंह अंतर, अंतराम, कुंती, सुशीला, कुंदन, वेवी पिता बोधनसिंह, गोधन पिता तिलंगा, रतिया बेवा मंगलसिंह जाति गोंड	ख नं. 77 शासकीय घास भूमि	स्टेट हाइवे मार्ग	थावर नदी	ख नं. 76 मुन्ना लाल पिता शंकर लाल, सचिन 'स्वप्निल पिता मुन्ना लाल की शेष भूमि				
कुल योग-				0.19 हेक्ट.						-	-	-	-

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी केवलारी जिला सिवनी में किया जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री लो.नि. वि. सेतु निर्माण संभाग-जबलपुर जिला जबलपुर में किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी केवलारी जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो तो फाईल किया जा सकता है।

क्रमांक-903-जि.भू.अ.- 2022.

सिवनी, दिनांक 14 फरवरी 2022

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, पेंच व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत सिवनी शाखा नहर की डी-2 माईनर नहर के विस्तार हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 के अंतर्गत, सिचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होंगे। उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा-11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

1- ग्राम का नाम :-तिघरा ब.नं.-258 प.ह.नं.-101
 2- रा.नि.मं. :-सिवनी भाग-2 तहसील.-सिवनी जिला.-सिवनी
 3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-0.15 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण क्रमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधिन क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रति किस्म	संख्या	प्रकार	ल्लिंघ का परिमाण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	162/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	संगीता पत्नि अजयकुमार जाति ब्राम्हण पता सिवनी म. प्र. भूमिस्वामी	संध्या पति सनतकुमार जाति ब्राम्हण भूमिस्वामी	ओमनाशयण पिता नंदराम बगैर भूमिस्वामी	मेहताप झाड़ू काठी भूमिस्वामी	विनोदकुमार पिता रघुनाथसिंह भूमिस्वामी	-	-	-	-
2	162/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	संध्या पति सनतकुमार जाति ब्राम्हण पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन (रास्ता)	संगीता पत्नि अजयकुमार जाति ब्राम्हण भूमिस्वामी	संध्या पति सनतकुमार जाति ब्राम्हण भूमिस्वामी	संगीता पत्नि अजयकुमार जाति ब्राम्हण भूमिस्वामी	-	-	-	-
योग	2			0.15									

- अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/बिक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
- अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो फाइल किये जा सकेंगे।

क्रमांक-904-जि.भू.अ.- 2022.

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, पंच व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत सिवनी शाखा नहर की माईनर नंबर 15 की सबमाईनर के विस्तार हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 के अंतर्गत, सिचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होंगे। उपरोक्त के संबंध में पंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा-11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

- 1- ग्राम का नाम :-जमुनिया ब.नं.-196 प.ह.नं.-118
 2- रा.नि.मं. :- सिवनी भाग-1 तहसील:-सिवनी जिला:-सिवनी
 3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-0.27 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र. हेक्ट. में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचनाएं	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	किस्म	संख्या	प्रकार	स्थिति परिया
1	55/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	अंतराम संतकुमार पिता बाबूलाल अहीर निवासी ग्राम भूमिस्वामी	अंतरामकी भूमि	नान्होप्रसाद की भूमि	सर्वेसबाई की भूमि	संतराम की भूमि	-	-	-	-
2	55/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	अंतराम पिता बाबूलाल अहीर निवासी ग्राम भूमिस्वामी	म.प्र.शासन रास्ता	अंतराम की भूमि	बुद्धीलाल की भूमि	संतराम की भूमि	-	-	-	-
3	52/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	मु. सर्वेसबाई पत्नि शेरसिंह बागरी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	राममुन्नी की भूमि	चैनकली की भूमि	गंभीरसिंह की भूमि	अंतराम की भूमि	-	-	-	-
4	52/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.08	राममुन्नी पत्नि सीताराम बागरी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	अंतराम की भूमि	सर्वेसबाई की भूमि	गंभीरसिंह की भूमि	विनोद की भूमि	-	-	-	-

5	54/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	विनोद पिता गंगाराम जाति कुर्मी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	अंतराम की भूमि	अंतराम की भूमि	कि राममुन्नी भूमि	विनोद की भूमि				
---	------	------------	------	------	---	-------------------	-------------------	-------------------------	------------------	--	--	--	--

1. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/बिक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
4. अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो फाइल किये जा सकेगे।

क्रमांक-905-जि.भू.अ.- 2022.

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, पंच व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत सिवनी शाखा नहर की माईनर नंबर 20 के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 के अंतर्गत, सिचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होंगे। उपरोक्त के संबंध में पंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा-11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

- | | | | |
|--------------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| 1- ग्राम का नाम | : -पिंडरई | ब.नं.:-365 | प.ह.नं.-126 |
| 2- रा.नि.मं. | : -सिवनी भाग-1 | तहसील:-सिवनी | जिला:-सिवनी |
| 3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:- | 1.70 हेक्टेयर | | |

स. क्र.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्ट. में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएँ				वृक्ष		संरचनाएँ	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	किस्म	संख्या	प्रकार	स्थिति एरिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	38/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.32	कमलेश अखलेश अनिता सुनीता पिता मिठ्ठनलाल ओमबाई पति मिठ्ठनलाल कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी	दयाल पिता मोतीलाल	विसनू पुत्र घूडन कतिया	रामकृष्ण पिता रामाधार ब्राम्हण	सुनीलकुमार पिता परसशाम	-	-	-	-
2	49/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.22	विसनू पुत्र घूडन कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी	कमलेश बगैरा की भूमि	राजाशाम पिता डिल्लनसिंह	गणू पिता पंचकोडी बागरी	शासकीय नहर	-	-	-	-
3	37	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	रामकृष्ण पिता रामाधार ब्राम्हण निवासी ग्राम भूमिस्वामी	जीरा मीरा बगैरा	विसनू पुत्र घूडन कतिया	कमलेश पिता मिठ्ठनलाल	कमलेश बगैरा की भूमि	-	-	-	-
4	35/1/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	कमलेश पिता मिठ्ठनलाल अखलेश पिता मिठ्ठनलाल कतिया पता ग्राम पिंडरई भूमिस्वामी	लल्लू पुत्र परसशाम	किशारकुमार पिता गुलाबसिंह	कमलेश पिता मिठ्ठनलाल	जीरा मीरा बगैरा पिता	-	-	-	-
	0.05			सुभाषसिंह शिवनाथसिंह		किशारकुमार पिता गुलाबसिंह	कमलेश पिता मिठ्ठनलाल	कमलेश पिता मिठ्ठनलाल	-	-	-	-	
	0.03			सुभाषसिंह शिवनाथसिंह		किशारकुमार पिता गुलाबसिंह	दयाल पिता मोतीलाल	कमलेश पिता मिठ्ठनलाल	-	-	-	-	
5	35/2/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	दयाल पिता मोतीलाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	सुभाषसिंह शिवनाथसिंह	किशारकुमार पिता गुलाबसिंह	दयाल पिता मोतीलाल	कमलेश पिता मिठ्ठनलाल	-	-	-	-
	0.05			सुभाषसिंह शिवनाथसिंह		किशारकुमार पिता गुलाबसिंह	दयाल पिता मोतीलाल	दयाल पिता मोतीलाल	-	-	-	-	
	0.05			सुभाषसिंह शिवनाथसिंह		किशारकुमार पिता गुलाबसिंह	म.प्र.शासन नाला	दयाल पिता मोतीलाल	-	-	-	-	

6	51	भूमिस्वामी	कृषि	0.27	किशोरकुमार पिता गुलाबसिंह कुरमी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	कमलेश पिता मिठठनलाल	निरपत्तसिंह पिता डिल्लीसिंह	म.प्र.शासन नाला	विष्णु पुत्र घूडन कतिया	-	-	-	-
7	52/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	निरपत्तसिंह पिता डिल्लीसिंह बागरी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	किशोरकुमार की भूमि	जीरा मीरा बगैरा पिता मकरसिंह	म.प्र.शासन नाला	रघु पिता पचकोडी	-	-	-	-
8	150/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.19	मोहन पिता दामोदर राव जाति ब्राम्हण निवासी सिवनी भूमिस्वामी	म.प्र.शासन रास्ता	अनिल पिता दामोदर राव जाति ब्राम्हण	सागर पिता नरेंद्र कुमार जाति कायस्त	म.प्र.शासन रास्ता	-	-	-	-
9	150/7	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	अनिल पिता दामोदर राव जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम भूमिस्वामी	मोहन पिता दामोदरराव ब्राम्हण	लालाबती ध.प. मधुकरराव ब्राम्हण	सागर पिता नरेंद्र कुमार जाति कायस्त	म.प्र.शासन रास्ता	-	-	-	-
10	149/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.17	सागर पिता नरेंद्र कुमार जाति कायस्त पता निवासी सिवनी भूमिस्वामी	म.प्र.शासन रास्ता	विष्णु पुत्र घूडन कतिया	सुयोगिता पिता नरेंद्र कुमार कायस्त	अनिल पिता दामोदर राव जाति ब्राम्हण	-	-	-	-
11	149/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	सुयोगिता पिता नरेंद्र कुमार कायस्त निवासी सिवनी भूमिस्वामी	म.प्र.शासन रास्ता	विष्णु-पुत्र घूडन कतिया	शशिकांत पिता श्रीकृष्ण ब्राम्हण	सागर पिता नरेंद्र कुमार	-	-	-	-
12	148/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	शशिकांत पिता श्रीकृष्ण ब्राम्हण निवासी ग्राम भूमिस्वामी	म.प्र.शासन रास्ता	कमलेश अखिलेश पिता मिठठनलाल	उर्मिला पति रामकृपाल जाति ब्राम्हण	सुयोगिता पिता नरेंद्र कुमार	-	-	-	-
13	148/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	उर्मिला पति रामकृपाल जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम भूमिस्वामी	म.प्र.शासन रास्ता	कमलेश अखिलेश पिता मिठठनलाल	रामकृष्ण पिता रामाधार ब्राम्हण	शशिकांत पिता श्रीकृष्ण ब्राम्हण	-	-	-	-
योग				1.70						-	-	-	-

- अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात क्रय/बिक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
- अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो फाइल किये जा सकेंगे।

क्रमांक-909-जि.भू.अ.- 2022.

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, पेंच व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत सिवनी शाखा नहर की माईनर नंबर 18 के विस्तार हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 के अंतर्गत, सिचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होंगे। उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा-11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

1- ग्राम का नाम :- कारीरात ब.नं.-59 प.ह.नं.-125
 2- रा.नि.मं. :- सिवनी भाग-1 तहसील:-सिवनी जिला:-सिवनी
 3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:- 0.05 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जित क्षेत्र हेक्ट. में.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचनाएं	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	किस्म	संख्या	प्रकार	स्थिति परिधि
1	257	भूमिस्वामी.	अर्जित	0.05	महेश, शंकरलाल, रमेश, दुलारी प्रेमाबाई, दशोदाबाई पिता धनाराम जाति किरार निवासी सिवनी भूमिस्वामी	राजकुमार की भूमि	रेल्वे लाइन	शासकीय रास्ता	उत्तमसिंह की भूमि	-	-	-	-
योग	01			0.05									

- अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात क्रय/बिक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा।
- अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो फाइल किये जा सकेगे।

क्रमांक-910-जि.भू.अ.- 2022.

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, पेंच व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत सिवनी शाखा नहर की डी-1 माईनर नहर के विस्तार हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 के अंतर्गत, सिचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होंगे। उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा-11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

- 1- ग्राम का नाम : - खैरीकला ब.नं.-123 प.ह.नं.-16
 2- रा.नि.मं. : - बंडोल तहसील-सिवनी जिला-सिवनी
 3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-0.07 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण कमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधिन क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रगति किस्म	संख्या	प्रकार	स्थिति का परिणाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	121	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	लालसिंह पिता खुमानसिंह जाति बागरी पता निवासी ग्राम सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन रास्ता	कमला पति स्व. खुमानसिंह भूमिस्वामी	सुन्दरलाल पिता भूपसिंग भूमिस्वामी	अदित्य, अनुज पिता अमरसिंह भूमिस्वामी				
योग	1			0.07									

- अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/बिक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
- अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो फाइल किये जा सकेंगे।

क्रमांक-911-जि.भू.अ.- 2022.

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की पंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 वितरिका नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 के अंतर्गत, सिचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होंगे। उपरोक्त के संबंध में पंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा-11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

- 1- ग्राम का नाम :- चोरगरठिया ब.नं.-179 प.ह.नं.-36
 2- रा.नि.मं. :- बंडोल तहसील:-सिवनी जिला:-सिवनी
 3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-0.77 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र हेक्टे. में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचनाएं	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	किस्म	संख्या	प्रकार	स्थिति
1	88/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.20	सूरजबाई वि. प्रीतमसिंह बागरी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	उत्तर:- नैनसिंह की भूमि	दक्षिण:- म.प्र. शासन की भूमि	पूर्व:- जमानाबाई की भूमि	पश्चिम:- रामसिंह की भूमि	-	-	-	-
2	85/5	भूमिस्वामी	कृषि	0.45	रामसिंह पुत्र कपूरचंद बागरी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	उत्तर:- सुजजनसिंह की भूमि	दक्षिण:- म.प्र. शासन नाला	पूर्व:- सूरजबाई की भूमि	पश्चिम:- मंगलीबाई की भूमि	-	-	-	-
3	85/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	मंगलीबाई ध.प.स्व. अशोककुमार संतोषी बा. सपना अंगूरी सुधा उर्फ दिव्या शिखा ना.बा. पिता अशोककुमार पा.मा. मंगलीबाई ध.प.स्व. अशोककुमार बागरी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	उत्तर:- सुजजनसिंह की भूमि	दक्षिण:- देवेन्द्रकुमार की भूमि	पूर्व:- रामसिंह की भूमि	पश्चिम:- मुन्ना की भूमि	-	-	-	-

4	69	भूमिस्वामी	कृषि	0.09	यशराजसिंह अज्ञान पिता भोपालसिंह पा. मा. संगीता पत्नि भोपालसिंह निवासी खैरी भूमिस्वामी	म.प्र. शासन नाला	नीलम की भूमि	म.प्र. शासन रास्ता	म.प्र. शासन नाला						
---	----	------------	------	------	---	---------------------	-----------------	-----------------------	---------------------	--	--	--	--	--	--

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/बिक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा।
4. अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो फाइल किये जा सकेंगे।

राहुल हरिदास फटिंग, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्रमांक 7365-भू-अर्जन-2022.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 17 फरवरी 2022

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22(ए)349-74/एमपीएस/31/728 भोपाल, दिनांक 16.06.2021 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम-नन्देवानी प0ह0न0-10, ब.न.-210, रा.नि.मं. -सौंसर,	विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल रकबा- 03.980 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण एवं पूर्व में	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-सौंसर जिला छिन्दवाड़ा	मोहगांव जलाशय के बांध निर्माण के लिये निजी भूमि एवं पूर्व में अर्जित भूमि पर स्थित
			अर्जित भूमि पर स्थित परिसंपत्तियां जो अर्जन से छुट गईं जिनमें :- 07 खसरा नम्बरों में स्थित 08 नग मकान (कच्चेकोठे/झोपड़े), 07 खसरा नम्बरों में स्थित 07 कुएँ (कच्चे/पक्के), 93 खसरा नम्बरों में स्थित 1588 वृक्ष का अर्जन हेतु पूरक प्रस्ताव		परिसम्पत्तियों अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-सौंसर जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग सौंसर जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग

प्रकरण क्रमांक 50-भू-अर्जन-2022.

गुना, दिनांक 24 फरवरी 2022

4 अ-82-2020-21

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11(1) के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में धारा-15(1) के तहत कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अतः समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है :-

- (1) परियोजना का नाम :- सुठालिया सिंचाई परियोजना
- (2) भूमि का विवरण :-
 - 1) जिला :- गुना
 - 2) तहसील :- मक्सूदनगढ़
 - 3) ग्राम :- राजपुरा
 - 4) प.हन. :- 45
 - 5) अर्जित भूमि का क्षेत्रफल :- 25.934 हैक्टेयर

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
1	रामप्रसाद पुत्र गनपत जाति सहर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	41/1/घ	0.500	0.100
		कुल 1 किता	0.500	0.100
2	बजेसिंह पुत्र जगन्नाथ जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	61/1	0.841	0.294
		कुल 1 किता	0.841	0.294
3	मु. गुलाबबाई बेवा चैनसिंह पता नि.ग्राम भूमि स्वामी कमल, शकर, सूरजसिंह सन्तीबाई पिता चैनसिंह पता नि.ग्राम समान भाग भूमि स्वामी	61/2/क	1.045	0.888
		66	0.293	0.293
		91	0.366	0.146
		कुल 3 किता	1.704	1.328

सं.सं.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
4	भमरलाल रंगलाल पुत्रगण पन्नालाल कैलाशबाई भूरियाबाई भगवतीबाई मानोरबाई पुत्रिया पन्नालाल कपूरीबाई बेवा पन्नालाल जाति चमार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	61/2/ख	0.993	0.794
		कुल 1 किता	0.993	0.794
5	मथरालाल पुत्र गोपीलाल जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	60/1	0.480	0.144
		68/2	1.317	1.317
		80	0.209	0.209
		83/4	1.150	0.173
		84	0.303	0.242
		90/2	0.170	0.068
		90/6	0.032	0.002
		कुल 7 किता	3.661	2.155
6	जगन्नाथ पुत्र गोपीलाल जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	60/2	0.481	0.144
		75/2/क/2	0.343	0.343
		70/2	1.129	1.129
		68/1	0.221	0.221
		82	0.167	0.167
		83/1	1.045	0.627
		90/3	0.170	0.136
		90/4	0.140	0.112
		98	0.721	0.505
		कुल 9 किता	4.417	3.384
7	गुलाबबाई धापूबाई पुत्रिया कासीराम जाति मेर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	58/2	0.209	0.021
		कुल 1 किता	0.209	0.021
8	रमेश चन्दनसिंह पुत्रगण प्रेमसिंह जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	57	0.303	0.045
		कुल 1 किता	0.303	0.045
9	उमरावबाई बेवा आशाराम शान्तीलाल रामप्रसाद पुत्र आशाराम जाति लोधी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	78	0.230	0.230
	नारानीबाई समन्त्रीबाई धापूबाई पुत्रियां आशाराम जाति लोधी पता नि.ग्राम समान भाग भूमि स्वामी	65	0.460	0.460
		कुल 2 किता	0.690	0.690
10	भमरलाल, मांगीलाल पुत्र गंगाराम जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	77	0.972	0.972
		88/1	3.762	3.574
		कुल 2 किता	4.734	4.546
11	भमरलाल पुत्र गंगाराम जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	76	0.209	0.209
		कुल 1 किता	0.209	0.209
12	रामचरण पुत्र गंगाराम जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	75/1	0.627	0.627
		कुल 1 किता	0.627	0.627

संक्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
13	देवसिंह पुत्र मांगीलाल जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	75/2/क/1	0.157	0.157
		70/1	0.470	0.470
		कुल 2 किता	0.627	0.627
14	श्रीकृष्ण पुत्र छीतर जाति लोधी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	74/1	0.042	0.042
		कुल 1 किता	0.042	0.042
15	मु. वादामबाई देवा ऊंकारलाल जाति लोधी नि. ग्राम भूमि स्वामी जयसिंह पुत्र ऊंकारलाल जाति लोधी नि. ग्राम भूमि स्वामी कोशल्या, सरजू पुत्रीया ऊंकारलाल जाति लोधी नि. ग्राम सामान भाग भूमि स्वामी	74/2	0.042	0.042
		कुल 1 किता	0.042	0.042
16	मांगीलाल पुत्र छीतर जाति लोधी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	74/3	0.042	0.042
		कुल 1 किता	0.042	0.042
17	हेमराज पुत्र भमरलाल बसन्तीबाई पुत्रीया भमरलाल गुलाबबाई देवा भमरलाल जाति लोधी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	74/4	0.042	0.042
		कुल 1 किता	0.042	0.042
18	रामबाई पुत्र छीतर जाति लोधी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	74/5	0.031	0.031
		कुल 1 किता	0.031	0.031
19	जमनालाल पुत्र जगन्नाथ जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	73/1/1	0.090	0.090
		63/2/1	0.180	0.180
		कुल 2 किता	0.270	0.270
20	रामप्रसाद पुत्र जगन्नाथ जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	73/1/2	0.090	0.090
		63/2/2	0.179	0.179
		कुल 2 किता	0.269	0.269
21	शंकरसिंह पुत्र जगन्नाथ जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	73/1/3	0.091	0.091
		63/2/3	0.179	0.179
		कुल 2 किता	0.270	0.270
22	छोटेलाल पुत्र मनीराम जाति यादव पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	73/2/1	0.136	0.136
		कुल 1 किता	0.136	0.136
23	भूलीबाई देवा नेनकराम लाखनसिंह पुत्र नेनकराम जाति यादव पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	73/2/2	0.136	0.136
		कुल 1 किता	0.136	0.136
24	हीरालाल पुत्र गोपीलाल जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	72	0.314	0.314
		68/3	2.966	2.966

सं.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति, ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
		83/2	1.254	0.188
		90/1	0.170	0.102
		90/5	0.060	0.048
		कुल 5 किता	4.764	3.618
25	नारानसिंह पुत्र प्रथीसिंह पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	71/1	0.135	0.135
		88/2/1	0.162	0.032
		कुल 2 किता	0.297	0.167
26	हजारीलाल पुत्र प्रथीसिंह पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	71/2	0.136	0.136
		88/2/2	0.162	0.016
		कुल 2 किता	0.298	0.152
27	करनसिंह पुत्र प्रथीसिंह पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	71/3	0.136	0.136
		88/2/3	0.162	0.049
		कुल 2 किता	0.298	0.185
28	बद्रीलाल पुत्र प्रथीसिंह पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	71/4	0.136	0.136
		88/2/4	0.162	0.049
		कुल 2 किता	0.298	0.185
29	केशरबाई बेवा काशीराम जाति मेर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	58/1	0.334	0.117
		कुल 1 किता	0.334	0.117
30	मीराबाई बेवा सुन्दरलाल मनोहरसिंह, शिवराजसिंह, पुत्रगण सुन्दरलाल, रानीबाई नाबा पिता सुन्दरलाल नाबा सर मां जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	63/1	0.836	0.836
		कुल 1 किता	0.836	0.836
31	अमरसिंह पुत्र जगन्नाथ जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	63/2/4	0.180	0.180
		कुल 1 किता	0.180	0.180
32	अजबसिंह पुत्र रामबाबू जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	63/2/5	0.179	0.179
		कुल 1 किता	0.179	0.179
33	रामसिंह पुत्र जगन्नाथ जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	63/2/6	0.179	0.179
		कुल 1 किता	0.179	0.179
34	हीरालाल मथरालाल जगन्नाथ पुत्र गोपीलाल जाति अहीर पता नि.ग्राम समान भाग भूमि स्वामी	79	0.073	0.073
		90/7	0.010	0.008
		कुल 2 किता	0.083	0.081
35	अनारबाई बेवा देवीसिंह भारतसिंह बनेसिंह विशनसिंह दरयावसिंह पुत्रगण देवीसिंह कमलाबाई सुमनबाई लीलाबाई पुत्रीया देवीसिंह जाति राजपूत पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	81	0.209	0.209
		85	0.669	0.669
		86	0.010	0.010
		कुल 3 किता	0.888	0.888
36	गोपाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	97/2	2.090	1.672

सं.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
		कुल 1 किता	2.090	1.672
37	नानजी पुत्र कालूराम पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	97/3	1.045	0.523
		कुल 1 किता	1.045	0.523
38	फूलसिंह पुत्र मनीराम जाति यादव पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	99/1	0.360	0.198
		कुल 1 किता	0.360	0.198
39	सूरजबाई बेवा बापूलाल रामचरण नेनजीराम धीरपसिंह लख्मीचन्द पुत्रगण बापूलाल जाति यादव पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	99/2	0.361	0.217
		कुल 1 किता	0.361	0.217
40	गोपी, गंगाराम, पून्या, गनेशराम, नानजी पिता कालूराम जाति सहर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी रामप्रसाद जमनालाल रहीस पुत्रगण गोपीलाल धापूबाई रूपाबाई कान्तिबाई पुत्रिया गोपीलाल भमरीबाई बेवा गोपीलाल भूमि स्वामी घोसीबाई पु. कालूराम जाति सहर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी जडयाबाई बेवा कालूराम जाति सहर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	24	0.752	0.376
		कुल 1 किता	0.752	0.376
41	मोहनप्रसाद पुत्र उधमसिंह जाति ब्राहमण पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	25	0.136	0.082
		कुल 1 किता	0.136	0.082
	महायोग :-	कुल 74 किता	34.173	25.934

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है, अतः पुनर्व्यस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन स्कीम के सार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

भूमि के नक्शे तथा प्लान आदि का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राघौगढ़, जिला - गुना एवं कार्यपालन यंत्री, सुठालिया परियोजना जल संसाधन संभाग ब्यावरा जिला सजंगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

फैंक नोबल ए. कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील-कुशी, जिला धार, मध्यप्रदेश
प्ररूप—“घ”

(नियम 6 देखिए)

कुशी, दिनांक 21 फरवरी 2022

पत्र क्रमांक-354-री-1-2022-राजस्व प्रकरण क्रमांक-20-अ-82-2021-22.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-3433-री-1-2021, कुशी, दिनांक 21 अक्टूबर 2021 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक-1 (ग्राम-चंदनखेड़ी, प.ह.न. 55, रा.नि.मं.-निसरपुर तह. कुशी जिला धार) से पम्प हाऊस क्रमांक-2 (ग्राम-खंडलाई), प.ह.न. 27, रा.नि.मं.-कुशी तह. कुशी जिला धार) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-कुशी, प.ह.नं.-32, तह. कुशी जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 नवम्बर 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	कुशी	ग्राम-कुशी, प.ह.नं.-32	628/2	0.083
			629/1	0.122
			624	0.085
			625	0.032
			618	0.053
			619	0.030
			615/3	0.042
			548	0.055
			549/1	0.034
			555/2	0.038
			554/2	0.029
			553/1/1	0.041
			558/2	0.051
			558/1	0.020
			561/3	0.053
			561/2	0.048
			562/2	0.013

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			541/3	0.020
			541/2	0.042
			539/1	0.013
			539/2	0.105
			534	0.057
			533	0.073
			522	0.077
			497/3	0.077
			496	0.042
			490	0.084
			473/2	0.036
			491	0.014
			474/2/4	0.107
			475/2/1	0.024
			475/1	0.036
			464/3	0.019
			452/1	0.096
			432	0.011
			433/1	0.081
			434/1	0.110
			435/1/1	0.106
			412/2	0.015
			436/1/2	0.005
			420/1	0.024
			414/1	0.149
			415/1	0.088
			417	0.113
			381/1	0.071
			421/1	0.012
			378	0.033
			377/2	0.010
			376/6	0.106
			कुल योग . .	2.685

प्ररूप—“घ”

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्रमांक-351-री-1-2022-राजस्व प्रकरण क्रमांक-29-अ-82-2021-22.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-3517-री-1-2021, कुशी, दिनांक 21 अक्टूबर 2021 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक-2 (ग्राम-खंडलाई प.ह.न. 27, रा.नि.मं.-कुशी तह. कुशी जिला धार) से पम्प हाऊस क्रमांक-3 (ग्राम-कांटी, रा.नि.मं.-कुशी तह. कुशी जिला धार) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-घटबोरी, प.ह.नं.-09/23, रा.नि.मं.-बाग तह. कुशी जिला धार, में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 नवम्बर 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	कुशी	ग्राम-घटबोरी, प.ह.नं.-09/23	570/1	0.005
			566	0.049
			546/4	0.036
			546/3	0.060
			546/2, 546/17	0.070
			546/1	0.039
			545/20	0.025
			545/18	0.023
			543/5	0.040
			543/6	0.039
			543/3	0.046
			543/9	0.036
			531	0.063
			524/3	0.037
			527/4	0.019
			523	0.003
			524/4	0.030
			524/2	0.019
			521/3	0.010
			521/4	0.016
519/2	0.023			
518/1	0.026			
519/1	0.012			
511/1	0.040			
511/2	0.089			
512/1	0.018			
512/2	0.035			
510/1	0.047			
कुल योग . .				0.955

प्ररूप—“घ”

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्रमांक-355-री-1-2022-राजस्व प्रकरण क्रमांक-16-अ-82-2021-22.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-3473-री-1-2021, कुशी, दिनांक 21 अक्टूबर 2021 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक-1 (ग्राम-चंदनखेड़ी, प.ह.नं. 55, रा.नि.मं.-निसरपुर तह. कुशी जिला धार)से

पन्प हाऊस क्रमांक-2 (ग्राम-खंडलाई, प.ह.न. 27, रा.नि.मं.-कुक्षी तह. कुक्षी जिला धार) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-चीलवा, प.ह.नं.-31/77, रा.नि.मं.-कुक्षी तह. कुक्षी जिला धार, में भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 नवम्बर 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	कुक्षी	ग्राम-चीलवा, प.ह.नं.-31/77	9	0.032
			7	0.021
			10	0.047
			कुल योग . .	<u>0.100</u>

प्ररूप—“घ”

{नियम 6 देखिए}

पत्र क्रमांक-353-री-1-2022-राजस्व प्रकरण क्रमांक-17-अ-82-2021-22.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-3467-री-1-2021, कुक्षी, दिनांक 21 अक्टूबर 2021 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक-1 (ग्राम-चंदनखेड़ी, प.ह.न. 55, रा.नि.मं.-निसरपुर तह. कुक्षी जिला धार)से पम्प हाऊस क्रमांक-2 (ग्राम खंडलाई, प.ह.न. 27, रा.नि.मं.-कुक्षी तह. कुक्षी, जिला धार) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-कवडीयाखेड़ा, प.ह.नं.-32/76, रा.नि.मं.-कुक्षी तह. कुक्षी जिला धार, में भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 नवम्बर 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	कुक्षी	ग्राम-कवडीयाखेड़ा, प.ह.नं.-32/76	419	0.120
			418	0.016
			431/1	0.085
			432	0.117
			433/1	0.031
			433/2	0.031

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			434	0.159
			407/1/1/1	0.065
			407/1/1/2	0.033
			438/2	0.063
			438/1/3/2	0.010
			438/1/3/1	0.010
			438/1/2	0.014
			438/1/1	0.027
			440/1	0.033
			443/2	0.111
			443/1	0.098
			446	0.114
			447	0.040
			348	0.086
			198/6	0.018
			198/5	0.009
			198/4	0.016
			198/3	0.014
			198/1/2	0.024
			198/2	0.005
			203/4/2	0.010
			203/4/1	0.010
			203/3	0.023
			205/4	0.008
			205/3	0.013
			205/2	0.017
			182/5/1	0.017
			182/5/2	0.042
			182/1	0.015
			180/6	0.017
			180/5	0.016
			180/4	0.033
			179	0.003
			176/1/1/4	0.083
			176/6	0.005
			176/5	0.006
			176/4	0.008
			176/2	0.005
			174/2	0.005
			174/1/3	0.015
			174/1/2	0.012
			170/1	0.060
			124/1	0.042
			123	0.138

कुल योग . . . 1.952

प्ररूप—“घ”

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 352-री-1-2022-राजस्व प्रकरण क्रमांक-15-अ-82-2021-22.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-3479-री-1-2021, कुशी, दिनांक 21 अक्टूबर 2021 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक-1 (ग्राम-चंदनखेड़ी, प.ह.नं. 55, रा.नि.म.-निसरपुर तह. कुशी जिला धार)से पम्प हाऊस क्रमांक-2 (ग्राम खंडलाई, प.ह.नं. 27, रा.नि.मं.-कुशी तह. कुशी जिला धार) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-जुगतलाई, प.ह.नं.-26, रा.नि.मं.-कुशी तह. कुशी जिला धार, में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 नवम्बर 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	कुशी	ग्राम-जुगतलाई, प.ह.नं.-26	591	0.014
			590	0.009
			581	0.007
			579	0.018
			556	0.020
			578	0.023
			558	0.042
			559	0.074
			560	0.101
			460/2	0.095
			460/1	0.009
			445/3	0.026
			445/2	0.033
			445/1/2	0.036
			317/3	0.023
			317/2	0.032
			कुल योग	0.562

प्ररूप—“घ”

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-356-री-1-2022-राजस्व प्रकरण क्रमांक-18-अ-82-2021-22.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम

के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-3045-री-1-2021, कुशी, दिनांक 21 अक्टूबर 2021 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक-1 (ग्राम-चंदनखेड़ी, प.ह.न. 55, रा.नि.म.-निसरपुर तह. कुशी, जिला धार) से पम्प हाऊस क्रमांक-2 (ग्राम-खंडलाई, प.ह.नं. 27, रा.नि.मं.-कुशी तह. कुशी, जिला धार) एवं पम्प हाऊस क्रमांक-3 (ग्राम-कांटी, रा.नि.मं.-कुशी तह. कुशी जिला धार) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-खंडलाई, प.ह.नं.-27, रा.नि.मं.-कुशी तह. कुशी, जिला धार, में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 नवम्बर 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	कुशी	ग्राम-खंडलाई, प.ह.नं.-27	587	0.036
			584/3	0.092
			585/3	0.046
			584/2	0.039
			565/1	0.044
			565/2	0.036
			566 & 567	0.117
			569	0.07
			555/1	0.042
			531/1/2	0.046
			533/12/2	0.111
कुल योग . .				<u>0.679</u>

प्ररूप—“घ”

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-490-री-1-2022-राजस्व प्रकरण क्रमांक-21-अ-82-2021-22.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-3389-री-1-2021, कुशी, दिनांक 21 अक्टूबर 2021 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक-1 (ग्राम-चंदनखेड़ी, प.ह.न. 55, रा.नि.मं.-निसरपुर तह. कुशी जिला धार) से पम्प हाऊस क्रमांक-2 (ग्राम-खंडलाई, प.ह.नं.-27, रा.नि.मं.-कुशी तह. कुशी, जिला धार) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-ग्राम-कोणदा, प.ह.नं.-54, रा.नि.मं.-निसरपुर तह. कुशी, जिला धार, में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 नवम्बर 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	कुशी	ग्राम-कोणदा, प.ह.नं.-54	96/3	0.030
			109/6	0.075
			109/5	0.066
			109/4	0.064
			109/1/1	0.060
			90/5	0.142
			42/2	0.062
			84/1/1	0.123
			77/3/3	0.075
			77/3/2	0.024
			77/3/1	0.023
			77/4	0.101
			77/1/3	0.051
			77/1/2	0.041
			77/1/1	0.034
			74/3	0.242
			61/2	0.029
			कुल योग . .	1.242

प्ररूप—“घ”

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-493-री-1-2022-राजस्व प्रकरण क्रमांक-25-अ-82-2021-22.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-3413-री-1-2021, कुशी, दिनांक 21 अक्टूबर 2021 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक-1 (ग्राम-चंदनखेड़ी, प.ह.नं. 55, रा.नि.म.-निसरपुर, तह. कुशी, जिला धार) से पम्प हाऊस क्रमांक-2 (ग्राम-खंडलाई, प.ह.नं. 27, रा.नि.मं.-कुशी तह. कुशी, जिला धार) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-बबुलशा, प.ह.नं.-57, रा.नि.मं.-निसरपुर तह. कुशी, जिला धार, में भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 नवम्बर 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	कुशी	ग्राम-बबुलशा, प.ह.नं.-57	61/3/4/1	0.109
			61/4	0.132

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			62/3	0.187
			66/2	0.014
			66/1	0.121
			67/1/1	0.32
			67/1/3	0.065
			160/2/1	0.062
			160/1	0.074
			157/1	0.083
			157/2	0.095
			157/3	0.018
			82	0.077
			84/2/1	0.204
			86/1/1	0.151
			कुल योग . .	<u>1.712</u>

प्ररूप—“घ”

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र-496-री-1-2022-राजस्व प्रकरण क्रमांक-23-अ-82-2021-22.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-3401-री-1-2021, कुशी, दिनांक 21 अक्टूबर 2021 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक-1 (ग्राम-चंदनखेड़ी, प.ह.नं. 55, रा.नि.म.-निसरपुर तह. कुशी, जिला धार) से पम्प हाउस क्रमांक-2 (ग्राम-खंडलाई, प.ह.नं. 27, रा.नि.मं.-कुशी तह. कुशी जिला धार) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-सुसारी, प.ह.नं.-57, रा.नि.मं.-निसरपुर तह. कुशी जिला धार, में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 नवम्बर 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	कुशी	ग्राम-सुसारी, प.ह.नं.-57	262/1/2	0.059
			262/2	0.108
			कुल योग . .	<u>0.167</u>

प्ररूप—“घ”
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-499-री-1-2022-राजस्व प्रकरण क्रमांक-14-अ-82-2021-22.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-3487-री-1-2021, कुशी, दिनांक 21 अक्टूबर 2021 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक-1 (ग्राम-चंदनखेड़ी, प.ह.नं. 55, रा.नि.म.-निसरपुर तह. कुशी, जिला धार) से पम्प हाऊस क्रमांक-2 (ग्राम-खंडलाई, प.ह.नं. 27, रा.नि.मं.-कुशी तह. कुशी, जिला धार) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-चंदनखेड़ी, प.ह.नं.-55, रा.नि.मं.-निसरपुर तह. कुशी जिला धार, में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 नवम्बर 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	कुशी	ग्राम-चंदनखेड़ी, प.ह.नं.-55	86/33/4	0.023
			86/33/1	0.026
			86/18/2	0.009
			88/4	0.021
			91/3	0.044
			91/2	0.015
			91/1	0.013
			94/1 & 94/2	0.025
			61/1/2	0.073
			60/1/2/3	0.072
			60/2/2/3	0.01
			60/2/2/2	0.007
			52/1/1/3	0.013
			52/1/1/2	0.01
			52/1/1/1	0.014
			53/2/1	0.029
			53/4	0.029
53/1/1	0.038			
53/1/2	0.033			
53/1/3	0.033			
43/4/1/2	0.095			
कुल योग . . .				0.632

प्ररूप—“घ”
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-502-री-1-2022-राजस्व प्रकरण क्रमांक-19-अ-82-2021-22.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-3439-री-1-2021, कुशी, दिनांक 21 अक्टूबर 2021 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-1 (ग्राम-चंदनखेड़ी, प.ह.नं. 55, रा.नि.मं.-निसरपुर, तह. कुशी, जिला धार) से पम्प हाऊस क्रमांक-2 (ग्राम-खंडलाई, प.ह.नं. 27, रा.नि.मं.-कुशी, तह. कुशी, जिला धार) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-नवादपुरा प.ह.नं.-55, रा.नि.मं.-निसरपुर, तह. कुशी जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 नवम्बर 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	कुशी	ग्राम-नवादपुरा, प.ह.नं.-55	35/1	0.067
			37/1	0.075
			38/1/3	0.108
			41/2/1	0.038
			64/1/ख/1	0.004
			41/1/3	0.046
			41/1/2	0.039
			41/1/1	0.086
			17/3/2/क	0.160
			4/1/1/2	0.064
			4/1/1/1	0.040
			3/2	0.12
			5/3/1	0.094
5/1	0.086			
कुल योग . .				1.027

प्ररूप—“घ”
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-505-री-1-2022-राजस्व प्रकरण क्रमांक-27-अ-82-2021-22.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-3427-

री-1-2021, कुक्षी, दिनांक 21 अक्टूबर 2021 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-1 (ग्राम-चंदनखेड़ी, प.ह.नं. 55, रा.नि.मं.-निसरपुर, तह. कुक्षी, जिला धार) से पम्प हाऊस क्रमांक-2 (ग्राम-खंडलाई, प.ह.नं. 27, रा.नि.मं.-कुक्षी तह. कुक्षी, जिला धार) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-अमलझुमा, प.ह.नं.-56, रा.नि.मं.-निसरपुर, तह. कुक्षी जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 नवम्बर 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	कुक्षी	ग्राम-अमलझुमा, प.ह.नं.-56	167/13	0.044
			167/11	0.059
			167/14	0.034
			167/6	0.018
			167/15	0.027
कुल योग :				0.182

प्ररूप—“घ”

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-509-री-1-2022-राजस्व प्रकरण क्रमांक-26-अ-82-2021-22.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-3419-री-1-2021, कुक्षी, दिनांक 21 अक्टूबर 2021 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-1 (ग्राम-चंदनखेड़ी, प.ह.नं. 55, रा.नि.मं.-निसरपुर, तह. कुक्षी, जिला धार) से पम्प हाऊस क्रमांक-2 (ग्राम-खंडलाई, प.ह.नं. 27, रा.नि.मं.-कुक्षी तह. कुक्षी, जिला धार) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-हेलादड़, प.ह.नं.-56, रा.नि.मं.-निसरपुर, तह. कुक्षी जिला धार, में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 नवम्बर 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	कुक्षी	ग्राम-हेलादड़, प.ह.नं.-56	385	0.124
			392	0.047
			395	0.077
			330	0.088
			331	0.055
			332	0.026
			136	0.02
			135	0.026
			134	0.051
			131	0.055
			86	0.055
			57 & 59	0.117
			50	0.031
			48	0.019
			49	0.062
			कुल योग .	<u>0.853</u>

प्ररूप—“घ”

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-512-री-1-2022-राजस्व प्रकरण क्रमांक-30-अ-82-2021-22.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-3511-री-1-2021, कुक्षी, दिनांक 21 अक्टूबर 2021 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-2 (ग्राम-खंडलाई, प.ह.न. 27, रा.नि.मं.-कुक्षी, तह. कुक्षी, जिला धार) से पम्प हाऊस क्रमांक-3 (ग्राम-कांटी, रा.नि.मं.-कुक्षी तह. कुक्षी, जिला धार) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-नीमखेड़ा, प.ह.नं. 15, रा.नि.मं.-बाग, तह. कुक्षी, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 नवम्बर 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	कुक्षी	ग्राम-नीमखेड़ा, प.ह.नं.-15	8, 11, 12/2	0.034
			10/1	0.038
			4	0.072
			कुल योग .	<u>0.144</u>

प्ररूप—“घ”

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-515-री-1-2022-राजस्व प्रकरण क्रमांक-32-अ-82-2021-22.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-3524-री-1-2021, कुशी, दिनांक 21 अक्टूबर 2021 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-2 (ग्राम-खंडलाई, प.ह.नं. 27, रा.नि.मं.-कुशी, तह. कुशी, जिला धार) से पम्प हाऊस क्रमांक-3 (ग्राम-कांटी, रा.नि.मं.-कुशी, तह. कुशी, जिला धार) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-घुमिया, प.ह.नं. 09, रा.नि.मं.-बाग, तह. कुशी, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 नवम्बर 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	कुशी	ग्राम-घुमिया, प.ह.नं.-09	160	0.105
कुल योग				0.105

प्ररूप—“घ”

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-518-री-1-2022-राजस्व प्रकरण क्रमांक-33-अ-82-2021-22.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-3530-री-1-2021, कुशी, दिनांक 21 अक्टूबर 2021 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-2 (ग्राम-खंडलाई, प.ह.नं. 27, रा.नि.मं.-कुशी, तह. कुशी, जिला धार) से पम्प हाऊस क्रमांक-3 (ग्राम-कांटी, रा.नि.मं.-कुशी, तह. कुशी, जिला धार) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-बाणदा, प.ह.नं. 09, रा.नि.मं.-बाग, तह. कुशी, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 नवम्बर 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	कुशी	ग्राम-बाणदा, प.ह.नं.-09	315/3	0.035
			315/2	0.023

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	कुशी	ग्राम-बाणदा, प.ह.नं.-09	315/1	0.020
			418/1	0.020
			417/2	0.020
			410/1	0.066
			425	0.042
			405/1	0.044
			406, 407	0.070
			402	0.008
			350	0.048
			351	0.014
			353/2	0.013
			352	0.047
			356	0.032
			357	0.061
			380/1, 380/2	0.013
			378/1/5	0.047
			378/1/4	0.040
			377/1	0.052
			365/441	0.064
			365/2	0.057
			368/4	0.051
			370	0.049
			कुल योग .	<u>0.936</u>

प्ररूप—“घ”

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-521-री-1-2022-राजस्व प्रकरण क्रमांक-22-अ-82-2021-22.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-3395-री-1-2021, कुशी, दिनांक 21 अक्टूबर 2021 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-2 (ग्राम-खंडलाई, प.ह.नं. 27, रा.नि.मं.-कुशी, तह. कुशी, जिला धार) से पम्प हाऊस क्रमांक-3 (ग्राम-कांटी, रा.नि.मं.-कुशी, तह. कुशी, जिला धार) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-बोरकुई, प.ह.नं. 13/31, रा.नि.मं.-01, बाग तह. कुशी, जिला धार (म. प्र.) में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 नवम्बर 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	कुक्षी	ग्राम-बोरकुई, प.ह.नं.-13/31	205/3	0.059
			141/7	0.036
			141/5	0.044
			143/3	0.077
			62	0.021
			68	0.104
			65	0.042
			67/4	0.027
			66	0.028
			67/2	0.025
			55/1/1	0.060
			54/4	0.003
			54/3	0.007
			54/2	0.006
			31/2	0.018
			30	0.034
			कुल योग .	0.591

प्ररूप—“घ”

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-524-री-1-2022-राजस्व प्रकरण क्रमांक-31-अ-82-2021-22.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-3505-री-1-2021, कुक्षी, दिनांक 21 अक्टूबर 2021 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-2 (ग्राम-खंडलाई, प.ह.न. 27, रा.नि.म.-कुक्षी, तह. कुक्षी, जिला धार) से पम्प हाऊस क्रमांक-3 (ग्राम-कांटी, रा.नि.म.-कुक्षी, तह. कुक्षी, जिला धार) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-चिज्बा, प.ह.नं. 09, रा.नि.म.-बाग तह. कुक्षी, जिला धार (म. प्र.) में भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 नवम्बर 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	कुक्षी	ग्राम-चिज्बा प.ह.नं.-09	449/2	0.081
			कुल योग .	0.081

प्ररूप—“घ”

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-527-री-1-2022-राजस्व प्रकरण क्रमांक-28-अ-82-2021-22.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-3493-री-1-2021, कुशी, दिनांक 21 अक्टूबर 2021 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-2 (ग्राम-खंडलाई, प.ह.नं. 27, रा.नि.मं.-कुशी, तह. कुशी, जिला धार) से पम्प हाऊस क्रमांक-3 (ग्राम-कांटी, रा.नि.मं.-कुशी तह. कुशी, जिला धार) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-कदवाल, प.ह.नं. 16, रा.नि.मं.-बाग, तह. कुशी, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 नवम्बर 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	कुशी	ग्राम-कदवाल, प.ह.नं.-16	117/3, 117/4	0.055
			117/2	0.068
			108	0.029
			109	0.02
			105	0.052
			103/1	0.033
			93	0.044
			85/5	0.009
कुल योग .				0.310

प्ररूप—“घ”

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-530-री-1-2022-राजस्व प्रकरण क्रमांक-34-अ-82-2021-22.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-3499-री-1-2021, कुशी, दिनांक 21 अक्टूबर 2021 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-2 (ग्राम-खंडलाई, प.ह.नं. 27, रा.नि.मं.-कुशी, तह. कुशी, जिला धार) से पम्प हाऊस क्रमांक-3 (ग्राम-कांटी, रा.नि.मं.-कुशी तह. कुशी, जिला धार) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-बेकल्या, प.ह.नं. 15, रा.नि.मं.-बाग, तह. कुशी, जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19 नवम्बर 2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	कुक्षी	ग्राम-बेकल्या, प.ह.नं.-15	263/3 & 135/3	0.072
			135/2/2	0.025
			136/1	0.055
			137/3/3	0.046
			131/1	0.047
			128/2/2	0.061
			124/1/1	0.070
			124	0.028
			87/1	0.009
			89	0.072
			75/2/1	0.066
			94	0.035
			96	0.014
			55/1	0.037
			54	0.028
			58/1	0.023
			58/2	0.040
			59/2	0.007
			23/3	0.010
			23/1/3	0.053
			13	0.020
			कुल योग .	<u>0.818</u>

पवार नवजीवन विजय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013)

गुना, दिनांक 24 फरवरी 2022

क्र. 52-खैराड डूब-भू-अर्जन-2022.—प्रकरण क्रमांक 2-अ-82-2020-21.—राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरांत पाया गया कि दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये ग्राम खैराड, तहसील मकसूदनगढ़ की भूमि की आवश्यकता है, इस आशय की धारा 11 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 05 मार्च 2021 को कराया गया है. प्रस्तावक विभाग द्वारा पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु उपयुक्त भूमि का प्रस्ताव समय पर न करने कृषकों के अवरोध करने तथा कोविड 19 महामारी व जिले में अतिवृष्टि की स्थिति निर्मित होने के कारण प्रस्तावक विभाग द्वारा धारा 19 के अंतर्गत घोषणा का सार प्रकाशन हेतु सुसंगत रूप से प्रस्तुत नहीं किया जा सका है.

अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19(7) के तहत प्रकरण में धारा 19(1) की घोषणा का प्रकाशन किये जाने हेतु 12 मास की अवधि विस्तारित की जाती है:—

अनुसूची (1)

भूमि का वर्णन

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)
गुना	मक्सूदनगढ़	खैराड	107.119	सुठालिया परियोजना के निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी परगना राघौगढ़, जिला गुना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फ्रेंक नोबल ए., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 10 फरवरी 2022

क्रमांक-12-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 जून सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि समुचित सरकार, इसके द्वारा अनुसूची कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम, 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में.) (4)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)
बालाघाट (म. प्र.)	बैहर	ग्राम पोला प.ह.नं. 22 ग्राम पंचायत किनारदा कृषक 17.	17.890	कार्यपालन यंत्री, बंजर नदी परियोजना संभाग, बैहर जिला बालाघाट.	पोला लघु जलाशय योजना के निर्माण से डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है, एवं कार्यपालन यंत्री, बंजर नदी परियोजना संभाग, बैहर जिला बालाघाट के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्रमांक-13-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 जून सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की

सूचना दी जाती है, कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम, 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट (म. प्र.)	परसवाड़ा	मानपुर प.ह.नं. 42/25 कृषक 07	14.077	कार्यपालन यंत्री, बजरं नदी परियोजना संभाग, बैहर जिला बालाघाट.	मानपुर लघु जलाशय योजना के निर्माण से डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, बजरं नदी परियोजना संभाग, बैहर जिला बालाघाट के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्रमांक-14-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 जून सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम, 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट (म. प्र.)	बैहर	ग्राम कन्दई प.ह.नं. 41 कृषक 03	6.830	कार्यपालन यंत्री, बजरं नदी परियोजना संभाग, बैहर जिला बालाघाट.	मदारी डबरा लघु जलाशय योजना के निर्माण से डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, बजरं नदी परियोजना संभाग, बैहर जिला बालाघाट के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्रमांक-15-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 जून सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की

सूचना दी जाती है, कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम, 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट (म. प्र.)	बैहर	ग्राम कोपरो प.ह.नं. 15 कृषकों की संख्या 18.	72.750	कार्यपालन यंत्री, बजरं नदी परियोजना संभाग, बैहर जिला बालाघाट.	मीनकुर लघु जलाशय योजना के निर्माण से डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, बजरं नदी परियोजना संभाग, बैहर जिला बालाघाट के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्रमांक-16-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 जून सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम, 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट (म. प्र.)	परसवाड़ा	ग्राम समनापुर प.ह.नं. 20/25 कृषकों की संख्या 09.	13.935	कार्यपालन यंत्री, बजरं नदी परियोजना संभाग, बैहर जिला बालाघाट.	रानी लघु जलाशय योजना के निर्माण से डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है, एवं कार्यपालन यंत्री, बजरं नदी परियोजना संभाग, बैहर जिला बालाघाट के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 6 दिसम्बर 2021

पत्र क्र. 294-प्रका.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—जवा
(ग) ग्राम—मदरी
(घ) क्षेत्रफल—0.183 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकवा (हे. में)	
	निजी भूमि (2)	शासकीय भूमि (3)
(1)		
(अ) निजी पट्टे की भूमि		
608/1	0.034	
608/4	0.131	
609/2/1	0.018	
योग . .	1.183	

(ब) शासकीय भूमि-निरंक

महायोग . .	0.183
------------	-------

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—त्योथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 296-प्रका.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—जवा
(ग) ग्राम—खोहा
(घ) क्षेत्रफल—0.235 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकवा (हे. में)	
	निजी भूमि (2)	शासकीय भूमि (3)
(1)		
(अ) निजी पट्टे की भूमि		
1090	0.062	
1087	0.022	
1073	0.043	
1067	0.067	
1069	0.004	
908	0.009	
909	0.004	
893	0.024	
योग . .	0.235	

(ब) शासकीय भूमि-निरंक

महायोग . .	0.235
------------	-------

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—त्योथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 298-प्रका.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—जवा
(ग) ग्राम—चौखण्डी
(घ) क्षेत्रफल—0.485 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकवा (हे. में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)

(अ) निजी पट्टे की भूमि

793	0.151
1337	0.055
1329	0.004
1330	0.038
1331	0.040
1298	0.080
1284	0.113
1287	0.004
योग . . .	<u>0.485</u>

(ब) शासकीय भूमि-निरंक

महायोग . . .	<u>0.485</u>
--------------	--------------

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—त्योथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 300-प्रका.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—जवा
(ग) ग्राम—कुशमैदा
(घ) क्षेत्रफल—0.709 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकवा (हे. में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)

(अ) निजी पट्टे की भूमि

113	0.012
166	0.345
441	0.124
442	0.098
246	0.048
250	0.042
268	0.040
योग . . .	<u>0.709</u>

(ब) शासकीय भूमि-निरंक

महायोग . . .	<u>0.709</u>
--------------	--------------

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—त्योथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 302-प्रका.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—जवा

(ग) ग्राम—दुनगी

(घ) क्षेत्रफल—0.084 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकवा (हे. में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)

(अ) निजी पट्टे की भूमि

62	0.084
योग . . .	0.084

(ब) शासकीय भूमि-निरंक

महायोग . . .	0.084
--------------	-------

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—त्योथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 304-प्रका.-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—जवा

(ग) ग्राम—गाढ़ा 138

(घ) क्षेत्रफल—0.054 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकवा (हे. में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)

(अ) निजी पट्टे की भूमि

1055	0.042
61/2	0.012
योग . . .	0.054

(ब) शासकीय भूमि-निरंक

महायोग . . .	0.054
--------------	-------

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—त्योथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
छोटे सिंह, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सीधी, दिनांक 1 फरवरी 2022

क्र. 57-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—चुरहट
(ग) ग्राम—अमरपुर
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—0004 अमरपुर
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकवा 0.130 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकवा (हे. में)	भूमिस्वामी का नाम	उद्देश्य
(1)	(2)	(3)	(4)
32	0.015	पुष्पेन्द्र कुमार पिता देवेन्द्र कुमार पाण्डेय	रेल परियोजना निर्माण हेतु
54	0.100	रामकृष्ण, हरेकृष्ण, शिवकृष्ण पिता रामशरण पाण्डेय	
57	0.007	शंकरलाल, सुरेश प्रसाद, रमेश प्रसाद, महेश प्रसाद पिता नारायण प्रसाद कचेर.	
60	0.008	प्रशान्त पिता अरविन्द शुक्ला	
निजी भूमि का योग	<u>0.130</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 59-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम—कोदई डांड
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—0023 रामपुर
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकवा 0.002 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकवा (हे. में)	भूमिस्वामी का नाम	उद्देश्य
(1)	(2)	(3)	(4)
86	0.002	आनन्द बहादुर सिंह, गोविन्द सिंह, जयचन्द्र सिंह, राज कुमारी सिंह, सुमन सिंह पिता तखतराज सिंह गहरवार.	रेल परियोजना निर्माण हेतु
निजी भूमि का योग	<u>0.002</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सीधी, दिनांक 7 फरवरी 2022

क्र. 61-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
 (ख) तहसील—चुरहट
 (ग) ग्राम—हर्दिहा पवाई
 (घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—0008 हर्दिहा पवाई
 (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकवा 0.872 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकवा (हे. में)	भूमिस्वामी का नाम	उद्देश्य
(1)	(2)	(3)	(4)
77	0.460	लालजी सिंह, उर्मिला सिंह, बाबूलाल सिंह, मंगलेश्वर सिंह, ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह पिता इन्द्रजीत सिंह, राजबहादुर सिंह पिता जयप्रताप सिंह, शुषमा सिंह पति शिवबहादुर सिंह व सोनिया पत्नी साहब सिंह, सरोज सिंह पिता इन्द्रजीत सिंह.	रेल परियोजना निर्माण हेतु
78	0.180	लालजी सिंह, उर्मिला सिंह, बाबूलाल सिंह, मंगलेश्वर सिंह, ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह पिता इन्द्रजीत सिंह, राजबहादुर सिंह पिता जयप्रताप सिंह, शुषमा सिंह पति शिवबहादुर सिंह व सोनिया पत्नी साहब सिंह, सरोज सिंह पिता इन्द्रजीत सिंह.	
82	0.032	सजन सिंह पिता इन्द्रबहादुर सिंह	
108	0.160	मु. मीरा सिंह बेवा अविनाश प्रताप सिंह	
139	0.040	भारत सिंह पिता इन्द्रबहादुर सिंह	
निजी भूमि का योग	<u>0.872</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 63-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
 (ख) तहसील—रामपुर नैकिन

- (ग) ग्राम—गोपालपुर
 (घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—29—गोपालपुर
 (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.436 हेक्टेयर.

खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे. में)	भूमिस्वामी का नाम	उद्देश्य
(1)	(2)	(3)	(4)
7/1	0.032	प्रदीप कुमार पिता रामनिवास ब्रा.	रेल परियोजना निर्माण हेतु
7/2	0.004	मीना पति संजय मिश्रा	
90/1	0.100	माला पिता जमुना केवट	
90/2	0.03	रामनारायण, अयोध्या, जगजीवन, धर्मदास पिता रामखेलावन केवट.	
102	0.27	आसुतोष सिंह, आलोक सिंह पिता इन्द्रदेव सिंह बाघेल	
निजी भूमि का योग	<u>0.436</u>		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
 उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 14 फरवरी 2022

पत्र क्र. 1736-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कालम (1) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (2) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है.

चूंकि, सतपेड़िया तालाब से धाहरा मुसरा इदरहा टोला पहुंच मार्ग का कार्य चल रहा है, जिसके लिए भूमि (रकबा) अधिग्रहित किया जाना है. इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)
 (ख) तहसील—जवा

- (ग) नगर/ग्राम—भनिगवाँ
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी भूमि का कुल रकबा 1.366 हेक्टेयर.

(क) निजी पट्टे की भूमि-भनिगवाँ

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1101/1	0.004
1100/1/1	0.033
1100/2/1	
1096/1/1	0.053
1096/2/1/1	
1096//2/2/1	
1096/2/3	0.036
1097/1	
1097/2	0.034
1095	
1093	0.061
1142/1	0.024
1142/2	0.025

(1)	(2)	(1)	(2)
1143	0.036	1485/1	0.032
1144/1/3		1482/1/1	
1144/1/1/1		1482/2/1	0.057
1144/1/1/2		1482/3	
1144/1/1/3	0.101	1479	0.012
1144/1/2		1478/1/1	0.003
1144/2		1477/3/1	
1144/3		1477/1	0.012
1144/4		1477/2	
1150/1	0.037	1120	0.028
1151/1	0.026	1119/1/1	
1151/2	0.027	1119/1/2	
1094	0.017	1119/1/3	0.053
1092	0.002	1119/2	
1155/1	0.046	1118/1/1/1	
1461	0.121	1118/1/2	
1459	0.067	1118/2/1/1	0.043
1460	0.023	1118/2/2/2	
1462/1	0.028	1469/1	0.024
1467/1	0.021	1103	0.021
1152/1/2	0.008	1102	0.009
1153/1/1			कुलयोग . . . 1.366
1153/1/2		(2)	सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है—सतपिड़िया तालाब से धाहर, मुसरा, इदरहा टोला पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
1153/1/3	0.036		
1153/2			
1157/1/1		(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. भ/स संभाग क्र. 1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
1157/2/1	0.079		
1155	0.054		
1156/1/1	0.026		
1156/2/1	0.027		मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
1468/1	0.020		मनोज पुष्प, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2022

क्रमांक एफ-3-90/2021/18-5:- मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उप धारा (4) के अधीन एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा होशंगाबाद निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2035 मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19(2) में उपांतरणों के साथ अनुमोदित की गई है, तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्—

1. आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग नर्मदापुरम् म0प्र0।
2. कलेक्टर, जिला नर्मदापुरम् म0 प्र0।
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय नर्मदापुरम् म.प्र.।
4. मुख्य नगर पालिक अधिकारी, नगर पालिका परिषद् नर्मदापुरम् म.प्र.।

2/ यह विकास योजना मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2022

क्र. एफ-03-90-2021-अठारह-5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक एफ-03-90-2021-अठारह-5, दिनांक 4 मार्च 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

Bhopal, the 4th March 2022

No. F-3-90 /2021/18-5: Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhinyam 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan with modifications for Hoshangabad (Planning Area) 2031 under sub-section (2) of section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhinyam 1973(No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely:-

1. Commissioner Narmadapuram division Narmadapuram, M.P.
2. Collector, District Narmadapuram, MP
3. Deputy Director, Town & Country Planning, District Office Narmadapuram,MP
4. Chief Municipal Officer,Nagar Palika parishad, Narmadapuram, M.P.

2/ The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in M.P. Gazettee under section 19 (5) of M.P.Nagar Tatha Gram Nivesh Adhinyam 1973.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHUBHASHISH BANERJEE, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2022

क्रमांक एफ-3-104/2021/18-5:- मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उप धारा (4) के अधीन एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा साड़ा काउण्टर मैग्नेट, मुरैना विशेष क्षेत्र के लिये विकास योजना 2035 मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19(2) में उपांतरणों के साथ अनुमोदित की गई है, तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्—

1. आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर म0प्र0।
2. आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना म0प्र0।
3. कलेक्टर, जिला ग्वालियर म0 प्र0।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना म0प्र0।
5. कलेक्टर, जिला भिण्ड म0प्र0।
6. आयुक्त, नगर पालिक निगम, मुरैना म0प्र0।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ग्वालियर म0प्र0।
8. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद् बानमोर म0प्र0।
9. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद्, मालनपुर म0प्र0।
10. संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय ग्वालियर म0प्र0।
11. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय भिण्ड म0प्र0।

2/ यह विकास योजना मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2022

क्र. एफ-03-104-2021-अठारह-5.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक एफ-03-104-2021-अठारह-5, दिनांक 4 मार्च 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

Bhopal, the 4th March 2022

No. F-3-104/2021/18-5: Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhinyam 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan with modifications for SADA Counter Magnet, Morena Development Plan, 2035 under sub-section (2) of section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhinyam 1973(No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely:-

1. Commissioner, Gwalior division, Gwalior M.P.
2. Commissioner, Chambal division, Morena M.P.
3. Collector, District Gwalior M.P.
4. Collector, District Morena M.P.
5. Collector, District Bhind M.P.
6. Commissioner, Municipal Corporation Morena M.P.
7. Chief Executive Officer, SADA, Gwalior M.P.
8. Chief Municipal Officer, Nagar Parishad, Banmor M.P.
9. Chief Municipal Officer, Nagar Parishad, Malanpur M.P.
10. Joint Director, Town & Country Planning, District Office Gwalior M.P.
11. Assistant Director, Town & Country Planning, District Office Bhind

2/ The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in M.P. Gazettee under section 19 (5) of M.P.Nagar Tatha Gram Nivesh Adhinyam 1973.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHUBHASHISH BANERJEE, Dy. Secy.